C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. V, Second Session, 2019/1941 (Saka)
No. 1, Monday, November 18, 2019/ Kartika 27, 1941 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS OF SEVENTEENTH LOK SABHA	10-37
OFFICERS OF LOK SABHA	38
COUNCIL OF MINISTERS	39-46
NATIONAL ANTHEM	48
MEMBERS SWORN	49
OBITUARY REFERENCES	50-52
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 1 to 7	54-82
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 8 to 20	83-113
Unstarred Question Nos. 1 to 230	114-660

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 662-664

MESSAGE FROM RAJYA SABHA 665

RESIGNATION BY MEMBER 665

ELECTION TO COMMITTEE
Council of the Institutes of Technology 666

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re: Reported suicide of a student in IIT Chennai due to alleged discrimination by teachers 673-675, 676
(ii) Re: Polluted drinking water in National Capital Territory of Delhi 690-694

MATTERS UNDER RULE 377 707-725

(i) Need to set up a CSD canteen and Sainik Vishram Grah in Bhiwani-Mahendragarh Parliamentary Constituency in Haryana

Shri Dharambir Singh 707

(ii) Regarding long pending demand of people of Darjeeling Hills, Terai and Dooars, West Bengal

Shri Raju Bista 708

(iii) Need to ensure availability of TB medicines in all healthcare centres in Jalore and Sirohi districts of Rajasthan

Shri Devaji Patel 709

(iv) Need to provide compensation to farmers who suffered damage and loss of crops caused by strong winds and incessant rains in Chhattisgarh

Shri Chunni Lal Sahu 710

(v) Need to streamline the Public Distribution System in Sheohar Parliamentary Constituency, Bihar

Shrimati Rama Devi 711

(vi) Need to set up Kendriya Vidyalayas in Santhal Pargana region of Jharkhand

Dr. Nishikant Dubey 712

(vii) Need to undertake widening and maintenance of N.H. 331 in Maharajganj Parliamentary Constituency, Bihar

Shri Janardan Singh Sigriwal 713

(viii) Regarding construction of a bypass on NH-66 at Attingal, Kerala

Adv. Adoor Prakash 714

(ix) Regarding pension related issues faced by cashew growers in Kerala

Shri Kodikunnil Suresh 714

(x) Regarding closure of Central Potato Research Station at Ooty, Tamil Nadu

Shri A. Raja 715

(xi) Need to set up a plastic recycling unit in Jaynagar Parliamentary Constituency, West Bengal

Shrimati Pratima Mondal 715

(xii) Regarding early completion of doubling work on Vijayawada-Bhimavaram railway line in Andhra Pradesh

Shri Raghu Rama Krishna Raju 716

(xiii) Need to set up a bench of High Court of Bombay at Kolhapur

Shri Sanjay Sadashivrao Mandlik 717

(xiv) Need to grant special category status to Bihar

Shri Kaushalendra Kumar 718

(xv) Need to roll back the hike in hostel fee and other charges in Jawahar Lal Nehru University, Delhi

Kunwar Danish Ali 719-720

(xvi) Regarding allocation of 77 lakh metric tonnes of Urea to Telangana

Dr. G. Ranjith Reddy 721

(xvii) Regarding Minimum Support Price for Massmeen (Dry Tuna Fish) product in Lakshadweep

Shri Mohammed Faizal P.P. 722

(xviii) Need to provide compensation to farmers who suffered loss of crops due to unseasonal rains in Dadra and Nagar Haveli Parliamentary Constituency

Shri Mohanbhai Sanjibhai Delkar 722

(xix) Need to set up a Research Centre in Maldah Uttar Parliamentary Constituency, West Bengal to address the problem of arsenic contamination of water

Shri Khagen Murmu 723

(xx) Regarding pending works of ESIC Medical College and Hospital Gulbarga, Karnataka

Dr. Umesh G. Jadhav 723

(xxi) Need to facilitate grant of NoC for construction of road along Bariyarpur canal by Government of Uttar Pradesh

Shri Vishnu Dutt Sharma 724

(xxii) Need to construct sea walls along Thiruvananthapuram Coastline

Dr. Shashi Tharoor 725

CHIT FUNDS (AMENDMENT) BILL, 2019 726-778

Motion to Consider 726-728

Shri Anurag Singh Thakur 726-728

Shri Saptagiri Sankar Ulaka 729-731

Shri Gopal Shetty 732-737

Dr. Kalanidhi Veeraswamy	738-739
Shri Kalyan Banerjee	740-743
Shri Raghu Ram Krishna Raju	744-746
Shri Shrirang Appa Barne	747-748
Dr. Alok Kumar Suman	749-750
Shri Bhartruhari Mahtab	751-756
Shri Ritesh Pandey	757
Shri Kotha Prabhakar Reddy	758-759
Shrimati Supriya Sadanand Sule	760-763
Shri H. Vasanthakumar	764-766
Shrimati Locket Chatterjee	767-770
Shri Jayadev Galla	771-772
Shri N.K. Premachandran	773-776
Shri Dilip Ghosh	777-778

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 779

Member-wise Index to Unstarred Questions 780-784

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 785

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 786

ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS OF SEVENTEENTH LOK SABHA

Abdullah, Dr. Farooq (Srinagar)

Adhikari, Shri Dibyendu (Tamluk)

Adhikari, Shri Sisir Kumar (Kanthi)

Adhikari (Dev) , Shri Deepak (Ghatal)

Agrawal, Shri Rajendra (Meerut)

Ahluwalia, Shri S.S. (Bardhaman-Durgapur)

Ahmed, Shrimati Sajda (Uluberia)

Ajgalley, Shri Guharam (Janjgir-Champa)

Ajmal, Shri M. Badruddin (Dhubri)

Ali, Kunwar Danish (Amroha)

Amarappa, Shri Karadi Sanganna (Koppal)

Ambareesh, Shrimati Sumalatha (Mandya)

Anand, Shri D.M.Kathir (Vellore)

Angadi, Shri Suresh C. (Belgaum)

Annadurai, Shri C. N. (Tiruvannamalai)

Ansari, Shri Afzal (Ghazipur)

Antony, Shri Anto (Pathanamthitta)

Anuradha, Shrimati Chinta (Amalapuram)

Ariff, Adv. A. M. (Alappuzha)

Aujla, Shri Gurjeet Singh (Amritsar)

Azad, Shrimati Sangeeta (Lalganj)

Baalu, Shri T.R. (Sriperumbudur)

Bachegowda, Shri B.N. (Chikkballapur)

Badal, Shri Sukhbir Singh (Firozpur)

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur (Bathinda)

Baghel, Prof. S.P. Singh (Agra)

Baghel, Shri Vijay (Durg)

Baheria, Shri Subhash Chandra (Bhilwara)

Baij, Shri Deepak (Bastar)

Balyan, Dr. Sanjeev (Muzaffarnagar)

Bandyopadhyay, Shri Sudip (Kolkata Uttar)

Banerjee, Shri Abhishek (Diamond Harbour)

Banerjee, Shri Kalyan (Sreerampur)

Banerjee, Shri Prasun (Howrah)

Bapat, Shri Girish Bhalchandra (Pune)

Barla, Shri John (Alipurduars)

Barne, Shri Shrirang Appa (Maval)

Barq, Dr. Shafiqur Rahman (Sambhal)

Baruah, Shri Pradan(Lakhimpur)

Basavaraj, Shri G. S. (Tumkur)

Basheer, Shri E. T. Mohammed (Ponnani)

Behanan, Shri Benny (Chalakudy)

Beniwal, Shri Hanuman (Nagaur)

Bey, Shri Horen Sing (Autonomous District)

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai (Dahod)

Bhagat, Shri Sudarshan (Lohardaga)

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao (Dhule)

Bharat, Shri Margani (Rajahmundry)

Bhargava, Shri Ramakant (Vidisha)

Bhatia, Shri Sanjay (Karnal)

Bhatt, Adv. Ajay (Nainital-Udhamsingh Nagar)

Bhatt, Shrimati Ranjanben (Vadodara)

Bholanath ‘B.P. Saroj’, Shri (Machhlishahr)

'Bhole', Shri Devendra Singh (Akbarpur)

Bhoumik, Sushri Pratima (Tripura West)

Bidhuri, Shri Ramesh (South Delhi)

Bind, Shri Ramesh (Bhadohi)

Birla, Shri Om (Kota)

Bisen, Dr Dhal Singh (Balaghat)

Bisoyi, Shrimati Pramila (Aska)

Bista, Shri Raju (Darjeeling)

Bohra, Shri Ramcharan (Jaipur)

Bordoloi, Shri Pradyut (Nowgong)

Borlakunta, Dr.Venkatesh Netha (Peddapalle)

Chahar, Shri Rajkumar (Fatehpur Sikri)

Chakraborty, Sushri Mimi (Jadavpur)

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh (Hamirpur)

Chandra Sekhar , Shri Bellana (Vizianagaram)

Chandra, Shri Girish (Nagina)

Chatterjee, Shrimati Locket (Hooghly)

Chaudhary, Shri P. P. (Pali)

Chaudhary, Shri Pankaj (Maharajganj)

Chaudhary, Shri Santokh Singh(Jalandhar)

Chaudhuri, Sushri Debasree (Raiganj)

Chauhan, Shri Devusinh (Kheda)

Chauhan, Shri Nandkumar Singh (Khandwa)

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi (Kachchh)

Chazhikadan, Shri Thomas (Kottayam)

Chellakumar, Dr.A. (Krishnagiri)

Chidambaram, Shri Karti P. (Sivaganga)

Chikhlikar, Shri Prataprao Patil (Nanded)

Chinraj, Shri A.K.P(Namakkal)

Choubey, Shri Ashwini Kumar (Buxar)

Choudhary, Shri Bhagirath (Ajmer)

Choudhary, Shri Chandra Prakash (Giridih)

Choudhary, Shri Kailash (Barmer)

Choudhary, Shri Pradeep Kumar (Kairana)

Chouhan, Shri Nihal Chand (Ganganagar)

Chowdhury, Shri Abu Hasem Khan (Maldaha Dakshin)

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan (Baharampur)

Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai(Junagadh)

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji (Patan)

Dadarao, Shri Danve Raosaheb (Jalna)

Damor, Shri Guman Singh (Ratlam)

Darbar, Shri Chattar Singh (Dhar)

Das, Shri Pallab Lochan (Tezpur)

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh (Barasat)

Deb, Shri Nitesh Ganga (Sambalpur)

Delkar, Shri Mohanbhai Sanjibhai (Dadra & Nagar Haveli)

Deol, Shri Sunny (Gurdaspur)

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna (Narasaraopet)

Devendrappa, Shri Y. (Bellary)

Devi, Shrimati Annpurna (Kodarma)

Devi, Shrimati Rama (Sheohar)

Devi, Shrimati Veena (Vaishali)

Dhaduk, Shri Rameshbhai L. (Porbandar)

Dhanorkar,Shri Balubhau *alias* Suresh Narayan (Chandrapur)

Dharmapuri, Shri Arvind (Nizamabad)

Dhotre, Shri Sanjay Shamrao (Akola)

Diler, Shri Rajveer (Hathras)

Dubey, Dr. Nishikant (Godda)

Dubey, Shri Vijay Kumar (Kushi Nagar)

Duggal, Sushri Sunita (Sirsa)

Dwivedi, Shri Harish (Basti)

Eden, Shri Hibi (Ernakulam)

Faizal P.P., Shri Mohammed (Lakshadweep)

Firojiya, Shri Anil (Ujjain)

Gaddigoudar, Shri P. C. (Bagalkot)

Gadkari, Shri Nitin Jairam (Nagpur)

Galla, Shri Jayadev (Guntur)

Gambhir, Shri Gautam (East Delhi)

Gandhi, Shri Feroze Varun (Pilibhit)

Gandhi, Shri Rahul (Wayanad)

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay (Sultanpur)

Gandhi, Shrimati Sonia (Rae Bareli)

Ganeshamurthi, Shri A. (Erode)

Gangwar, Shri Santosh Kumar (Bareilly)

Gao, Shri Tapir (Arunachal East)

Gautam, Shri Satish Kumar (Aligarh)

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar (Nandurbar)

Gavit, Shri Rajendra Dhedya (Palghar)

Gawali (Patil), Shrimati Bhavana (Yavatmal-Washim)

Geetha Viswanath, Shrimati Vanga (Kakinada)

Ghosh, Shri Dilip (Medinipur)

Gill, Shri Jasbir Singh (Khadoor Sahib)

Gnanathiraviam, Shri S. (Tirunelveli)

Godse, Shri Hemant Tukaram(Nashik)

Gogoi, Shri Gaurav (Kaliabor)

Gogoi, Shri Topon Kumar (Jorhat)

Goswami, Shri Dulal Chandra (Katihar)

Gowda, Shri D.V. Sadananda (Bangalore North)

Gupta, Shri Sangam Lal (Pratapgarh)

Gupta, Shri Sudheer (Mandsour)

Hans, Shri Hans Raj (North West Delhi)

Hansdak, Shri Vijay Kumar (Rajmahal)

Haridas, Kumari Ramya (Alathur)

Hasan, Dr. S.T. (Moradabad)

Hegde, Shri Anantkumar (Uttara Kannada)

Hemamalini, Shrimati (Mathura)

Hembram, Shri Kunar (Jhargram)

Irani, Shrimati Smriti Zubin (Amethi)

Jadav, Dr. Umesh G. (Gulbarga)

Jadhav, Shri Prataprao (Buldhana)

Jadhav, Shri Sanjay (Parbhani)

Jadon, Dr. Chandra Sen (Firozabad)

Jagathrakshakan, Shri S. (Arakkonam)

Jahan, Shrimati Nusrat (Basirhat)

Jaiswal, Dr. Sanjay (Paschim Champaran)

Jaleel, Shri Syed Imtiaz (Aurangabad)

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram (Surat)

Jatua, Shri Choudhury Mohan (Mathurapur)

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh (Tonk–Sawai Madhopur)

Jawed, Dr. Mohammad (Kishanganj)

Jayakumar, Dr. K. (Tiruvallur)

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa (Bijapur)

Jolle, Shri Annasaheb Shankar (Chikkodi)

Joshi, Prof. Rita Bahuguna (Allahabad)

Joshi, Shri C. P. (Chittorgarh)

Joshi, Shri Pralhad (Dharwad)

Jothimani, Sushri S. (Karur)

Jyoti, Sadhvi Niranjan (Fatehpur)

Kachhadiya, Shri Naranbhai (Amreli)

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali (Khagaria)

Kamait, Shri Dileshwar (Supaul)

Kapoor, Shri Kishan (Kangra)

Karandlaje, Kumari Shobha (Udupi Chikmagalur)

Karunanidhi, Shrimati Kanimozhi (Thoothukkudi)

Kashyap, Shri Dharmendra (Aonla)

Kashyap, Shri Suresh (Shimla)

Kaswan, Shri Rahul (Churu)

Katara, Shri Kanakmal (Banswara)

Kataria, Shri Rattan Lal (Ambala)

Kateel, Shri Nalin Kumar (Dakshina Kannada)

Katheria, Dr. Ram Shankar (Etawah)

Kaur, Shrimati Preneet (Patiala)

Kaushik, Shri Ramesh Chander (Sonipat)

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil(Raver)

Khaleque, Shri Abdul (Barpeta)

Khan, Shri Abu Taher (Murshidabad)

Khan, Shri Mohammad Azam (Rampur)

Khan, Shri Saumitra (Bishnupur)

Kher, Shrimati Kirron (Chandigarh)

Khuba, Shri Bhagwanth (Bidar)

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu (Srikakulam)

Kirtikar, Shri Gajanan (Mumbai North-West)

Kishan, Shri Ravi (Gorakhpur)

Kishore, Shri Kaushal (Mohanlalganj)

Kol, Shri Pakauri Lal(Robertsganj)

Kolhe, Dr. Amol Ramsing (Shirur)

Koli, Shrimati Ranjeeta (Bharatpur)

Kora, Shrimati Geeta (Singhbhum)

Kotagiri, Shri Sridhar(Eluru)

Kotak, Shri Manoj (Mumbai North-East)

Kulaste, Shri Faggan Singh (Mandla)

Kumar, Dr Virendra (Tikamgarh)

Kumar, Shri Bandi Sanjay (Karimnagar)

Kumar, Shri Dhanush.M. (Tenkasi)

Kumar, Shri Kaushlendra (Nalanda)

Kumar, Shri Narendra (Jhunjhunu)

Kumar, Shri P. Raveendranath (Theni)

Kumar, Shri Santosh(Purnia)

Kumar, Shri Vijay (Gaya)

Kumari, Sushri Diya (Rajsamand)

Kundariya, Shri Mohanbhai (Rajkot)

Kunhalikutty, Shri P.K. (Malappuram)

Kuriakose, Adv. Dean (Idukki)

Kushwaha, Shri Ravindra (Salempur)

Lal, Shri Akshaibar (Bahraich)

Lalrosanga, Shri C. (Mizoram)

Lalwani, Shri Shankar (Indore)

Lekhi, Shrimati Meenakashi (New Delhi)

Lokhande, Shri Sadashiv Kisan (Shirdi)

Lone, Shri Akbar (Baramulla)

Maadam, Shrimati Poonamben (Jamnagar)

Madhav, Shri Kuruva Gorantla (Hindupur)

Madhavi, Kumari Goddeti (Araku)

Mahajan, Shrimati Poonam (Mumbai North-Central)

Mahant, Shrimati Jyotsna Charandas (Korba)

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji (Unnao)

Mahato, Shri Bidyut Baran (Jamshedpur)

Mahato, Shri Jyotirmay Singh (Purulia)

Mahtab, Shri Bhartruhari (Cuttack)

Mahto, Shri Baidyanath Prasad (Valmiki Nagar)

Majhi, Shri Ramesh Chandra (Nabarangpur)

Majumdar, Dr. Sukanta (Balurghat)

Mal, Shri Asit Kumar (Bolpur)

Mallah, Shri Kripanath (Karimganj)

Mallick, Dr. Rajashree (Jagatsinghpur)

Malothu, Shrimati Kavitha (Mahabubabad)

Mandal, Shri Ajay Kumar (Bhagalpur)

Mandal, Shri Ramprit (Jhanjharpur)

Mandal, Shrimati Manjulata (Bhadrak)

Mandavi , Shri Mohan (Kanker)

Mandlik, Shri Sanjay Sadashivrao (Kolhapur)

Mane, Shri Dhairyasheel Sambhajirao (Hatkanangle)

Manickam Tagore, Shri B. (Virudhunagar)

Mann, Shri Bhagwant (Sangrur)

Maran, Shri Dayanidhi (Chennai Central)

Masoodi , Shri Hasnain (Anantnag)

Maurya, Dr. Sanghamitra (Badaun)

Meena, Shri Arjunlal (Udaipur)

Meena, Shrimati Jaskaur (Dausa)

Meghwal, Shri Arjun Ram (Bikaner)

Mendhe, Shri Sunil Baburao (Bhandara-Gondiya)

Mishra, Shri Janardan (Rewa)

Misra, Shri Pinaki (Puri)

Modi, Shri Narendra (Varanasi)

Mohan, Shri P. C. (Bangalore Central)

Mohanty, Shri Anubhav (Kendrapara)

Moitra, Sushri Mahua (Krishnanagar)

Mondal, Shri Sunil Kumar (Bardhaman Purba)

Mondal, Shrimati Pratima (Jaynagar)

Munda, Shri Arjun (Khunti)

Munde, Dr. Pritam Gopinathrao (Beed)

Muniswamy, Shri S. (Kolar)

Munjapara , Dr. (Prof.) Mahendra (Surendranagar)

Muraleedharan , Shri K. (Vadakara)

Murmu, Kumari Chandrani (Keonjhar)

Murmu, Shri Khagen (Maldaha Uttar)

Nagar, Shri Malook (Bijnor)

Nagar, Shri Rodmal (Rajgarh)

Naik, Shri Raja Amareshwara (Raichur)

Naik, Shri Shripad Yesso (North Goa)

Namgyal, Shri Jamyang Tsering (Ladakh)

Natarajan, Shri P.R. (Coimbatore)

Nath, Shri Balak (Alwar)

Nath, Shri Nakul K. (Chhindwara)

Navaskani , Shri K. (Ramanathapuram)

Nete, Shri Ashok Mahadeorao (Gadchiroli-Chimur)

Nimbalkar, Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik (Madha)

Nishad, Shri Ajay (Muzaffarpur)

Nishad, Shri Praveen Kumar (Sant Kabir Nagar)

Nishank, Dr.Ramesh Pokhriyal (Hardwar)

Oja, Shrimati Queen (Gauhati)

Oram, Shri Jual (Sundargarh)

Owaisi, Shri Asaduddin (Hyderabad)

Paarivendhar, Dr. T. R. (Perambalur)

Pachauri, Shri Satyadev (Kanpur)

Pal, Shri Jagdambika (Domariyaganj)

Pal, Shri Krishan (Faridabad)

Pala, Shri Vincent H. (Shillong)

Palanimanickam, Shri S.S. (Thanjavur)

Panda, Shri Basanta Kumar (Kalahandi)

Pandey, Dr. Mahendra Nath (Chandauli)

Pandey, Shri Ritesh (Ambedkar Nagar)

Pandey, Shri Santosh (Rajnandgaon)

Paras, Shri Pashupati Kumar (Hajipur)

Parkash, Shri Som (Hoshiarpur)

Parthiban, Shri S.R. (Salem)

Pasunoori, Shri Dayakar (Warangal)

Paswan, Shri Chhedi (Sasaram)

Paswan, Shri Chirag Kumar (Jamui)

Paswan, Shri Kamlesh (Bansgaon)

Patel, Dr.K.C. (Valsad)

Patel, Shri Devaji (Jalore)

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh (Khargone)

Patel, Shri Hasmukhbhai Somabhai(Ahmedabad East)

Patel, Shri Lalubhai B. (Daman & Diu)

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai (Banaskantha)

Patel, Shri Prahalad Singh (Damoh)

Patel, Shri R.K. Singh (Banda)

Patel, Shrimati Anupriya (Mirzapur)

Patel, Shrimati Keshari Devi (Phulpur)

Patel, Shrimati Sharda Anil (Mahesana)

Patel (Bakabhai), Shri Mitesh (Anand)

Pathak, Shri Subrat (Kannauj)

Pathak, Shrimati Riti (Sidhi)

Patil, Shri B.B. (Zahirabad)

Patil, Shri C. R. (Navsari)

Patil, Shri Hemant (Hingoli)

Patil, Shri Kapil Moreshwar (Bhiwandi)

Patil, Shri Sanjay Kaka (Sangli)

Patil, Shri Shriniwas Dadasaheb (Satara)

Patil, Shri Unmesh Bhaiyyasaheb (Jalgaon)

Pawar, Dr. Bharati Pravin (Dindori)

Pfoze, Dr. Lorho (Outer Manipur)

Pintu , Shri Sunil Kumar (Sitamarhi)

Poddar, Shrimati Aparupa (Arambag)

Pon, Shri Gautham Sigamani (Kallakurichi)

Pothuganti, Shri Ramulu (Nagarkurnool)

Prakash, Adv. Adoor (Attingal)

Prakash, Shri Jai (Hardoi)

Pramanik, Shri Nisith (Coochbehar)

Prasad , Shri Chandeshwar (Jahanabad)

Prasad, Shri Ravi Shankar (Patna Sahib)

Prasad, Shri V. Srinivas (Chamarajanagar)

Prathapan, Shri T. N. (Thrissur)

Premachandran, Shri N.K. (Kollam)

Pujari, Shri Suresh (Bargarh)

Raghavan, Shri M.K. (Kozhikode)

Raghavendra, Shri.B.Y. (Shimoga)

Rahaman, Shri Khalilur (Jangipur)

Rai, Shri Nityanand (Ujiarpur)

Raj, Shri Prince (Samastipur)

Raja, Shri A. (Nilgiris)

Rajenimbalkar, Shri Om Pavan (Osmanabad)

Rajoria, Dr. Manoj (Karauli–Dholpur)

Rajput, Shri Mukesh (Farrukhabad)

Raju, Shri Raghu Rama Krishna (Narsapuram)

Ram, Shri Vishnu Dayal (Palamu)

Ramalingam, Shri S. (Mayiladuthurai)

Ramesh, Shri T. R. V .S. (Cuddalore)

Rana, Shrimati Navneet Ravi (Amravati)

Rangaiah, Shri Talari(Anantapur)

Ranjan, Dr. R. K. (Inner Manipur)

Rao , Shri Nama Nageswara (Khammam)

Rao, Shri Balli Durga Prasad (Tirupati)

Rao, Shri Soyam Bapu (Adilabad)

Rathod , Shri Dipsinh Shankarsinh (Sabarkantha)

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh (Panchmahal)

Rathore, Col. (Retd) Rajyavardhan (Jaipur Rural)

Rathva, Shrimati Gitaben V. (Chhota Udaipur)

Raut, Shri Vinayak Bhaurao (Ratnagiri–Sindhudurg)

Ravikumar, Dr. D. (Viluppuram)

Rawat, Shri Ashok Kumar (Misrikh)

Rawat, Shri Tirath Singh (Garhwal)

Rawat, Shri Upendra Singh (Barabanki)

Ray, Prof. Sougata (Dum Dum)

Ray, Shrimati Sandhya (Bhind)

Reddeppa, Shri N. (Chittoor)

Reddy , Shri Manne Srinivas (Mahbubnagar)

Reddy, Dr. G. Ranjith (Chevella)

Reddy, Shri Adala Prabhakara (Nellore)

Reddy, Shri Anumula Revanth (Malkajgiri)

Reddy, Shri G. Kishan (Secunderabad)

Reddy, Shri Komati Reddy Venkat (Bhongir)

Reddy, Shri Kotha Prabhakar (Medak)

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu (Ongole)

Reddy, Shri P.V. Midhun (Rajampet)

Reddy, Shri Pocha Brahmananda (Nandyal)

Reddy, Shri Uttam Kumar (Nalgonda)

Reddy, Shri Y. S. Avinash (Kadapa)

Rehman, Shri Haji Fazlur (Saharanpur)

Revanna, Shri Prajwal (Hassan)

Rijiju, Shri Kiren (Arunachal West)

Roy, Dr. Jayanta Kumar (Jalpaiguri)

Roy, Dr. Rajdeep (Silchar)

Roy, Shrimati Mala (Kolkata Dakshin)

Roy (Banerjee), Shrimati Satabdi (Birbhum)

Rudy , Shri Rajiv Pratap (Saran)

Sadique, Shri Mohammad (Faridkot)

Sagar, Shri Arun Kumar (Shahjahanpur)

Sahoo, Shri Mahesh (Dhenkanal)

Sahu, Shri Chandra Sekhar (Berhampur)

Sahu , Shri Chunni Lal (Mahasamund)

Sai, Shrimati Gomati (Raigarh)

Saikia, Shri Dilip (Mangaldoi)

Saini, Shri Nayab Singh (Kurukshetra)

Samanta, Prof. Achyutananda (Kandhamal)

Sangma, Kumari Agatha K. (Tura)

Sao, Shri Arun (Bilaspur)

Sarangi, Shri Pratap Chandra (Balasore)

Sarangi, Shrimati Aparajita (Bhubaneswar)

Sarania, Shri Naba Kumar (Kokrajhar)

Saraswati, Shri Sumedhanand (Sikar)

Sardinha , Shri Francisco (South Goa)

Sarkar, Dr. Subhas (Bankura)

Sarkar, Shri Jagannath (Ranaghat)

Saruta, Shrimati Renuka Singh (Surguja)

Satyanarayana, Shri M. V. V. (Visakhapatnam)

Satyavathi, Dr. Beesetti Venkata (Anakapalle)

Sawant, Shri Arvind (Mumbai South)

Selvam, Shri,G. (Kancheepuram)

Selvaraj, Shri M. (Nagapattinam)

Senthilkumar S. , Shri DNV (Dharmapuri)

Seth, Shri Sanjay (Ranchi)

Sethi, Shrimati Sarmistha (Jajpur)

Shah, Shri Amit (Gandhinagar)

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi (Tehri Garhwal)

Shanmuga Sundaram, Shri K. (Pollachi)

Sharma, Dr. Arvind Kumar (Rohtak)

Sharma, Dr. Mahesh (Gautam Buddha Nagar)

Sharma, Shri Anurag (Jhansi)

Sharma, Shri Jugal Kishore (Jammu)

Sharma, Shri Kuldeep Rai (Andaman & Nicobar Islands)

Sharma, Shri Ram Swaroop (Mandi)

Sharma, Shri Vishnu Datt (Khajuraho)

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan (Gwalior)

Shekhawat, Shri Gajendra Singh (Jodhpur)

Shetty, Shri Gopal (Mumbai North)

Shewale, Shri Rahul Ramesh (Mumbai South-Central)

Shinde, Dr. Shrikant Eknath (Kalyan)

Shrangare, Shri Sudhakar Tukaram (Latur)

Shyal, Dr. Bharatiben D. (Bhavnagar)

Siddeshwar , Shri G. M .(Davanagere)

Sigriwal, Shri Janardan Singh (Maharajganj)

Simha, Shri Prathap (Mysore)

Singari, Dr. Sanjeev Kumar (Kurnool)

Singh, Dr. Amar (Fatehgarh Sahib)

Singh, Dr. Jitendra (Udhampur)

Singh, Dr. Satya Pal (Baghpat)

Singh, Rao Inderjit(Gurgaon)

Singh, Shri Arjun (Barrackpur)

Singh, Shri Atul Kumar *alias* Atul Rai (Ghosi)

Singh, Shri Bhola (Bulandshahr)

Singh, Shri Brijbhushan Sharan (Kaiserganj)

Singh, Shri Brijendra (Hisar)

Singh, Shri Chandan (Nawada)

Singh, Shri Dharambir (Bhiwani-Mahendragarh)

Singh, Shri Dushyant (Jhalawar-Baran)

Singh, Shri Ganesh (Satna)

Singh, Shri Giriraj (Begusarai)

Singh, Shri Kirti Vardhan (Gonda)

Singh, Shri Lallu (Faizabad)

Singh, Shri Mahabali (Karakat)

Singh, Shri Pashupati Nath(Dhanbad)

Singh, Shri Pradeep Kumar (Araria)

Singh, Shri R. K. (Arrah)

Singh, Shri Radha Mohan (Purvi Champaran)

Singh, Shri Raj Nath (Lucknow)

Singh, Shri Rajbahadur (Sagar)

Singh, Shri Rakesh (Jabalpur)

Singh, Shri Ravneet (Ludhiana)

Singh, Shri Sunil Kumar (Chatra)

Singh, Shri Sushil Kumar(Aurangabad)

Singh, Shri Uday Pratap (Hoshangabad)

Singh, Shri Virendra (Ballia)

Singh, Shrimati Himadri (Shahdol)

Singh, Shrimati Kavita (Siwan)

Singh ' Lalan', Shri Rajiv Ranjan (Munghyr)

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer (Etah)

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari (Bolangir)

Singh (Retd.), Gen. Dr V. K . (Ghaziabad)

Sinha, Shri Jayant (Hazaribagh)

Solanki, Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai (Ahmedabad West)

Solanky, Shri Mahendra Singh (Dewas)

Soni, Shri Sunil Kumar (Raipur)

Sonkar, Shri Vinod Kumar (Kaushambi)

Soren, Shri Sunil (Dumka)

Sreekandan, Shri V. K. (Palakkad)

Srinivas, Shri Kesineni (Vijayawada)

Subba, Shri Indra Hang (Sikkim)

Subbarayan, Shri K. (Tiruppur)

Sudhakaran , Shri K. (Kannur)

Sule, Shrimati Supriya Sadanand (Baramati)

Suman, Dr. Alok Kumar (Gopalganj)

Supriyo, Shri Babul (Asansol)

Suresh, Shri D.K. (Bangalore Rural)

Suresh, Shri Kodikunnil (Mavelikkara)

Suresh, Shri Nandigam(Bapatla)

Surya, Shri Tejasvi (Bangalore South)

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya(Solapur)

Swamy, Shri A. Narayana (Chitradurga)

Tadas, Shri Ramdas (Wardha)

Tamta, Shri Ajay (Almora)

Tatkare, Shri Sunil Dattatray (Raigad)

Teli, Shri Rameswar (Dibrugarh)

Teni, Shri Ajay Misra (Kheri)

Tewari, Shri Manish (Anandpur Sahib)

Thakur, Sadhvi Pragya Singh (Bhopal)

Thakur, Shri Anurag Singh (Hamirpur)

Thakur , Shri Gopal Jee (Darbhanga)

Thakur, Shri Shantanu (Bangaon)

Thangapandian, Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi (Chennai South)

Tharoor, Dr. Shashi (Thiruvananthapuram)

Thirumaavalavan, Dr. Thol (Chidambaram)

Thirunavukkarasar. Shri Su. (Tiruchirappalli)

Tiwari, Shri Manoj (North East Delhi)

Tomar, Shri Narendra Singh (Morena)

Tripathi, Dr. Ramapati Ram (Deoria)

Tripura, Shri Rebati (Tripura East)

Tudu, Er. Bishweswar (Mayurbhanj)

Tumane, Shri Krupal Balaji (Ramtek)

Udasi, Shri S. C. (Haveri)

Uikey, Shri Durga Das (Betul)

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar (Koraput)

Unnithan, Shri Rajmohan (Kasaragod)

Vaithilingam, Shri Ve. (Puducherry)

Vallabhaneni, Shri Balashowry (Machilipatnam)

Vardhan, Dr. Harsh (Chandni Chowk)

Vasanthakumar, Shri H. (Kanyakumari)

Vasava , Shri Mansukhbhai Dhanjibhai (Bharuch)

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai (Bardoli)

Veeraswamy, Dr. Kalanidhi (Chennai North)

Velusamy, Shri P. (Dindigul)

Venkatesan, Shri S. (Madurai)

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh (Jalaun)

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh (West Delhi)

Verma, Shri Rajesh (Sitapur)

Verma, Shri Ram Shiromani (Shrawasti)

Verma, Shrimati Rekha Arun (Dhaurahra)

Vichare, Shri Rajan Baburao (Thane)

Vikhe Patil, Dr. Sujay (Ahmednagar)

Vishnu Prasad, Dr. M. K. (Arani)

Yadav, Shri Akhilesh (Azamgarh)

Yadav, Shri Ashok Kumar (Madhubani)

Yadav, Shri Dinesh Chandra (Madhepura)

Yadav, Shri Giridhari (Banka)

Yadav, Shri Krishna Pal Singh (Guna)

Yadav, Shri Mulayam Singh (Mainpuri)

Yadav, Shri Ram Kripal(Patliputra)

Yadav, Shri Shyam Singh (Jaunpur)

Yepthomi, Shri Tokheho (Nagaland)

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

COUNCIL OF MINISTERS

CABINET MINISTERS

Shri Narendra Modi	The Prime Minister and also in-charge of: (i) Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions; (ii) Department of Atomic Energy; (iii) Department of Space; and All important Policy issues and all other portfolios not allocated to any Minister.
Shri Raj Nath Singh	The Minister of Defence
Shri Amit Shah	The Minister of Home Affairs
Shri Nitin Jairam Gadkari	The Minister of Road Transport and Highways and Minister of Micro, Small and Medium Enterprises
Shri D.V. Sadananda Gowda	The Minister of Chemicals and Fertilizers
Shrimati Nirmala Sitharaman	The Minister of Finance and Minister of Corporate Affairs
Shri Ramvilas Paswan	The Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

Shri Narendra Singh Tomar	The Minister of Agriculture and Farmers Welfare; Minister of Rural Development and Minister of Panchayati Raj
Shri Ravi Shankar Prasad	The Minister of Law and Justice; Minister of Communications and Minister of Electronics and Information Technology
Shrimati Harsimrat Kaur Badal	The Minister of Food Processing Industries
Shri Thaawar Chand Gehlot	The Minister of Social Justice and Empowerment
Dr. Subrahmanyam Jaishankar	The Minister of External Affairs
Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank	The Minister of Human Resource Development
Shri Arjun Munda	The Minister of Tribal Affairs
Shrimati Smriti Zubin Irani	The Minister of Women and Child Development and Minister of Textiles
Dr. Harsh Vardhan	The Minister of Health and Family Welfare; Minister of Science and Technology and Minister of Earth Sciences

Shri Prakash Javadekar	The Minister of Environment, Forest and Climate Change; Minister of Information and Broadcasting and Minister of Heavy Industries and Public Enterprises
Shri Piyush Goyal	The Minister of Railways and Minister of Commerce and Industry
Shri Dharmendra Pradhan	The Minister of Petroleum and Natural Gas and Minister of Steel
Shri Mukhtar Abbas Naqvi	The Minister of Minority Affairs
Shri Pralhad Joshi	The Minister of Parliamentary Affairs; Minister of Coal and Minister of Mines
Dr. Mahendra Nath Pandey	The Minister of Skill Development and Entrepreneurship
Shri Giriraj Singh	The Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
Shri Gajendra Singh Shekhawat	The Minister of Jal Shakti

MINISTERS OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)

Shri Santosh Kumar Gangwar	The Minister of State of the Ministry of Labour and Employment
Rao Inderjit Singh	The Minister of State of the Ministry of Statistics and Programme Implementation and Minister of State of the Ministry of Planning
Shri Shripad Yesso Naik	The Minister of State of the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) and Minister of State in the Ministry of Defence
Dr. Jitendra Singh	The Minister of State of the Ministry of Development of North Eastern Region; Minister of State in the Prime Minister's Office; Minister of State in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions; Minister of State in the Department of Atomic Energy and Minister of State in the Department of Space
Shri Kiren Rijiju	The Minister of State of the Ministry of Youth Affairs and Sports and Minister of State in the Ministry of Minority Affairs

Shri Prahlad Singh Patel	The Minister of State of the Ministry of Culture and Minister of State of the Ministry of Tourism
Shri R. K. Singh	The Minister of State of the Ministry of Power; Minister of State of the Ministry of New and Renewable Energy and Minister of State in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
Shri Hardeep Singh Puri	The Minister of State of the Ministry of Housing and Urban Affairs; Minister of State of the Ministry of Civil Aviation and Minister of State in the Ministry of Commerce and Industry
Shri Mansukh L. Mandaviya	The Minister of State of the Ministry of Shipping and Minister of State in the Ministry of Chemicals and Fertilizers

MINISTERS OF STATE

Shri Faggan Singh Kulaste	The Minister of State in the Ministry of Steel
Shri Ashwini Kumar Choubey	The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare
Shri Arjun Ram Meghwal	The Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs and Minister of State in the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises
Gen. (Retd.) Dr. V.K. Singh	The Minister of State in the Ministry of Road Transport and Highways
Shri Krishan Pal	The Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment
Shri Danve Raosaheb Dadarao	The Minister of State in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
Shri G. Kishan Reddy	The Minister of State in the Ministry of Home Affairs

Shri Parshottam Rupala	The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Shri Ramdas Athawale	The Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment
Sadhvi Niranjan Jyoti	The Minister of State in the Ministry of Rural Development
Shri Babul Supriyo	The Minister of State in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Dr. Sanjeev Kumar Balyan	The Minister of State in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
Shri Sanjay Shamrao Dhotre	The Minister of State in the Ministry of Human Resource Development; Minister of State in the Ministry of Communications and Minister of State in the Ministry of Electronics and Information Technology
Shri Anurag Singh Thakur	The Minister of State in the Ministry of Finance and Minister of State in the Ministry of Corporate Affairs

Shri Suresh C. Angadi	The Minister of State in the Ministry of Railways
Shri Nityanand Rai	The Minister of State in the Ministry of Home Affairs
Shri Rattan Lal Kataria	The Minister of State in the Ministry of Jal Shakti and Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment
Shri V. Muraleedharan	The Minister of State in the Ministry of External Affairs and Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs
Shrimati Renuka Singh Saruta	The Minister of State in the Ministry of Tribal Affairs
Shri Som Parkash	The Minister of State in the Ministry of Commerce and Industry
Shri Rameshwar Teli	The Minister of State in the Ministry of Food Processing Industries

Shri Pratap Chandra Sarangi	The Minister of State in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and Minister of State in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
Shri Kailash Choudhary	The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Sushri Debasree Chaudhuri	The Minister of State in the Ministry of Women and Child Development

LOK SABHA DEBATES

Vol. V First day of Second Session of Seventeenth Lok Sabha No. 1

LOK SABHA

Monday, November 18, 2019/Kartika 27, 1941 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

NATIONAL ANTHEM

(The National Anthem was played.)

माननीय अध्यक्ष: महासचिव।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, डॉ. फारूख अब्दुल्ला जी यहां पर नहीं है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अभी नए सदस्यों को शपथ लेने दें।

…(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, we have given an Adjournment Motion. …(*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): All the front benches are vacant on the first day!

माननीय अध्यक्ष: आपके नए माननीय सदस्य आए हैं। माननीय सदस्यगण, आप उनको शपथ लेने दें। आप सभी माननीय सदस्य विराज जाएं।

…(व्यवधान)

11.05 hrs

MEMBERS SWORN

माननीय अध्यक्ष : महासचिव ।

महासचिव : श्री प्रिंस राज जी ।

Shri Prince Raj (Samastipur) - Oath - Hindi

Shrimati Himadri Singh (Shahdol) - Oath - Hindi

Shri Shriniwas Dadasaheb Patil (Satara) - Oath - English

Shri D.M. Kathir Anand (Vellore) -- Affirmation – Tamil

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए।

11.08 hrs

OBITUARY REFERENCES

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे नौ भूतपूर्व सदस्यों और राज्य सभा के वर्तमान सदस्य - डॉ. सुधीर राय, श्री राजा परमाशिवम, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री जगन्नाथ मिश्र, श्री अरुण जेटली जी, श्री सुखदेव सिंह, श्री राम जेठमलानी, डॉ. नरमल्ली शिवप्रसाद, श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम' और श्री गुरुदास दास गुप्त के दु:खद निधन के बारे में सूचित करना है।

डॉ. सुधीर राय पश्चिम बंगाल के बर्दवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से आठवीं से दसवीं लोक सभा के सदस्य थे।

डॉ. सुधीर राय का निधन 85 वर्ष की आयु में 30 मार्च, 2019 को हुआ।

श्री राजा परमाशिवम तमिलनाडु के पुडुकोट्टई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री राजा परमाशिवम का निधन 56 वर्ष की आयु में 14 मई, 2019 को हुआ।

श्रीमती सुषमा स्वराज एक उत्कृष्ट सांसद थीं और वे 11वीं, 12वीं, 15वीं और 16वीं लोक सभा की सदस्य रहीं। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दक्षिण दिल्ली और मध्य प्रदेश के विदिशा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्रीमती सुषमा स्वराज तीन बार राज्य सभा और दो बार हरियाणा विधान सभा की सदस्य भी रहीं।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में सूचना और प्रसारण, दूरसंचार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, संसदीय कार्य, विदेश और प्रवासी भारतीय मामले की केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मुख्य मंत्री एवं हरियाणा सरकार में श्रम और रोजगार, शिक्षा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दीं। वे लोक सभा में विपक्ष की नेता रहीं। वे प्रभावशाली वक्ता और भारतीय राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व का प्रमुख चेहरा थीं। उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में विदेश मंत्रालय को मानवीय चेहरा प्रदान किया। वे विदेश में फंसे किसी भी भारतीय के लिए संकटमोचक थीं।

उनके निधन से देश ने एक ऐसा मानवतावादी व्यक्तित्व खो दिया है जिसने देश के सभी वर्गों के बीच विशेष स्थान बनाया था। राष्ट्र के लिए उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। श्रीमती सुषमा स्वराज का निधन 67 वर्ष की आयु में 6 अगस्त, 2019 को हुआ।

श्री जगन्नाथ मिश्र बिहार के मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री जगन्नाथ मिश्र राज्य सभा के सदस्य भी थे और वे केन्द्रीय कृषि, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री भी रहे। वे बिहार के तीन बार मुख्य मंत्री भी रहे। श्री जगन्नाथ मिश्र का निधन 98 वर्ष की आयु में 19 अगस्त, 2019 को हुआ।

श्री अरुण जेटली राज्य सभा के वर्तमान सदस्य थे और वे वर्ष 2000 से लगातार चौथी बार राज्य सभा के सदस्य थे। उन्होंने राज्य सभा में सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। एक दक्ष, अतिसक्षम और प्रभावी प्रशासक श्री अरुण जेटली केन्द्रीय वित्त, रक्षा, विधि और न्याय, कंपनी कार्य, वाणिज्य और उद्योग, सूचना और प्रसारण तथा कारपोरेट कार्य मंत्री भी रहे थे। विलक्षण प्रतिभा के धनी सांसद श्री अरुण जेटली को वर्ष 2010 के लिए उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार भी मिला था। श्री अरुण जेटली एक मिलनसार व्यक्तिव के धनी थे और उन्हें विभिन्न विषयों की व्यापक जानकारी के साथ-साथ कानून का गहन ज्ञान था। उन्होंने देश के कल्याण के लिए नि:स्वार्थ और

अथक परिश्रम से कार्य किया । देश ने अति सम्मानीय नेताओं में से एक नेता और राजनीतिज्ञ खो दिया है। प्रखर सांसद, प्रभावी वक्ता, कुशल व्यक्तिव के धनी श्री अरुण जेटली का निधन 66 वर्ष की आयु में 24 अगस्त, 2019 को हुआ। उनके निधन से रिक्त हुए स्थान को कभी भरा नहीं जा सकता।

श्री सुखदेव सिंह 14वीं और 15वीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। श्री सुखदेव सिंह राज्य सभा और पंजाब विधान सभा के भी सदस्य थे। श्री सुखदेव सिंह का निधन 86 वर्ष की आयु में 6 सितम्बर, 2019 को हुआ ।

श्री राम जेठमलानी छठी और सातवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्ववर्ती बॉम्बे के उत्तर-पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था । वे राज्य सभा के वर्तमान सदस्य थे और पूर्व में भी राज्य सभा के 5 बार सदस्य रह चुके थे। उन्होंने विधि, न्याय और कंपनी मामले तथा शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालयों के केन्द्रीय मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थीं। श्री राम जेठमलानी प्रख्यात अधिवक्ता और विधि शिक्षाविद् थे और उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया तथा इंटरनेशनल बार एसोसिएशन में विभिन्न पदों को सुशोभित किया था। श्री राम जेठमलानी का निधन 95 वर्ष की आयु में 8 सितम्बर, 2019 को हुआ।

डॉ. नरमल्ली शिवप्रसाद 15वीं लोक सभा और 16वीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के चित्तूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया । डॉ. नरमल्ली शिव प्रसाद आंध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे और आंध्र प्रदेश सरकार में सूचना और संस्कृति मंत्री के रूप में भी उन्होंने सेवाएं दी थीं । डॉ. नरमल्ली शिवप्रसाद का निधन 68 वर्ष की आयु में 21 सितम्बर, 2019 को हुआ।

श्री बी.एल.शर्मा “प्रेम” राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वी दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं और 11वीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री बी.एल.शर्मा “प्रेम” का निधन 88 वर्ष की आयु में 28 सितम्बर, 2019 को हुआ।

श्री गुरुदास दास गुप्त पश्चिम बंगाल के घाटल संसदीय क्षेत्र से 14वीं और 15वीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री गुरुदास दास गुप्त तीन कार्यकाल तक राज्यसभा के भी सदस्य रहे थे। श्री गुरुदास दास गुप्त बहुत प्रभावशाली सांसद थे। उन्हें संसदीय प्रक्रियाओं और संवैधानिक उपबंधों की बहुत अच्छी जानकारी थी। संसद और संसदीय समितियों में अपने योगदान के माध्यम से उन्होंने उपेक्षित और श्रमजीवी वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य किया । श्री गुरुदास दास गुप्त का निधन 82 वर्ष की आयु में 31 अक्तूबर, 2019 को हुआ।

हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं। मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करने में मेरे साथ है।

अब सभा में उपस्थित सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

<u>11.15 hrs</u>

(The Members then stood in silence for a short while.)

___

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, बैठिए। मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: दादा, आप बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप सबके प्रयासों से 17वीं लोक सभा का पहला सत्र हम सबके लिए अविस्मरणीय रहा। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि जो विषय उन्होंने दिए हैं, उन सभी विषयों पर बीएसी मीटिंग के समय चर्चा होगी या अन्य विषय पर चर्चा होगी। सदन आपका है, मैं निश्चित रूप से सभी माननीय सदस्यों को अपने-अपने विषय को नियमों के तहत उठाने का अवसर दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आपको हर विषय पर अवसर देंगे।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूं, आपको प्रश्न काल के बाद निश्चित रूप से सारे विषय पर चर्चा करने का अवसर दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैंने प्रश्न काल के बाद की व्यवस्था दे दी है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न 1, श्री केसीनेनी श्रीनिवास।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आपको एक बार व्यवस्था दे चुका हूं। मैं व्यवस्था के अनुसार पालन करूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए।

…(व्यवधान)

11.20 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 1, श्री केसिनेनी श्रीनिवास ।

(Q. 1)

SHRI KESINENI SRINIVAS : Thank you Speaker Sir.

Sir, Andhra Pradesh is the first State to be created on linguistic basis in this country after our Independence. …(*Interruptions*) Sir, in India, our language defines our culture and tradition. We have Bengali culture, Gujarati culture, Kannada culture, Punjabi culture, Odia culture, Tamil culture, etc. …(*Interruptions*) According to Census 2011, there has been a decline in Telugu language speakers and Telugu has slipped to third place. So, it is important for the regional languages to be preserved, and culture and heritage to be passed on to the future generations. So, in view of this, what is the Ministry's plan to promote the language? …(*Interruptions*)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की भारतीय भाषाओं को सशक्त करने की नीति है और इसी नीति के तहत शास्त्रीय तेलुगु अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र भारतीय भाषा संस्थान मैसूर से आंध्र प्रदेश में नेल्लोर में स्थानांतरित कर दिया गया है। …(व्यवधान) यह केंद्र 13 नवम्बर से शुरू हो गया है । उक्त केंद्र में तमाम प्रकार की गतिविधियां होंगी, तेलुगु भाषा में संगोष्ठियां होंगी, कार्यशालाएं होंगी, सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन उच्चतम शिक्षा की

पाठ्य-पुस्तकों को तेलुगु शीर्षक सहित अनुवाद किया जाएगा और भारतमाला परियोजना जो तेलुगु भाषा में ज्ञान-पाठ के लिए कार्य करती है उसको भी पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा ।...(व्यवधान)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2011 में हैदराबाद विश्वविद्यालय में तेलुगु भाषा-भाषी केंद्र का अनुमोदन कर दिया है और इसके लिए डेढ़ करोड़ रुपये भी स्वीकृत कर दिए गए हैं।...(व्यवधान)

11.22 hrs

(*At this stage,* Shri Kodikunnil Suresh *and some other hon. Members Came and stood on the floor near the Table.*)

SHRI KESINENI SRINIVAS : Sir, I appreciate the growing demand for English language to make our youth world-class professionals so that they can succeed in global competitive market. But, Sir, because of this more and more schools are shifting their language to English. …(*Interruptions*) For example, even the Government of Andhra Pradesh under the leadership of Mr. Jagan Mohan Reddy has made English the language of instruction in all the Government Schools compulsory and hence the attention given to Telugu is going down. …(*Interruptions*)

According to the All India Survey on Higher Education (2015-16), the total number of enrolments at PhD level in the discipline of Telugu literature is 167 out of nearly 7,000, which is just two per cent. So, in light of this, it is important to preserve the three-language formula as envisaged in the National Education Policy, 2019. …(*Interruptions*) So, I would like to know what steps the Ministry is taking so that equal focus is given to each language. Also, I would like to know

what support the Ministry is giving to Telugu research and promotion so that more and more people enrol for PhD programmes in Telugu and further research on this great classical language to preserve it for our future generations. …(*Interruptions*)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सरकार भारतीय भाषाओं को सशक्त करने के प्रति सचेत और प्रयासरत है।…(व्यवधान) जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तेलुगु भाषा की उन्नति के लिए हैदराबाद विश्वविद्यालय में तेलुगु शास्त्रीय भाषा केंद्र अनुमोदित किया है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय और आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में तेलुगु भाषा के पाठ्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं ताकि तेलुगु भाषियों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सके और इस भाषा को और सशक्त तरीके से मजबूती दी जा सके।…(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU: …(*Interruptions*)

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU : Hon. Speaker, Sir, I would like to take this opportunity to speak about my sweet Telugu language. …(*Interruptions*) In the year, 1968, the then Chief Minister, and later the Prime Minister, P.V. Narasimha Rao Ji had come up with a Telugu Academy which had been running very well till 2014. …(*Interruptions*) After the State's bifurcation, this Telugu Academy is continuing in Telangana and for the last five years, there is no Telugu Academy in the separated State of Andhra Pradesh.

After our hon. Chief Minister Shri Jaganmohan Reddyji has taken charge, we have come up with a Telugu Academy by appointing Shrimati Lakshmi Parvathi, the wife of late Telugu pride N.T. Rama Rao garu, the Chairperson of the Telugu Academy but we are yet to get the funds, which is a part of the Tenth Schedule to the Andhra Pradesh Reorganisation Act. A couple of hundreds of crores of rupees is there in the Hyderabad kitty. I would like to know from the hon. Minister what initiatives are taken by the Government to get the funds divided in the ratio of 58:42 and do justice by giving our funds back. We want to develop the ancient Telugu language as a great cultural heritage. The kind support of the hon. Human Resource Development Minister, the hon. Prime Minister and every one is solicited to preserve our language. Even Articles 350 and 350A clearly deal with languages and the importance of languages. I would submit to the august House to give all support for the development of our Telugu language.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: श्रीमन्, वर्ष 2014 में आन्ध्र प्रदेश के विभाजन के बाद यह संस्थान स्वीकृत हुआ था और मैसूर में चल रहा था।…(व्यवधान) जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, उनकी भावना का सम्मान करते हुए, अब उसे मैसूर से आन्ध्र प्रदेश में शिफ्ट कर दिया गया है और उसके लिए बजट का भी आबंटन किया गया है। …(व्यवधान) तेलुगु भाषा को सशक्त करने के लिए सरकार पूरी ताकत के साथ कोशिश करेगी। …(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) : अध्यक्ष जी, मैं अपील करता हूं । …(व्यवधान) माननीय सदस्यगण, पहले मेरी बात सुन लीजिए । …(व्यवधान) स्पीकर साहब, आपने बहुत सक्षमता से, सबको विश्वास में लेते हुए लास्ट सेशन बहुत अच्छे ढंग से चलाया है। इसके कारण देश में संसद की गरिमा भी बढ़ गई है। …(व्यवधान) इसलिए मैं अपील करता हूं कि जो भी मुद्दे हैं, माननीय प्रधान मंत्री जी सहित हम सभी ने कल अपोजिशन से कहा है कि हम कोई भी मुद्दा डिसकस करने के लिए तैयार हैं । …(व्यवधान) बीएसी में आपके निर्देश के अनुसार निर्णय होने दीजिए, बीएसी में आप जो निर्णय करेंगे, …(व्यवधान) This is your jurisdiction, Sir. Whatever you decide, the Government is ready to discuss. We are ready to discuss it. Even other matters, let them raise it in the 'Zero Hour'. Let the Question Hour continue. With folded hands, I appeal to you. …(व्यवधान) जो भी मुद्दा हो, नियम के अनुसार उस पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। …(व्यवधान) प्रधान मंत्री जी ने स्वयं आश्वासन दिया है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि सरकार रेडी है, तैयार है ।…(व्यवधान) Let the hon. Speaker decide what to discuss under the rule; the Government is ready; please co-operate. आपकी आवाज के कारण पार्लियामेंट के सदस्यों का जो हक है, the Question Hour is the right of the Members. Please do not disturb that. I appeal to you. We are ready for any discussion. Please go to your seats. …(व्यवधान)

(Q. 2)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री संजय काका पाटील : अध्यक्ष जी, मुझे अपने प्रश्न का जवाब मिल गया है।…(व्यवधान) जवाब ठीक है।…(व्यवधान)

श्री रवि किशन : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के उत्तर से पता चलता है कि वर्तमान केन्द्र सरकार के पास कलाकारों का डेटाबेस नहीं है।…(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसा एक डेटाबेस बने, क्योंकि मैं इसी फील्ड से आता हूं, कलाकारों की फील्ड से। …(व्यवधान) मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैं इस जीवन में कुछ बन गया, लेकिन हर विधा में ऐसे कितने कलाकार हैं, जो अंधेरे की दुनिया में रहते हैं, जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, जिनके पास स्वयं के लिए मकान नहीं है और उनकी मृत्यु हो जाती है। वे न पैसा कमा पाते हैं, न नाम।…(व्यवधान) उन्होंने अपने देश को 24 घण्टे एंटरटेन किया, आनन्द दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में सरकार एक डेटाबेस बनाकर ऐसा कार्यक्रम तैयार करे, जिसमें उन कलाकारों के स्वास्थ्य के लिए बीमा हो, उनका जीवन बीमा हो, उनको सस्ती किस्तों पर मकान मिले, उनको कहीं पर ऐसी जमीन मुहैया हो, जहां उनको आराम से मकान मिल सके।…(व्यवधान) कलाकारों के जीवन में कला के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार यदि इस विषय पर सोचती है या गौर करती है, तो बड़ी कृपा होगी।…(व्यवधान) इससे कलाकारों का जीवन सफल हो जाएगा और कलाकार प्रोत्साहित होंगे। कलाकारों का समुदाय भारतवर्ष में बहुत बड़ा समुदाय है।…(व्यवधान)

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अच्छा सुझाव दिया है । इस सुझाव पर संबंधित मंत्रालय विचार करेगा, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमें जानकारी है और हमारी जानकारी के मुताबिक 13,43,130 कलाकारों का पंजीयन है ।…(व्यवधान) हमारे पास योजना जरूर है, लेकिन कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। यह योजना पिछले दो वर्षों से ज्यादा समय से चल रही है। हम योजना को गति देने की कोशिश करेंगे कि देश के सभी कलाकारों का पंजीयन समय-सीमा में हो जाए और आगे की जो कार्यवाही करने का जो सुझाव है, वह संबंधित मंत्रालय देखेगा ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मनीष तिवारी जी।

…(व्यवधान)

DR. JAYANTA KUMAR ROY : Sir, I would like to know whether the Government is planning to conduct district wise, State wise and nation wise cultural competitions every year to promote cultural activities throughout the country and to provide artists with jobs or any other incentives for their extraordinary performances at State level and country level. …(व्यवधान)

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारी बहुत-सी स्कीम्स हैं । उन स्कीम्स की जानकारी उन्हें साइट पर मिल सकती है ।…(व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी : अध्यक्ष जी, हमारे देश के कलाकारों का अलग-अलग कार्यक्रमों में आना होता है। हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है कि उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी और उन्हें छात्रवृत्ति भी मिलेगी । ऐसे कलाकारों की परिभाषा क्या है, इसे संस्कृति मंत्रालय स्पष्ट करे। कलाकारों को स्कॉलरशिप के साथ-साथ पेंशन भी मिलती है। अभी कलाकारों की परिभाषा तय नहीं है ।…(व्यवधान) माननीय मंत्री जी

बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कलाकारों का कैसे चयन हो और उनकी क्या परिभाषा है, इसे बताने की कृपा करें?

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे यहां जो पेंशन का प्रावधान है, वह आयु के हिसाब से है। कलाकार की परिभाषा हमारे सीनियर कलाकार ही तय करते हैं।…(व्यवधान) यदि उनका कोई सुझाव होगा, तो निश्चित रूप से उनसे मैं सुझाव लेना चाहूंगा।…(व्यवधान)

(Q. 3)

सुश्री प्रतिमा भौमिक: अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार देश में स्टील के स्क्रैप के लिए कोई नीति बनाएगी और यदि बनाएगी, तो उसका क्या प्रारूप होगा ? हमारे देश में नीति बनाने के बाद क्या कोई सेंटर खोलने का इरादा है या नहीं है? …(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : महोदय, भारत में स्क्रैप की आवश्यकता दिनों दिन बढ़ रही है। वर्ष 2030 के लक्ष्य में जो हमारी वर्ष 2017 की स्टील पालिसी है, उसमें ही हमने कई प्रकार के रॉ मैटीरियल उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।…(व्यवधान) पहली बार 7 नवम्बर, 2019 को नई स्क्रैप पालिसी आई है।…(व्यवधान) अन्य संबंधित विभाग भी उस काम में जुड़े हैं। आने वाले दिनों में भारत में स्क्रैप की उपलब्धता बढ़े और हमें इम्पोर्ट कम करना पड़े, इसकी व्यापक योजना सरकार बना रही है।…(व्यवधान)

सुश्री प्रतिमा भौमिक : माननीय अध्यक्ष जी, इसी संदर्भ में मैं जानना चाहती हूं कि जो हमारा नॉर्थ-ईस्ट है, उसमें अगर हम लोगों की जमीन में ज्यादा खार होता है, स्टील के स्क्रैप का उस जमीन में उपयोग किया जाए तो वह कृषि के लिए अच्छा रहेगा।…(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि स्टील स्क्रैप उसमें शायद उतना संबंध नहीं रखता है, लेकिन स्लैग को डालने में जमीन की एसीडिटी खत्म होती है, मैं माननीय सदस्या जी को अलग से उस बारे में विस्तार से सूचना दूंगा।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर आप सदन में चर्चा करना चाहते हैं तो मैं हर विषय पर चर्चा कराने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप सभी माननीय सदस्यगण सीट पर जाएं। यह सदन चर्चा, वाद-विवाद के लिए है। नारेबाजी के लिए नहीं है। मैं पुन: आपसे आग्रह कर रहा हूं। आप अपनी-अपनी सीट पर जाएं।

…(व्यवधान)

11.37 hrs

(At this stage, Shri T.R. Baalu and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

(Q. 4)

श्री विष्णु दयाल राम : माननीय अध्यक्ष जी, झारखंड राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। यहां छोटी-बड़ी अनेक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जल प्रपात हैं, दर्जनों खदानें हैं। उपरोक्त स्थिति में, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ईको टूरिज्म और ट्राईबल टूरिज्म के अलावा एडवेंचर टूरिज्म जैसे रॉफ्टिंग, रॉक-क्लाइंबिंग, लॉंग स्लिंग रैपिलिंग है और आस्ट्रेलिया की तर्ज पर क्या माइनिंग ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोई योजना है? …(व्यवधान) यदि है तो माननीय मंत्री जी कृपया करके उसके बारे में विस्तार से बताएं।…(व्यवधान)

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो उत्तर में कहा था, वह माननीय सदस्य को मालूम भी है कि वहां पर ईको ट्यूरिज्म का काम चल रहा है, आध्यात्मिक सृजन का भी वहां पर काम चल रहा है। 'प्रसाद' योजना में देवघर भी एक बड़ा केन्द्र है।…(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि योजनाएं जब पहले पूरी हो जाएं तब हम दूसरी योजना को लेंगे। राज्य सरकार जो प्रस्ताव देगी, जो माननीय सदस्य देंगे, उस पर मैं जरूर सकारात्मक रूप से विचार करूंगा। …(व्यवधान)

श्री विष्णु दयाल राम : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत गढ़वा जिला में वंशीधर नगर है जहां पर राधा-कृष्ण की मूर्ति मराठों के जमाने की है। …(व्यवधान) यह मूर्ति प्योर गोल्ड की बनी हुई है और इसका वजन 32 मन है।…(व्यवधान) इस प्रकार की कोई भी मूर्ति दुनिया में अन्यत्र नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वंशीधर नगर को श्रीकृष्ण सरकिट से जोड़ना चाहेंगे?...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, पहले मैं उस मूर्ति के बारे में एएसआई से जानकारी लूंगा कि वह लिस्ट में है कि नहीं है। बाकी योजनाएं जब राज्य सरकार की आएंगी, तब हम काम कर पाएंगे। …(व्यवधान) लेकिन जो माननीय सदस्य ने कहा है, उसकी जानकारी लेकर उनको जरूर दूंगा। …(व्यवधान)

11.39 hrs

(At this stage Shri Arvind Sawant and some other hon. Members left the House.)

डॉ.निशिकांत दुबे : माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड और खासकर आन्ध्र प्रदेश जो है, वह टूरिज्म के लिए रिसर्च का एक बड़ा विषय है। एक तरफ जहां मंदार पहाड़ है, दूसरी तरफ वहां 19 करोड़ साल पुराना फौसिल है और उसी तरह से चंपापुरी ऐसा स्थान है जहां पूज्य भगवान वासु जो जैन धर्म के हुए, उन्होंने वहीं निर्वाण प्राप्त किया था। …(व्यवधान) पारसनाथ, देवघर, तारापी, त्रिकूट और मंदार, चंपापुरी और विक्रमशिला बटेश्वर स्थान का एक सरकिट बनाने के लिए वर्षों से मांग चल रही है और इससे झारखंड का टूरिज्म विकसित होगा जिससे लोग ज्यादा रोजगार प्राप्त कर पाएंगे। …(व्यवधान) सिंगापुर और लंदन ऐसे देश हैं जहां दिखाई दे रहा है कि टूरिज्म से उनको काफी पैसा मिल रहा है लेकिन झारखंड सरकार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही है ।…(व्यवधान) मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि यदि कोई राज्य टूरिज्म में इतना कंपीटेंट हो लेकिन यदि उसकी राज्य सरकार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही है और पर्यटन विकसित नहीं हो पा रहा है तो क्या केन्द्र के पास कोई ऐसी योजना है कि डायरेक्ट वह पैसा देकर वहां के पर्यटन को बूस्ट-अप कर पाए?

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि झारखंड प्राकृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है।…(व्यवधान) जैसा कि मैंने मूल प्रश्न में आपको बताया है कि वहां पर लगातार योजनाएं चल रही हैं।…(व्यवधान) यह बात साफ है।…(व्यवधान) सरकार यह चाहती है कि योजनाओं को समय पर पूरा करें, तब हम दूसरी योजना को स्वीकृत करें।…(व्यवधान) लेकिन ऐसा नहीं है।…(व्यवधान) अगर कोई प्रस्ताव होगा, कभी ऐसा होगा तो उस पर जरूर विचार करेंगे।…(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने हमारी सरकार के द्वारा **'**स्वदेश दर्शन**'** और **'**प्रसाद**'** स्कीम के अंतर्गत देश के महत्वपूर्ण, स्पेसिफिक थीम के आधार पर पर्यटन को इंटीग्रेटेड बढ़ावा देने के लिए, यह कार्यक्रम हैं।…(व्यवधान) आपने उस पर मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया है।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 और वर्ष 2015 में हमारी सरकार में 'स्वदेश दर्शन' और 'प्रसाद', दोनों स्कीम्स शुरू हुईं।…(व्यवधान) उन्होंने पांच सर्किट्स स्पेसिफाइ किए हैं, उत्तर-पूर्व सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, हिमालयन सर्किट, कोस्टल सर्किट और कृष्णा सर्किट।…(व्यवधान) भारत की जीडीपी में 6.8 प्रतिशत का योगदान पर्यटन के माध्यम से, विदेशी मुद्रा के माध्यम से आता है।…(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो बुद्धिस्ट सर्किट सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि Organisation of Biennial International Buddhist Conclave, तो वह पिछले दिनों काशी में हुआ था।…(व्यवधान) मैं सौभाग्य से गौतम बुद्ध की जन्म स्थली कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर से आता हूं।…(व्यवधान) क्या माननीय मंत्री जी, जो अगला इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव होगा, उसको गौतम बुद्ध की जन्म स्थली कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर में करने का आश्वासन देने की कृपा करेंगे? बुद्धिस्ट सर्किट महत्वपूर्ण सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु,

श्रावस्ती और कौशाम्बी को जोड़ता है।…(व्यवधान) इस बुद्धिस्ट सर्किट को आज घोषित करके इस पर पूरी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए फोर लेन के संबंध में भी क्या मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के साथ एक नई पहल शुरू होगी?…(व्यवधान)

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इस बात की पूर्व से जानकारी है कि हम ने श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिलवस्तु के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये आबंटित किए थे।…(व्यवधान) यह सही है कि वहां पर बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है।…(व्यवधान) वहां पर फॉरेस्ट का एरिया होने के कारण, उसके कुछ हिस्सों में काम प्रारंभ नहीं हो पाया।…(व्यवधान) मैं उनकी बात से सहमत हूं, सरकार उस बात के लिए गंभीर है।…(व्यवधान) जो बात उन्होंने एनएचएआई की कही है, वह भी कोशिश करें और हम भी चाहते हैं कि कनेक्टिविटी बढ़े।…(व्यवधान) जब भी हम सर्किट पर काम करते हैं तो हमेशा महत्वपूर्ण होता है कि हम उस कनेक्टिविटी को पूरा करें।…(व्यवधान)

उन्होंने जो दूसरी बात कही है, उसके लिए मैं सदन में इस लिए आश्वासन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वास्तव में हमारे जो भी उद्देश्य हैं, हमें महाबोधि संस्थान के लोगों के साथ बैठ कर कोई स्थान और तारीख तय करनी पड़ती है।…(व्यवधान) वह महत्वपूर्ण स्थान है।…(व्यवधान) अगर माननीय सदस्य उसमें कोई सुझाव बाद में देंगे तो अच्छा रहेगा।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री एम. के. राघवन - उपस्थित नहीं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. एन. प्रथापन - उपस्थित नहीं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रतापराव जाधव - उपस्थित नहीं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर - उपस्थित नहीं।

…(व्यवधान)

SHRI B. B. PATIL: Hon. Speaker, Sir, through you, I would like to ask the hon. Minister that a concept presentation on development of spiritual tourism circuit in Sangareddy—Kamareddy—Medak districts of Telangana State was submitted in the Tourism Ministry under Swadesh Darshan Scheme in February, 2019. …(*Interruptions*)

I would like to know as to what action has been taken in this regard as of now. …(*Interruptions*)

I would also like to know the time-frame by which the Spiritual Tourism Circuit in Sangareddy—Kamareddy—Medak districts of Telangana State would be completed. …(*Interruptions*)

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, तेलंगाना राज्य में सर्किट के रूप में काम किया गया था ।…(व्यवधान) वहां पर पैसा आवंटित है ।…(व्यवधान) लेकिन प्रसाद स्कीम और उस सर्किट में कुछ काम शुरू हुए हैं ।…(व्यवधान) वह दूसरे चरण की अपेक्षा कर रहे हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि पहला काम पूरा होने के बाद ही हम किसी स्वदेश दर्शन की स्कीम में पैसा दे पाएंगे ।…(व्यवधान) राज्य सरकार हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजेगी, तो हम नए कामों को जरूर लेंगे ।…(व्यवधान)

श्री राहुल कस्वां : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम्स हैं। …(व्यवधान) जब हम इन योजनाओं को अपने जिले में इम्प्लिमेंट करते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग का एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। कहीं-न-कहीं यह बात देखी जाती है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ‘यूसीज़’ को रिलीज नहीं करती हैं ।…(व्यवधान) एक सांसद होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि जो ‘दिशा’ कमेटी बनी हुई है, जितनी

स्कीम्स हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में चल रही हैं, क्या उनको मॉनिटर करने के लिए हमें कोई पावर देने की बात करेंगे? …(व्यवधान)

मेरे संसदीय क्षेत्र के तहत सालासर में 'प्रसाद' स्कीम के तहत पैसे रिलीज हुए, लेकिन यह किस काम के लिए रिलीज हुआ, यह आज तक पता नहीं चल पाया, क्या वह काम पूरा हुआ? एक सांसद होने के नाते मुझे उसकी खबर तक नहीं मिली। …(व्यवधान)

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसके बारे में आप कुछ बताएँ।…(व्यवधान)

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की जो भी स्कीम्स हैं, वे 'दिशा' की परिधि में आती हैं। …(व्यवधान) माननीय सदस्य से मैं कहूँगा कि अगर इसमें कोई व्यवधान है, उसके बारे में वे हमें बताएंगे, तो हम निश्चित रूप से मंत्रालय की ओर से वहाँ के डीएम को सूचना भेजने की कोशिश करेंगे।…(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो 'श्री कृष्ण' सर्किट है, उसमें अभी मथुरा, द्वारिका और कुरुक्षेत्र है, लेकिन उसमें हस्तिनापुर नहीं है।…(व्यवधान) हस्तिनापुर को उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि हस्तिनापुर का स्थान भगवान श्री कृष्ण के सम्पूर्ण जीवन में बहुत ही महत्त्व रखता है।…(व्यवधान)

इसलिए मेरा यह अनुरोध है और मेरा सवाल भी है कि क्या हस्तिनापुर को 'श्री कृष्ण' सर्किट में जोड़ने का विचार सरकार का है या उसे उसमें जोड़ने वाले हैं? कृपया मंत्री जी इस संबंध में उत्तर दें।…(व्यवधान)

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है। मैं इस सुझाव पर जरूर विचार करूँगा।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री के. नवासखनी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री सुरेश नारायण धानोरकर।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय वित्त मंत्री जी, आप अपना जवाब सदन में दे दें।

…(व्यवधान)

(Q. 5)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, प्रश्न का उत्तर लिखित रूप में दे दिया गया है। इसके अलावा अगर किन्हीं का प्रश्न है, तो उसका उत्तर मैं देने के लिए तैयार हूँ। …(व्यवधान)

SHRIMATI PRATIMA MONDAL: Hon. Speaker Sir, I thank you for giving me a chance to put a supplementary on this important issue.

I would like to know from the hon. Minister, through you, about the steps taken by the Government to prevent further slump in the GDP.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। …(व्यवधान) इस सरकार ने ऐसे कौन-से कदम उठाए हैं, या उठाने वाले हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार हो, इसमें गिरावट न आए। अगर मैं पिछले चार महीने की बात करूँ या पिछले पाँच वर्षों की बात भी करूँ, तो भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी थी, वर्ष 2014 से 2019 तक एवरेज ग्रोथ रेट 7.5 फीसदी रही।…(व्यवधान) उस समय बड़े कदम भी उठाए गए। आज जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी देखी जाती है, पिछले वर्ष विकास दर 3.8 पर्सेंट से कम होकर 3.6 पर्सेंट रही। इस साल दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में कमी होकर लगभग तीन पर्सेंट की ग्रोथ रेट होगी।…(व्यवधान) इसके बावजूद, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने जो कहा है, उसके अनुसार हमारी ग्रोथ रेट आज भी दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में रहेगी। लेकिन सरकार ने इसमें क्या-क्या कदम उठाए हैं, उनके बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जरूर बताना चाहता हूँ। …(व्यवधान)

बड़े कदमों में एक कदम यह भी है कि बैंकों का मर्जर हुआ, जिसके बारे में आज से 27 वर्ष पहले कहा गया था।...(व्यवधान) वह किसी ने नहीं किया, लेकिन इसके लिए हमने कदम उठाए हैं। जो 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वे मात्र चार एनटिटीज में सीमित होकर रह जाएंगे। इससे उनकी क्षमता बढ़ेगी और वे पैसे भी आगे दे पाएंगे।...(व्यवधान)

एफडीआई लाने के लिए और भी प्रावधान और सुधार किए गए हैं। रिकॉर्ड एफडीआई भारत में आए, इसके लिए प्रावधान भी किए गए हैं और रिकॉर्ड एफडीआई आई भी है। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक इन्डिकेटर्स की बात करें, फिस्कल डेफिसेट की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, करंट अकाउंट डेफिसेट की बात करें, ये सब भी साफ दिखाते हैं कि सरकार ने सही दिशा में कदम उठाए हैं और उसके अनुरूप सारी चीज़ें बिलकुल ठीक हैं। इसके अलावा इन्सॉलवेन्सी एंड बैंकरप्ट्सी कोड, जिसके कारण पैसा वापस लाना, जिस पैसे की शायद कभी वापस आने की उम्मीद नहीं थी, वह लाखों-करोड़ों रुपये भी सरकारी खजाने में वापस आए हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल भी पिछली सरकार में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके कारण जो पैसा लेकर भगोड़े चले गए थे, उनसे वह पैसा वापस लाने के लिए पुन: प्रयास हुए। अब बड़ा कदम, जो 20 तारीख को उठाया गया था, वह एक ऐसा कदम था जिसको वर्ष 1991 के बाद कहते हैं कि वह सबसे बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म के रूप में किया गया। जो नई कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आएगी, भारत में रजिस्टर्ड होगी, उसको 30 परसेंट टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसको मात्र 15 परसेंट टैक्स देना पड़ेगा। यह कदम भी यदि किसी ने उठाया तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने कर के दिखाया है, जो अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक कदम है। हमने पिछले बजट में, माननीय वित्त मंत्री जी ने, जो हमारी भारत की कंपनियां हैं, जिन्हें हम एसएमईज़ – स्मॉल एंड मीडियम-साइज़्ड एंटरप्राइजेज़ भी कहते हैं, उनकी कैप भी 250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये की और उनको भी केवल 25 परसेंट टैक्स देना पड़ता है।

जो उससे बाहर की कंपनियां रह गई थीं, अब उनके लिए भी टैक्स को 30 परसेंट से कम कर के मात्र 22 परसेंट किया गया है। इससे उनकी बचत भी होगी, वे कंपनियां निवेश भी करेंगी और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और हमारी विकास दर में बढ़ोतरी भी होगी।

डॉ. संजय जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। मैं वित्त मंत्रालय को और माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, जिस तरह से नए उद्योगों को खोलने का उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया और विश्व में नए उद्योगों पर सबसे कम टैक्स करने का भारत ने निर्णय किया, इससे बहुत सारे नए युवाओं को रोज़गार मिलेगा। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है कि जिस तरह उन्होंने भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई की है, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत सारी रेवड़ियां बांटी गई थीं, जिनको आईबीसी कोड और दूसरे कानूनों के माध्यम से इन्होंने पकड़ा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी इन्डस्ट्रीज़ हैं, जिनके यहां प्राकृतिक आपदा आई थी। जैसे 'सुनामी' आई थी या वर्ष 2017 में बिहार में बाढ़ आई थी। इसके चलते भी बहुत सारे उद्योग डिफॉल्टर हो गए। ऐसे उद्योग विगत 15-20 वर्षों से बिलकुल सही-सही काम कर रहे थे, सरकार को, बैंकों को सही अंशदान दे रहे थे, लेकिन अचानक बाढ़ आने से या 'सुनामी' आने से वे उद्योग प्रभावित हुए। वे उद्योग इन्टेन्शनल डिफॉल्टर नहीं हैं, क्योंकि पूरे भारत में यह सबूत है कि वहां बाढ़ आई थी या सुनामी आई थी।

इसलिए, इस तरह के उद्योगों को फिर से वापस मुख्य धारा में लाया जा सके, क्या इसके लिए वित्त मंत्रालय कोई काम कर रहा है?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद बहुत ही वरिष्ठ सदस्य भी हैं और जो मुद्दा इन्होंने उठाया है, वह बहुत गंभीर भी है। आपदा आने के कारण अगर किसी के उद्योग को नुकसान पहुंचता है तो वह केवल उद्योग के मालिक या उससे जुड़े व्यक्तियों को नहीं, बल्कि उसमें काम करने वाले सैकड़ों-हजारों लोगों को भी प्रभावित करता है।

आखिरकार, यह आपदा तो उस इन्डस्ट्री के हाथ में नहीं थी, लेकिन उस मुसीबत में जब उसके व्यापार को धक्का पहुंचता है तो सरकार उसमें क्या सहयोग कर सकती है। बहुत सारे क्षेत्रों में, जहां रिटर्न फाइल करने की बात थी, सरकार ने वहां पर सहयोग भी किया। जहां उद्यागों पर बैंकों ने और सख्ती की, हालांकि हम बैंकों को सीधे तौर पर निर्देश नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक रुख, जो आरबीआई की गाइडलाइंस के बावजूद भी है कि जिन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ की 25 करोड़ रुपये तक की लिमिट है, उनकी रीस्ट्रक्चरिंग करने का जो प्रावधान है, उनके अनुसार अगर बैंक थोड़ी सी राहत देंगे तो ऐसे उद्योगों के बचने का और वापस खड़े होकर आगे बढ़ने का भी अवसर मिलेगा। इस दिशा में माननीय वित्त मंत्री जी ने पहले भी कदम उठाए थे और इसके बारे में निर्णय भी लिया था।

माननीय अध्यक्ष: श्री भगवंत मान जी।

श्री भगवंत मान : बहुत-बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जी.डी.पी. में 5 परसेंट का को स्लम्प आया है, इसकी वजह से जो ओवरऑल परसेप्शन है कि देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, लेकिन सरकार कुछ और बोल रही है। जमीन पर हालात कुछ और हैं। आर.बी.आई. के डायरेक्टर ने भी कहा है कि बिजनेस में विश्वास नहीं रहा। क्या सरकार यह मानने को तैयार है कि देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, क्योंकि सरकार कुछ और आंकड़े दे रही है और रियलिटी कुछ और है? क्या वित्त मंत्री साहब मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार यह मानने को तैयार है कि देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है? …(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं यह कह दूं कि 5 परसेंट स्लम्प नहीं है। विकास दर क्या है? शायद वे यह कहना चाहते होंगे। …(व्यवधान) मैं इनसे जानना भी चाहता हूं कि आर.बी.आई. के कौन से गवर्नर ने यह कहा है?

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 6 - श्री गौरव गोगोई।

माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीट पर जाकर प्रश्न पूछें।

माननीय मंत्री जी।

…(व्यवधान)

(Q 6)

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS (SHRI ARJUN MUNDA):

(a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 7- श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी।

माननीय मंत्री जी।

(**Q. 7**)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I am not in a position to ask any supplementary question because the House is not in order. …(*Interruptions*). Dr. Farooq Abdullah, a very learned and senior Member of the House, is not present in the House. I am not able to ask any supplementary question. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप इससे संबंधित प्रश्न पूछें।

…(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : It is quite unfortunate that we are not able to ask supplementary questions. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्रो**.** सौगत राय जी। क्या आप सप्लिमेंट्री प्रश्न पूछना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। आज आईएमएफ ने बोला कि India's growth forecast is 6.1 per cent. मूडीज ने इसे डाउनग्रेड कर दिया। Our Index of Industrial Production is at -1.1 per cent. I want to ask the hon. Minister कि यह जो स्लो डाउन है, इसके लिए नवम्बर, 2016 का जो डिमोनिटाइजेशन का सिद्धांत था, क्या वह रिस्पॉंसिबल है? क्या इसीलिए इकोनॉमी में रुपये की शॉर्टेज है। इसके बारे में क्या कर रहे हैं? सरकार के सामने जब भी यह सवाल उठाया जाता है, वह कश्मीर बोल देती है, राम मन्दिर बोल देती है। कोई जवाब नहीं देती है कि इकोनॉमी क्यों इतनी खराब है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। कृपया दादा के सवाल का जवाब दें।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मुझे लगा था कि कालेधन के खिलाफ जो कड़ा प्रहार आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई थी, वह करने की क्षमता और साहस अगर किसी में था, तो वह नरेन्द्र मोदी जी

की सरकार में था और हमने वह करके दिखाया है। उसको देश ने सराहा। …(व्यवधान) देश के ईमानदार व्यक्ति ने टैक्स अदा करके देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान किया है। इससे तृणमूल कांग्रेस या माननीय सदस्य शायद सहमत न हों, लेकिन मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो टैक्स पेयर्स थे, उनकी संख्या डिमोनिटाइजेशन के बाद लगभग दुगुनी हुई है। देश की जो डायरेक्ट टैक्स की रेवेन्यू कलेक्शन लगभग दुगुनी हुई, वह भी इसी कारण हुई है। यह देश के विकास में एक बहुत बड़ा कदम था, जो लम्बे समय तक इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला एक बहुत बड़ा निर्णय सिद्ध होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार ने जो कदम उठाए, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है, हम 142वें स्थान से बढ़कर 63वें स्थान पर आए हैं। यह लगातार रिफॉर्म आज नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के कारण हो पाया है। दुनिया मंदी से गुजर रही है, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया कि जहां अमेरिका पिछले साल 2.9 परसेंट, चाइना 6.1 परसेंट, भारत 6.8 परसेंट था।

इस साल भारत के लिए दुनिया भर ने कहा है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी …(व्यवधान) हमारे कदम भी उसी दिशा में उठाए गए हैं कि इनवेस्टमेंट सबसे ज्यादा हो। कोरपोरेट टैक्स को 30 परसेंट से 15 परसेंट किया गया ताकि हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनें और भारत वर्ष 2025 तक बनेगा, यह हमारा संकल्प है और हम करके देंगे। …(व्यवधान)

<u>12.00 hrs</u>

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्तावों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, अगर हाउस ऑर्डर में आएगा तो निश्चित रूप से मैं आपको शून्य काल में बोलने का मौका दूंगा। स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति नहीं दी जाती है।

…(व्यवधान)…

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष : अब, पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल।

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Speaker, Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Ordinances (Hindi and English versions) under article 123 (2) (a) of the Constitution:-

(1) The Prohibition of Electronics Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Ordinance, 2019 (No. 14 of 2019) promulgated by the President on 18th September, 2019.

(2) The Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019 (No. 15 of 2019) promulgated by the President on 20th September, 2019.

[Placed in Library, See No. LT 736/17/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR) : I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Bank for Agriculture and Rural Development, Mumbai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of National Bank for Agriculture and Rural Development, Mumbai, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 737/17/19]

(2) A copy of the 49th Valuation Report (Hindi and English versions) of the Life Insurance Corporation of India, Mumbai, as on 31st March, 2019.

[Placed in Library, See No. LT 738/17/19]

(3) A copy of the Statement (Hindi and English versions) on Half yearly Review of the trends in receipts and expenditure in relation to the budget at the end of first half of the Financial year 2018-2019 under sub-section (1) of Section 7 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 739/17/19]

(4) A copy of the Notification No. S.O.2691(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 29th July, 2019, regarding amendments in the Terms of Reference for the Fifteenth Finance Commission under Article 280 of the Constitution read with provisions contained in the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951.

[Placed in Library, See No. LT 740/17/19]

(5) A copy of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm) (Amendment) Regulations, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. IRDAI/Reg/9/160/2019 in Gazette of India dated 26th July, 2019 under Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.

[Placed in Library, See No. LT 741/17/19]

(6) A copy of the Notification No. S.O.2672(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 26th July, 2019, exempting certain class of persons from the requirement of filing of income-tax returns from the Assessment Year 2019-20 onwards subject to conditions specified therein under section 296 of the Income Tax Act, 1961.

[Placed in Library, See No. LT 742/17/19]

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 166 of the Central Goods and Service Tax Act, 2017:-

(i) The Central Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.513(E) in Gazette of India dated 18th July, 2019, together with an explanatory memorandum.

(ii) G.S.R.514(E) published in Gazette of India dated 18th July, 2019, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 21/2019-Central Tax, dated 23rd April, 2019.

[Placed in Library, See No. LT 743/17/19]

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) to Section 30 of the Regional Rural Banks Act, 1976:-

(i) The Madhya Bihar Gramin Bank (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. MBGB/HO/HRDD/11428/18/S in Gazette of India dated 12th December, 2018.

(ii) The Madhya Bihar Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. MBGB/HO/HRDD/11428/18/P in Gazette of India dated 12th December, 2018.

(iii) The Bihar Gramin Bank (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. 4341/2018-19 in Gazette of India dated 18th December, 2018.

(iv) The Bihar Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. 4341/2018-19 in Gazette of India dated 18th December, 2018.

(v) The Malwa Gramin Bank (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. MGB/Service Regulation (Amendment)/19 in Gazette of India dated 4th December, 2018.

(vi) The Malwa Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. MGB/Pension Regulation/01 in Gazette of India dated 4th December, 2018.

(vii) The Sutlej Gramin Bank (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. SGB (Service Amend) Regulations 2018 in Gazette of India dated 30th November, 2018.

(viii) The Sutlej Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. SGB (Pension Reg.) 2018 in Gazette of India dated 30th November, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 744/17/19]

(9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 114A of the Insurance Act, 1938:-

(i) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance Advisory Committee) Regulations, 2019 published in Notification No. F. No. IRDAI/Reg./10/161/2019 in Gazette of India dated 30th July, 2019.

(ii) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Regulatory Sandbox) Regulations, 2019 published in Notification No. F. No. IRDAI/Reg./11/162/2019 in Gazette of India dated 30th July, 2019.

[Placed in Library, See No. LT 745/17/19]

12.01 ½ hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA*

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table the National Institute of Design (Amendment) Bill, 2019, as passed by Rajya Sabha on the 6th August, 2019.

12.02 hrs

RESIGNATION BY MEMBER

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि महाराष्ट्र के सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, श्री छ. उदयनराजे भोंसले ने लोक सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। मैंने उनका त्याग पत्र 14 सितम्बर, 2019 से स्वीकार कर लिया है।

…(व्यवधान)

---

* Laid on the Table

12.03 hrs

ELECTION TO COMMITTEE

Council of the Institute of Technology

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31 की उप-धारा (2) के खंड (ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31 की उप-धारा (2) के खंड (ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपने कई विषयों पर स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी, जिसकी व्यवस्था मैंने दे दी है, लेकिन अविलम्बनीय लोक महत्व के मुद्दे आप शून्य काल में उठा सकते हैं। मैंने पहले भी आपसे आग्रह किया था कि यह सदन आपका है, सदन सबकी सहमति से चलता है, सहमति-असहमति सदन में होती है, लेकिन आप सदन की गरिमा को बनाए रखें। आपने 17वीं लोक सभा में इस सदन की गरिमा को बनाए रखा। देश की 130 करोड़ जनता का विश्वास देश की संसद पर रहा है। मैं आपके हर विषय पर इस सदन में आपको वाद-विवाद और चर्चा करने का मौका दूंगा। सदन के नेता ने भी आपको आश्वस्त किया है और मैंने भी आपको आश्वस्त किया है। आप अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर अगर आप अपना विषय उठाना चाहते हैं तो आप मुझे लिखित में दें, मैं आपको विषय उठाने की इजाजत दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं शून्य काल शुरू कर रहा हूं। लिस्टेड सूची के बाद आपको बोलने का मौका दूंगा।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है, मुझे बोलने का मौका दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अधीर रंजन चौधरी जी बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बोलिए, सदन आपका है।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, विपक्ष की तरफ से हम लोगों ने भी सुनिश्चित किया है कि विपक्ष हर मौके पर आपको समर्थन देता रहेगा। सदन के अन्दर हमें बात रखने का मौका दिया जाए, यही हमारा निवेदन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।

सर, बात यह है कि सदन के अन्दर, आप खुद देखिए कि हमारे प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, चार जो बड़े कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनमें से कोई है? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न उठाएं। यहां बहुत सारे कैबिनेट मंत्री जी बैठे हुए हैं।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, हम इसलिए पूछ रहे हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री जी विराज रहे हैं।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, हमारे गृह मंत्री ने इस सदन में हमें आश्वासन दिया था। वजह यह है कि हमारे गृह मंत्री ने इस सदन में आश्वासन दिया था, वह भी पांच तारीख को दिया था कि फारुख अब्दुल्ला साहब को हिरासत में नहीं लिया गया है। …(व्यवधान) उनकी सेहत थोड़ी खराब है। …(व्यवधान) आप मुझे बोलने दीजिए। मैं संक्षिप्त में बयान देना चाहता हूँ। उनकी सेहत खराब है, लेकिन उनको हिरासत में नहीं लिया गया है। आज 108 दिन हो गए हैं। अभी भी फारुख अब्दुल्ला साहब हिरासत में हैं। …(व्यवधान) यह क्या जुल्म हो रहा है? …(व्यवधान) यह क्या अन्याय हो रहा है? …(व्यवधान)

सर, दूसरी बात हम चाहते हैं कि जब सदन शुरू हुआ है, फारुख अब्दुल्ला साहब को यहां लाया जाए। …(व्यवधान) चिदंबरम साहब को लाया जाए, क्योंकि यह उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। …(व्यवधान) यह उनका अधिकार है। सर, हम लोग चाहते थे कि हम लोग भी कश्मीर जाएं। …(व्यवधान) लेकिन इस सरकार ने इस तरीके का लॉक-डाउन किया है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी को श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोका गया। …(व्यवधान) हमारे सारे सांसदों को वहां रोका गया। …(व्यवधान) लेकिन यूरोप से … * की दौलत, आप यूरोप के एमपीज़ को यहां किराये पर लाते हैं। …(व्यवधान) सर, ये … * को लाते हैं, श्रीनगर ले जाने के लिए, यह दिखाने के लिए कि हालात वहां पर सामान्य हैं। …(व्यवधान) मैं सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों से पूछता हूँ कि क्या यह आप लोगों का अपमान नहीं है? …(व्यवधान) क्या आप लोग श्रीनगर जा सकते हैं? …(व्यवधान) क्या आप लोग कश्मीर जा सकते है? यह हम सभी सांसदों के लिए अपमान है। …(व्यवधान) यह हम सब एक … * शिकार होते हैं। …(व्यवधान) सर, जम्मू-कश्मीर को खोल दिया जाए। फारुख अब्दुल्ला साहब को इतने दिनों तक हिरासत में रखने की वजह क्या है? …(व्यवधान)

आप कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर आंतरिक मामला है, लेकिन आपने खुद इसको अंतर्राष्ट्रीय मामला बना दिया है। …(व्यवधान) यह हमने नहीं आपने किया है। …(व्यवधान) यह इंटरनल मामला नहीं, इंटरनेशनल मामला खुद आपने बनाया है। …(व्यवधान) यूरोप से आप … * को लाते हैं। …(व्यवधान) सर, हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां बाहर के लेबरों का खून होता है। …(व्यवधान) आर्मी के जवान जान गंवाते हैं। …(व्यवधान) हमारे जिले से पांच लेबरों का खून हो चुका है। …(व्यवधान) खून बंद नहीं हुआ है। …(व्यवधान) आर्मी का जान गंवाना बंद नहीं हुआ है। …(व्यवधान) तो फिर किस तरह के हालात सामान्य होने की बात की जा रही है? …(व्यवधान)

* Not recorded.

सर, मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है? ऑपरेशन तो कर दिया है, लेकिन मरीज नहीं बचा है। …(व्यवधान) Operation is done; but patient died. …(व्यवधान) आपने कहा था कि हम कश्मीर को सुधारेंगे। …(व्यवधान) एक के बाद एक यहां सदन के अन्दर हमें गुमराह करने के लिए? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज़, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, अब आप मेरी बात को सुनिए।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, हम चाहते हैं कि इस विषय पर यहां पूरी चर्चा हो। …(व्यवधान) सर, हमारे लीडर्स, मनमोहन जी, सोनिया जी, राहुल गांधी जी, के सुरक्षाकर्मी हटा लिए गए हैं। …(व्यवधान) यह क्यों किया गया? …(व्यवधान) क्यो विपक्ष के लोगों का इस तरीके से अपमान किया जा रहा है? …(व्यवधान) हमारा क्या कसूर है? …(व्यवधान) जिस गांधी परिवार ने हिन्दुस्तान के लिए अपनी जानें गवाई हैं, हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी, पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी ने अपनी जान बलिदान की, उस गांधी परिवार की सुरक्षा इस ढंग से उठा लेना क्या सही है? …(व्यवधान) सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी जितने दिनों तक जिंदा थे, उतने दिनों तक उनको सुरक्षाबल प्रदान किया गया था। …(व्यवधान) सर, क्या यह अन्याय नहीं है?

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज़ बैठिए।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, इसलिए हम इस पर विस्तार से चर्चा चाहते हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, अब प्लीज़ आप बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज़ एक मिनट, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, हम विस्तार से चर्चा चाहते हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, फारुख अब्दुल्ला को रिहा किया जाए और सदन में पेश किया जाए। हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा मांगते हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, मैंने आपको इजाजत नहीं दी है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य**,** प्लीज़ बैठिए। मैंने आपको मौका दिया है, अब आप मेरी बात सुनिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि जब माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि माननीय सदस्य हिरासत में नहीं है, यह उनका वचन सत्य था ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उस समय लोक सभा में उनकी हिरासत की सूचना नहीं थी। अब माननीय सदस्य की हिरासत की सूचना मेरे पास लिखित में आई है। जब तक सदन में किसी माननीय सदस्य की, मैंने आपको मौका दिया है, मेरी बात भी सुन लें, जब तक माननीय सदस्य की हिरासत की सूचना मेरे पास नहीं आए, सदन उसको हिरासत में नहीं मानता। दूसरा विषय. . . .

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, आपको भी गुमराह किया गया है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। मैं आपसे आग्रह करूँगा, आप एक प्रतिष्ठित पार्टी के नेता हैं। देश के किसी भी माननीय सदस्य के बारे में इस तरीके के शब्द बोलना उचित नहीं है। मेरा मानना है कि दुनिया के अंदर भारत की संसद की, लोकतंत्र की एक पहचान है। हम आरोप-प्रत्यारोप लगाएं, लेकिन शब्दों का कम से कम ध्यान रखें, क्योंकि वे इस देश के माननीय सदस्य हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप माननीय गृह मंत्री जी से जवाब लेना चाहते हैं। मैंने आपको पहले कहा था, एक मिनट, जिस बात पर माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर आप जम्मू कश्मीर के विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा करें। मैं सरकार से आग्रह करूँगा। वे निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। श्री टी.आर. बालू जी।

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): My dear Sir, what has happened to Mr. Farooq Abdullah? Has he been detained under law? It is an illegal detention. How could you permit? …(*Interruptions*) You are the custodian of the House. I do

not find fault with friends from the other side, who are in the Ruling Party. I will find fault with you only. It is for you to intervene and see that this does not happen. Many Members raise their voices in the temple of democracy. What has happened to Ms. Mehbooba? She is a lady who is the former Chief Minister of Kashmir. Her daughter reported in the Press that her mother was manhandled. Is it proper on the part of the Ruling Party? Are we here to see all these things? …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस विषय पर लम्बी डिबेट, चर्चा कराने के लिए आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विषय रखें। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इस विषय पर चर्चा करेगी। माननीय सदस्य ने आप सब का सारा विषय रख दिया है। अब शून्य काल शुरू होता है।

श्री एच. वसंतकुमार।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने सब को मौका दिया है। दादा प्लीज। जम्मू कश्मीर के माननीय सदस्य, बोलिये।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): जम्मू कश्मीर का मसला है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दादा, अभी पश्चिम बंगाल का विषय नहीं है। जम्मू कश्मीर का विषय है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब इस विषय पर डिटेल्ड चर्चा होगी, तब मैं सब माननीय सदस्यों को, सभी राजनैतिक दल के सदस्यों को बोलने का मौका दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री के. सुरेश जी, आपके नेता ने बोल लिया है।

श्री हसनैन मसूदी : सर, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि श्री फारूख अब्दुल्ला 5 अगस्त को भी डिटेंशन में थे। उसके लिए पूरे सबूत हम भेज सकते हैं। दूसरी बात है, he is not under judicial custody. He is under preventive custody under Public Safety Act and Order can be revoked without judicial intervention. इनको कोर्ट में जाना नहीं पड़ेगा। वे ज्यूडिशियल कस्टडी में नहीं हैं । सिर्फ आपका हुक्म चाहिए । It is because you are under a Constitutional obligation to ensure his participation in the House. यह सिर्फ उनका ही हक नहीं है। यह श्रीनगर के 20 लाख लोगों का हक है, to be not voiceless in this House. उनको यह हक है कि उनका जो प्रतिनिधि है, उनका जो नुमाइंदा है, वह यहाँ आए।…(व्यवधान) इसमें चर्चा की कोई बात नहीं है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दादा, एक मिनट बैठ जाइए। इनको बोलने दीजिए।

…(व्यवधान)

श्री हसनैन मसूदी : इसमें चर्चा की बात नहीं है। आपका एक ऑर्डर चाहिए कि गवर्नमेंट उनकी प्रजेंस यहाँ एंश्योर करे।…(व्यवधान) फिर किस तरीके से करे, यह अलग बात है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दादा, आप भी बोल लीजिए।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I had given a notice for an Adjournment Motion.

HON. SPEAKER: No, not on that.

PROF. SOUGATA RAY: Today I have given a notice for an Adjournment Motion on the continued detention of Dr. Farooq Abdullah, former Chief Minister of Jammu and Kashmir, former Union Minister and presently a Lok Sabha Member. Dr. Farooq Abdullah is 83 years old and he has been kept in preventive detention since 5th August. The Government has cited no reason excepting that he is detained under the Public Safety Act along with his son and former Chief Minister, Shri Omar Abdullah and Mehbooba Mufti who is also a former Chief Minister of Jammu and Kashmir.

Dr. Farooq Abdullah has always taken a stand for integration of Jammu and Kashmir.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह विषय आ गया है।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: सर, थोड़ा धीरज रखिए ।…(व्यवधान) एक आदमी तीन महीने से जेल में है, आप थोड़ा सा धीरज नहीं रख सकते । आपसे थोड़ा सा धीरज चाहिए । मैं चाहता हूँ कि या तो आप गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट करें कि अभी डॉ. फारूख अब्दुल्ला को रिहा किया जाए, नहीं तो आप होम मिनिस्टर को बुलाइए और वे डॉ. फारूख अब्दुल्ला के डिटेंशन के बारे में स्टेटमेंट दें। यह बड़ी चर्चा

की बात नहीं है । कश्मीर एक पूरा... * बन गया ।...(व्यवधान) वहाँ भी ऐपल पिकर्स उसको......(व्यवधान) सर, मैं यह सब नहीं उठाता हूँ।...(व्यवधान) यूरोप से कोई ...* 22 आदमियों को ले आया, एमपीज़ ऑफ राइट-विंग पार्टीज इन यूरोप ।...(व्यवधान) हमारे हिन्दुस्तान के एमपी कश्मीर में नहीं जा पा रहे हैं।...(व्यवधान) ये सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर डिटेल चर्चा के लिए मैं आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से बात करूँगा।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सर, मैं यह बात उठाना चाहता हूँ कि उनकी उम्र 83 वर्ष की है।...(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI) : Sir, whatever he has spoken about Kashmir that it is becoming *...* * has to be expunged. What is this? What message is he going to give to the international community? Only on the basis of Rahul Gandhi's statement, people have gone to the UN. Kindly expunge that statement and it should not go on record. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही देखने के बाद उस पर व्यवस्था दे दी जाएगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दादा, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया चुप हो जाइए और बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं नाम लेकर पुकारना नहीं चाहता हूँ। आप बैठ जाइए।

माननीय सदस्यगण, मैंने आपको बिना किसी नियम-कानून प्रक्रिया के भी महत्वपूर्ण विषयों को उठाने की इजाजत दी है। मैंने आपसे पूर्व आग्रह कर दिया था कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए बीएसी मीटिंग एक बजे है। आप उस समय चर्चा करें। मेरा प्रयास होगा कि इस विषय पर डिटेल चर्चा हो। अब शून्यकाल होगा।

श्री एच. वसंतकुमार ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको आपका विषय उठाने का मौका दे रहा हूँ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको भी मौका मिलेगा। आप बीएसी में चर्चा कर लेना।

…(व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): महोदय, हमारी किसानों के बारे में बात है।…(व्यवधान) एक करोड़ किसानों से संबंधित बात है।…(व्यवधान) हमें शून्यकाल में तो उठाने का मौका दे दीजिए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हाँ, आपको जीरो ऑवर में पक्का मौका देंगे। आप नई भूमिका में हैं, आपको हम मौका देंगे।

SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANYAKUMARI): Respected Speaker, Sir, the hon. Health Minister has asked for some suggestions for revamping the CGHS. I have some suggestions to make.

Now the CGHS dispensaries function only from 8 am to 2 pm and the facility is not available after 2 pm. If one has to consult a doctor, he has to wait for one more day. However, in case, he approaches an empanelled hospital, there is a mandate that he has to get an emergency certificate from a hospital. However, it is not necessary that every time there should be an emergency after 2 p.m. Sometimes, a person could be suffering from a problem which may not be an emergency but still he cannot wait till the next day. In those cases, to simplify the consultation process, the patient should be allowed to consult empanelled private hospitals after 2 p.m. directly without being referred to by the dispensary even in case of non-emergency.

It is understood that the Ministry of Health and Family Welfare has to reimburse hospitals to the tune of more than Rs.1000 crore. It is because of this that a large number of empanelled hospitals have decided not to entertain patients for whom cashless facility has been extended. …(*Interruptions*)

12.22 hrs

(At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury and some other hon. Members left the House.)

12.23 hrs

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re: Reported suicide of a student in IIT Chennai due to alleged discrimination by teachers

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir, for affording me this opportunity. I would like to draw the attention of this august House to a very shocking incident which has taken place in Chennai IIT. You may kindly see that a brilliant girl, Fathima Latheef, who belonged to my constituency and was my close neighbour and her family is known to me, was found dead in the Chennai IIT campus on 9th November, 2019.

Sir, she was a brilliant girl and was the first rank holder in the entrance examination. She got admission in the Chennai IIT and was a first year PG student. She was found dead under mysterious circumstances. Her parents – the father, the mother and the sister – are making specific allegations regarding her death which was under mysterious circumstances.

Sir, I would like to show you the copy of a note from her mobile wherein the names of Professors, …[*], have been stated as the cause of her death. You may also kindly see that more than five persons, which included four students and one

---

[*] Not recorded.

teacher, have died under mysterious circumstances during the last academic year in IIT, Chennai.

The parents are also making specific allegations regarding the religious discrimination against the girl which she faced and which had been the cause of her death of Fathima Latheef.

माननीय अध्यक्ष : आप नाम मत बोलिए।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Finally, it has been learnt from a newspaper yesterday that the authorities of the IIT, Chennai have already registered a complaint before the police that the parents of the girl are trying to tarnish the image of that institution. It is very unfortunate. We mark our protest. I seek a high-level probe into this case. …(*Interruptions*)

Sir, this is not an isolated incident. Series of such incidents have taken place in IIT, Chennai during the last few years. The responsible persons should be booked and punished in a model way.

I would also like to urge upon the Government to have a high-level probe in this case so that no Fathima Latheef is forced to commit suicide in future in our country. …(*Interruptions*)

Sir, a discussion in this House is required on the subject because students of IITs and IIMs are being harassed and forced to commit suicide. A high-level probe is very much required in such cases so that culprits are booked. Thank you, Sir.

HON. SPEAKER : Shri/Shrimati Pratima Mondal, Shrimati Aparupa Poddar and A.M. Ariff are permitted to associate with the issue raised by Shri N.K. Premachandran.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, in the past 10 years, 52 students have committed suicide in IITs, the highest institutions of learning in this country. To a Question raised by me in Parliament, the Minister himself has accepted that nearly 72 cases have been registered of caste discrimination in institutions of higher learning. It is shameful. What are we teaching? What is the point of these institutions if this is what we are going to do to our students?

Fathima Latif was sent to IIT with a lot of promise. This girl has committed suicide under mysterious circumstances. Her parents say that before they went to the room of this girl, the whole place was cleaned up. Even the rope with which she hung herself, they say, has been removed. In the screensaver of her cell phone she has named a few Professors, but not a single FIR has been filed and no arrest has been done so far. The girl has specifically named a particular

Professor, but there has been no arrest. So, whom are they trying to protect? Why has the Professor not even been called for an interrogation? What is happening? The students are protesting. How many deaths and how much of discrimination can continue to happen over there? As my colleague has already mentioned, the IIT is saying that the name of the IIT is being tarnished. If students are going to kill themselves because of discrimination and if this is going to continue, I think, it is only fair to say that these Institutions cannot continue to function like this. Institutions of higher learning cannot become places for caste and religious discrimination. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले को श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, क्या आप बोलना चाहते हैं? अगर आपको बोलना है, तो बोलिए, नहीं तो जरूरी नहीं है।

…(व्यवधान)

श्री जुगल किशोर शर्मा: रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने जम्मू-कश्मीर में विशेष तौर पर मेरी पार्लियामेंट कंस्टीट्यूएन्सी में जम्मू से लेकर पुंछ तक नेशनल हाइवे के निर्माण के लिए स्वीकृति दी और धनराशि भी उपलब्ध करवाई। …(व्यवधान) जम्मू से लेकर अखनूर तक का जो काम है, वह बड़े जोर-शोर से चल रहा है और उसकी गति भी बहुत तेज है। …(व्यवधान) वहां काम तो चल रहा है, लेकिन मैं मंत्रालय के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अखनूर से लेकर पुंछ तक नेशनल हाइवे का जो काम है, वह बहुत ही धीमी गति से चल रहा है।…(व्यवधान) अगर मैं कहूं, तो अभी तक वहां काम भी शुरू ही नहीं हो पाया है। जम्मू से अखनूर तक का जो काम है, वह एनएचआईडीसीएल कर रहा है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप सभी बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री जुगल किशोर शर्मा: महोदय, अखनूर से लेकर पुंछ तक नेशनल हाइवे का जो काम है, उसे बीआरओ कर रही है। मैं बताना चाहता हूं कि किन्हीं कारणों से बीआरओ अभी तक इस काम को शुरू नहीं कर पाई है।…(व्यवधान)

महोदय, आपके माध्यम से सरकार एवं मंत्रालय से मेरी प्रार्थना है कि अखनूर से लेकर पुंछ तक नेशनल हाइवे का जो काम है, उसे एनएचएआई या किसी दूसरी एजेंसी को दिया जाए, ताकि उसका काम तेज गति से आगे बढ़े।…(व्यवधान) अखनूर से पुंछ तक नेशनल हाइवे का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। केन्द्र सरकार तथा रोड एवं ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से मेरी इतनी निवेदन है कि इस नेशनल हाइवे के निर्माण की तरफ ध्यान दिया जाए, ताकि जल्द से जल्द इसका काम शुरू हो सके।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सौगत दादा, आप बार-बार न उठें।

…(व्यवधान)

12.26 hrs

SUBMISSIONS BY MEMBERS … Contd.

(i)Re: Reported suicide of a student in IIT Chennai due to alleged discrimination by teachers

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक): माननीय अध्यक्ष जी, यह सारा प्रकरण आईआईटी चेन्नई से संबंधित है । आईआईटी, चेन्नई हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। इस आईआईटी ने देश में तमाम ऐसी प्रतिभाएं दी है, जिन पर हम गर्व भी करते हैं। इस घटनाक्रम के संबंध में आज उच्च शिक्षा के सचिव को चेन्नई भेजा गया है। वहां आई.जी. स्तर पर उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। जांच रिपोर्ट में जो कुछ भी आएगा, उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।…(व्यवधान)

SHRI T.R. BAALU : Sir, we want a CBI inquiry into this incident. We are not satisfied with the reply of the hon. Minister. So, in protest we are walking out.

12.30 hrs

(At this stage, Shri T.R. Baalu and some other hon. Members left the House.)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : मान्यवर, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

मैं बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और दलित, अल्पसंख्यक, शोषित तथा पीड़ित लोगों की आवाज को उठाने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, एनटीपीसी द्वारा टांडा में विस्तारीकरण का जो काम हो रहा है, उसमें पुनर्वास एक्ट 2013 का उल्लंघन किया जा रहा है। उसकी आवाज को मैंने पिछले सत्र में भी यहां उठाया था।

मान्वयर, बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि तीन माह बाद भी वहां के पीड़ित लोग, जिनको पुनर्वास एक्ट के हिसाब से आवास नहीं दिया जा रहा था, उन पीड़ित लोगों की कोई भी समस्या नहीं सुनी गई। समस्या न सुनने के बावजूद उन लोगों ने खास तौर से हुसैनपुर सुदना गांव के लोगों के घरों को जमींदोज़ कर दिया। इसमें अंत्योदय समुदाय से आने वाले लोग, दलित और अल्पसंख्यक लोग, जिसमें कृष्णा वाइफ ऑफ राजितराम, अन्य ऐसे लोग हैं, उनके घरों को जमींदोज़ कर दिया गया है।

मान्यवर, मैं इन बेसहाय लोगों से मिलने गया था। इनके बिलखते बच्चों को मैं सांत्वना देकर आया हूं कि लोक तंत्र के इस मंदिर में …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अगर अपनी सीट से बोलेंगे, तो आपका नाम स्क्रीन में आएगा। अगर आप अपनी सीट से नहीं बोलेंगे, तो आपका नाम स्क्रीन में नहीं आएगा, आपको संसद में पहचानेंगे नहीं। इसलिए आप अपनी सीट पर जाकर ही बोला करें। अभी बोल लें, आपको इस सीट से बोलने की इजाजत दी जाती है।

श्री रितेश पाण्डेय : मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इन बेसहाय लोगों से मैं मिलने गया था। इन लोगों को मैं सांत्वना देकर आया हूं कि लोकतंत्र के इस मंदिर में उनको न्याय मिलेगा। मान्यवर, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र से चलने वाली यह सरकार आज इन लोगों को पूरी तरह से …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री गोपाल ठाकुर जी ।

श्री रितेश पाण्डेय : मान्यवर, अभी मेरे पास समय है। तीन मिनट का समय है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य**,** कौन सी नियम प्रक्रिया में लिखा है कि शून्य काल में तीन मिनट का समय मिलेगा। माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए। यह अध्यक्ष का अधिकार है कि वह आपको कितनी देर बोलने का मौका देते हैं।

***SHRI GOPAL JEE THAKUR (DARBHANGA) :** Hon'ble Speaker Sir, I would like to draw the attention of the August House towards an important issue. Sir Maithili was included in the Eighth Schedule of the Constitution during the tenure of Late Shri Atal Bihar Vajpayeeji. At present, crores of people are speaking Maithili in the country. But, so far, no separate channel for displaying programmes in Maithili has been launched. That is why, the people living in Mithila feel overlooked and discriminated. Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Bhai Modiji has resolved to protect and propagate Maithili culture in the country. Sir, I would like to demand from the Government, through you, to set up a separate channel for round-the-clock transmission of programmes in Maithili. For this the entire community of Maithili-speaking-people would remain grateful to you. Many, many thanks, Speaker Sir.

---

* English translation of the speech originally delivered in Maithili.

माननीय अध्यक्ष : डॉ. संजय जायसवाल, श्री अशोक कुमार यादव, श्री रामप्रीत मंडल और श्री प्रिंस राज को श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर): स्पीकर महोदय, गुरु रविदास जी इस भारतवर्ष की धरती के बहुत महान गुरु हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में छुआछूत के विरुद्ध और सामाजिक बराबरी लाने के लिए पुरजोर प्रयत्न किए। उनकी जो वाणी है, वह गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है। गुरु रविदास जी के करोड़ों फॉलोअर्स देश और विदेश में हैं। यह माना जाता है कि दिल्ली के तुगलकाबाद में गुरु रविदास जी बहुत अर्से पहले आए और उनके आने के बाद वहां पर रविदास जी के नाम पर एक मंदिर बनाया गया, जो कि 12,500 गज की जमीन पर था। मैं खुद वहां पर गया। वहां एक तालाब था, मंदिर था और बहुत सारी चीजें थीं।

अध्यक्ष महोदय, यह दु:ख की बात है कि 10 अगस्त को उस मंदिर को तोड़ दिया गया। इससे करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस लगी। सारे देश में गुरु रविदास जी के फॉलोअर्स सड़कों पर आए, प्रोटेस्ट हुए। हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। यह मामला न्यायालय में चल रहा है।

श्री संतोख सिंह चौधरी : महोदय, यह न्यायालय की बात नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा कि वहां मंदिर बना दिया जाए।

भारत सरकार यानी डीडीए है, उन्होंने वहां पर सिर्फ चार सौ मीटर जमीन देने के लिए अपना प्रस्ताव रखा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस स्थान से करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। बाबरी मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन का आदेश आया है। मेरी भारत सरकार, डीडीए से रिक्वेस्ट

है कि जितना भी वहां पहले स्ट्रक्चर था, 12,400 गज में मंदिर था, वहां वैसा का वैसा ही मंदिर बनाया जाए। जो चीजें वहां थीं, वे बनाई जाएं। इससे करोड़ों लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आपस में चर्चा न करें।

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करती हूं। मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में रेल सुविधा पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रही है। भरतपुर के रेल यात्रियों को यात्रा करने के लिए अन्य स्टेशनों पर जाना पड़ता है। रेल सेवा नम्बर 12401 और 12402 कोटा देहरादून नंदा देवी एक्सप्रेस का ठहराव बयाना जंक्शन पर जनहित में किया जाए। बयाना में लाल पत्थर की विश्व मंडी है एवं देश के कई स्थानों पर भवन निर्माण में लाल पत्थरों का प्रयोग हो रहा है जिससे लाल पत्थर के कारोबार में लगे लोगों को सुविधा मिलेगी। भारत के कई पर्यटन बयाना क्षेत्र के आसपास हैं जिससे पर्यटकों को भी बयाना आने जाने में सुविधा मिलेगी।

मेरे संसदीय क्षेत्र में रुपवास उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा पर स्थित है। रुपवास एवं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल के लोगों को जयपुर जाने के लिए कोई रेल सुविधा नहीं मिल पा रही है। इससे फतेहपुरी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल से जयपुर के पर्यटन स्थलों तक जाने की सुविधा मिल जाएगी। सरकार से अनुरोध है कि जसकौर पैसेंजर रेल संख्या 59805 और 59806 जयपुर से बयाना तक चलती है, उसका फतेहपुर सिकरी वाया रुपवास हुए उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल फतेहपुर सिकरी तक विस्तार किया जाए।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरे संसदीय क्षेत्र के विशाल तहसील बयाना में कोटा देहरादून नंदा देवी एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाए।

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P. (LAKSHADWEEP): Thank you very much, hon. Speaker, Sir.

The issue, which I am going to raise is a very important issue as far as development of Lakshadweep is concerned. I need your shelter and advice on this issue because it is a peculiar issue, which may not be affecting other areas.

There is a service in Lakshadweep, which in 1995 was encadred to the DANICS (Delhi Andaman Nicobar Services) post. Earlier, Lakshadweep was not included in it, and in 1995 it got included in it. The peculiar problem that we face now is that most of the officers -- who come to Lakshadweep from the 13 encadred posts -- are freshers or entry cadre. So, they are directly coming to join the service in Lakshadweep.

Now, what is the problem? They find it difficult to understand the peculiar issues of Lakshadweep. Secondly, most of the officers do not want to come to Lakshadweep because it is a far-away place from their hometowns. Thirdly, the Director post, which is controlled by them, is very much locally-dependent and local people wanted to go and communicate their issues with these people, but they do not find it easy to understand their language. These three issues are hampering the development of Lakshadweep.

As you know, when you count Lakshadweep over a 12 months period, then obviously four months, as such, go because of monsoon. So, basically, we have six-eight months and in these six-eight months also, it becomes very difficult for these officers to understand the issues. To pin this particular issue, it was raised by me on several occasions in the Parliament Committees and in the recent Committee meeting, which I am a part of.

A proposal was also sent from the Lakshadweep Administration to encadre or extend the services of DANICS to the local people. Hon. Minister of State for Home Affairs is also sitting in the House, and I am happy to see him. The Administration has suggested to include or extend the services of DANICS to the local people. The problem presently being faced is that the growth of local officers -- who are educated and well-qualified -- is becoming stagnant at the level of Superintendent or Accountant. They do not have any possibility to grow further whereas in Delhi Administrative Subordinate Services (DASS) Cadre they have a high pay, and these local officers cannot reach up to that level because there is big pay disparity there also. So, to have a patch-up with the parity, the Lakshadweep Administration has proposed a final solution -- which can bring a solution for the local officers also -- to be encadred to the DANICS post.

We say that the son of the soil should also get proper opportunity. I wish that my people should also dream of joining the prestigious Indian Administrative Service so that Lakshadweep can be served in a better way. This is a peculiar

scenario and the Lakshadweep administration has submitted a detailed proposal to the MHA. The MHA is taking it up in a slow manner by sending unnecessary and unwanted questions to the Lakshadweep administration, which is not expected from the MHA. Hon. Minister may kindly look into the proposal of Lakshadweep administration in a serious way. This issue should be taken up seriously so that Lakshadweep can be developed in a big way. Thank you very much, Sir.

माननीय अध्यक्ष : श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर को श्री मोहम्मद फैजल पी.पी. द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हेमन्त पाटिल (हिन्गोली): माननीय अध्यक्ष जी, मैं महाराष्ट्र के हिन्गोली संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं । महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों का भारी नुकसान हुआ है। मेरे क्षेत्र में अभी तक छ: किसानों ने आत्महत्या कर ली है। महाराष्ट्र के लगभग 30 जिलों में फसल का भारी नुकसान हुआ है, 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है । बेमौसम बरसात के कारण 325 तहसीलों में 54 लाख 22 हजार हेक्टेयर में फसलों का नुकसान हुआ है । मराठवाड़ा, विदर्भ, कोंकण और महाराष्ट्र के मध्य भागों में फसलों को क्षति पहुंची है। इसमें सोयाबीन, ज्वार, कपास, धान, बाजरा, केला, अंगूर, संतरे की फसलें ज्यादा प्रभावित हुई हैं । इस प्राकृतिक आपदा के कारण मेरे संसदीय क्षेत्र में किसानों की फसल नष्ट होने के कारण नुकसान हुआ है।

मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के पीड़ित किसानों को इस संकट से उबारने के लिए जल्दी से जल्दी बीमा राशि का भुगतान किया जाए। जिन किसानों ने बीमा नहीं किया है, उनको एनडीआरएफ के मार्फत तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए। बीमा कंपनियों की प्रक्रिया बहुत

कठिन है, किसानों से बार-बार पेपर मांगे जा रहे हैं। बीमा कंपनियों ने हर तहसील से हजारों करोड़ों रुपये लिए हैं, लेकिन उनका न ही कोई कार्यालय है और न ही कोई कर्मचारी है। उन्होंने वहां दो-दो कर्मचारी डिप्यूट किए हैं। मेरा निवेदन है कि इनकी चौकसी की जाए। मेरी मांग है कि हर किसान को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये दिए जाएं।

माननीय अध्यक्ष: श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री अरविंद सावंत, श्री विनायक भाऊराव राऊत, श्री राहुल रमेश शेवाले, श्री प्रतापराव जाधव, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री राजन बाबूराव विचारे और श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक को श्री हेमन्त पाटिल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हिबी ईडन (एरनाकुलम): माननीय अध्यक्ष जी, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड देश की महारत्न कंपनियों में से एक है। देश के लाखों नौजवानों को इस रिफाइनरी के माध्यम से रोजगार मिल रहा है। The BPCL has four major refineries. The most important one is situated in Cochin; the second one is in Mumbai; the third one is in Madhya Pradesh; and the fourth one is in Assam. Sir, it has Rs.8.5 lakh crore assets; and it is making a profit of Rs.13,000 crore before GST; and after GST, it is making a profit of Rs.8,000 crore.

Sir, this refinery is not just producing petroleum products but also the by-products, which is used as raw material for many other major companies across the country. Bitumen is one major example which provides raw material for the entire Kerala. Sir, 27 per cent of the LPG cylinders is spread over 8.5 lakh crore families. There are many Central Government schemes which provide subsidies

to the common man through LPG cylinders. There are many other products which are being processed in this country.

Sir, 52 airports are being provided with aviation fuel with the help of the BPCL. There are many other factors. When the Government takes steps to privatise, we should also understand the story. There is an old story of a greedy man who kills his golden goose for becoming rich overnight. Unfortunately, he neither gets the golden goose nor the golden eggs. I strongly condemn the decision to privatise Bharat Petroleum Corporation Limited. The Government should withdraw this decision. When we talk about nationalism, the pride of the nation is being sold at a fast rate.

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): The hon. Finance Minister has declared that the Government will complete the process of selling two iconic institutions of the Indian nation – Bharat Petroleum Corporation Limited and Air India – before March next year. The reason for selling Air India is that it runs in losses and the reason for selling BPCL is that it runs in profits.

The paradox apart, I must point out one fact that the Government is selling the family silver when it puts the BPCL on the block. I understand the compulsion of the Government to meet the disinvestment target, failing which, the fiscal deficit target will go for a toss, but the Government owes an explanation why it chooses to sell a Maharatna company lock, stock and barrel. The company is one of the largest profit-making companies, even by the standards of the private sector

companies. Last year, it made a turnover of Rs. 3.37 lakh crore and a profit of Rs. 7,132 crore. That profit, unlike the profit of huge private and multinationals, does not go to the private individual's hands or go overseas in full measure. The Government of India is the direct beneficiary of the profits that BPCL makes.

Hon. Speaker, Sir, last year alone, BPCL contributed Rs. 2,196 crore to the Government as dividend. It paid Rs. 30,000 crore to the Government in the last ten years. In today's newspaper, the hon. Finance Minister said that the profitability has gone down but that is not correct. For the last four years, the contribution as dividend to the Central Government is Rs. 8,483 core. Sir, why the Government is killing the goose that lays the golden eggs!

I represent the place where one of the biggest expansion plans of the company is now nearing completion. The BPCL has invested Rs. 23,000 crore to make a major foray into petrochemicals. The company, in partnership with the Government of Kerala, is setting up a petrochemical park which is going to attract investments in tens of thousands of crores. Now, after having done everything, after investing huge amounts and making an entry into a very profitable business, now you want to sell it for a song. This is unacceptable and the Government must drop its plan.

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन को श्री बैन्नी बेहनन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि इस सूची के बाद भी कई माननीय सदस्यों ने आग्रह किया है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आपका सूची में नाम है, आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। किसी को आगे-पीछे करने का मेरा अधिकार है।

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Four killings of the people allegedly belonging to Maoist have taken place in Attappady, a tribal hamlet, by the Thunderbolt, a special group carved out of Kerala police, on the 28th and 29th of last month. Three men and a woman had succumbed to the shootout by the Kerala Police. There were fourteen police personnel during the shootout. According to the version of the Hon. Chief Minister of Kerala, the Thunderbolt personnel fired at the people in self-defence. The victims were carrying weapons and were attacking the police personnel. Interestingly, there was no injury or a wound on any police personnel in the attack. The police personnel were not even able to identify two victims of the shootout and yet, they charged them under UAPA.

As per the Hon. Supreme Court's order dated 23rd December, 2014, in PUCL vs. Union of India, it was said that FIR should be lodged in the event of any killing against a person who has lost his or her life. The Kerala Government has not yet lodged FIR against these police personnel. The atrocities committed are being investigated now by the Crime Branch.

Therefore, I urge upon the Government to order a judicial inquiry by a sitting judge into the incident so that the truth can be unearthed. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन को श्री वी. के. श्रीकंदन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, आपकी, सबकी बात आ गई है।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): अध्यक्ष महोदय, समाज सुधारकों महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले को भारत रत्न देने के बारे में मैं अपनी बात यहां रख रहा हूं।

महात्मा ज्योति राव फुले का जन्म वर्ष 1827 में पुणे में हुआ था। सत्य शोधक समाज के प्रणेता, भारतीय विचारक, समाज सुधारक, लेखक, ब्रिटिश काल में किसानों की बात रखने वाले और महिलाओं-विधवाओं के कल्याण के लिए काम करने वाले ज्योतिबा फुले ने किसानों की हालत सुधारने के लिए काफी काम किया है। वह एक समाज सुधारक थे। उनकी धर्मपत्नी सावित्री बाई फुले ने जब महिलाएं पढ़ नहीं पाती थीं, बाल विवाह और विधवाओं पर अत्याचार हो रहे थे, तब उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने अपने घर में स्कूल खोलकर महिलाओं को पढ़ाने का काम किया है।

ऐसे समाज सुधारकों महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले को भारत रत्न देने की मैं मांग करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री कृपाल बालाजी तुमाने, श्री प्रतापराव जाधव एवं श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक को श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान एक अत्यंत गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस समय देश की कई सहकारी बैंकों की हालत बहुत खराब है और कुछ बैंक्स बन्द भी हो गई हैं, जिनमें आम जनता, अधिकतर लोअर मिडिल क्लास के लोगों का मेहनत से कमाया हुआ पैसा डूब गया है। बैंक के कुछ डायरेक्टर लेवल के अधिकारी भारी मात्रा में कुछ कंपनियों को लोन देते हैं और फिर दिवालिया घोषित करके, उनसे भारी मात्रा में रिश्वत लेकर एंजॉय करते हैं और गरीब आदमी अपने जमा किए हुए पैसे के लिए तरस जाता है। रिजर्व बैंक और सरकार का कोई कंट्रोल इन पर नहीं है।

अभी हाल ही में पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के आठ खाताधारकों की जमा रकम पर आरबीआई द्वारा निकासी प्रतिबन्धों के कार्यान्वयन के बाद मृत्यु हो गई है। लोगों को उनकी गाढ़ी कमाई बैंकों से निकालने से मना किया जा रहा है, जो उनके जीवन भर की जमा पूंजी है। यह बैंक मेरे संसदीय क्षेत्र साउथ सेंट्रल मुंबई में वर्ष 1984 में सायन-कोलाडा में स्थापित किया गया था, जो आज देश में चौथा सबसे बड़ा सहकारी बैंक है। रिजर्व बैंक ने ऑर्डर जारी करके पैसे निकालने पर लिमिट लगा दी, जिससे न केवल व्यक्तिगत जमाकर्ता प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि बैंक में जिन कंपनियों, ट्रस्टों और स्कूलों के खाते हैं, वे अपने कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान करने के लिए पैसे निकालने में असमर्थ हैं। पीएमसी बैंक के डायरेक्टरों ने साठ-गांठ करके दिवालिया कंपनी एचडीआईएल को

करोड़ों रुपये का कर्ज देकर बैंक को भी दिवालिया बना दिया है। महाराष्ट्र की अनेक गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटियों के करोड़ों रुपये पीएमसी बैंक में जमा हैं, उनको गुरु नानक जी का 550वां गुरु पर्व मनाने के लिए भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा और उनको कहीं और से पैसे का इंतजाम करके काम निकालना पड़ा। इस बड़े बैंक घोटाले में आम आदमी क्यों सफर करे? उनको अपने ही जमा किए हुए पैसे को निकालने के लिए पिछले दो महीने से भटकना पड़ रहा है, आखिर उनकी क्या गलती है? मेरा सुझाव है कि जिन बैंक अधिकारियों ने यह कुकृत्य किया है, उनकी सम्पत्ति को बेचकर खाताधारकों को उनके द्वारा जमा किए गए पैसे का भुगतान करना चाहिए। अनुमान के आधार पर, बैंक को तत्काल पुन: आरम्भ करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करना आवश्यक है, जो आरबीआई को करना चाहिए। बैंक के जमाकर्ताओं को किसी भी समय अपने पैसे निकालने का अधिकार है और आरबीआई के प्रतिबन्धों के ऐसे कदम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बुनियादी सिद्धान्तों के खिलाफ हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि आरबीआई को इस बारे में दिशा-निर्देश जारी करना चाहिए और सरकार को सदन में एक बिल पारित करके सहकारी बैंकों को आरबीआई के अधीन लाना चाहिए, जिससे बैंक के अधिकारी जनता के धन से धोखाधड़ी न कर पाएं और उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री अरविंद सावंत एवं डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे को श्री राहुल रमेश शेवले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): अध्यक्ष महोदय, अभी गांधी संकल्प यात्रा के दौरान मुझे मेरे लोक सभा क्षेत्र सीकर के गांव में जाने का मौका मिला । जब क्षेत्र में गया तो लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने आई। जिस क्षेत्र में हजारों मन अन्न पैदा होता था, वहां वाटर लेवल नीचे जाने के कारण, जल संकट के कारण वहां के लोग भूखे रहने की स्थिति में आ गए हैं। यही स्थिति पीने के पानी की है।

ढाणियों में लोग रहते हैं। उन्हें हर महीने 4-5 हजार रुपये टैंकरों से पानी डलवाना पड़ता है। मेरा सरकार से विशेष तौर से जल शक्ति मंत्रालय से निवेदन है कि पानी की कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो लोग गांवों में रहते हैं, जिन्हें पीने के पानी की समस्या है, वहां नहर आदि की व्यवस्था करके पेयजल की समस्या का समाधान किया जाए ताकि वहां के लोगों की समस्या दूर हो सके।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं एक महत्वपूर्ण विषय 'कुपोषण' को आपके माध्यम से इस सदन में उठाना चाहता हूं। मैं यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का बहुत आभारी हूं कि जब वे गुजरात के मुख्य मंत्री थे तब से उन्होंने कुपोषण के मुद्दे को एड्रेस किया है। आज भारत सरकार और महिला बाल कल्याण मंत्रालय पोषण अभियान के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से कुपोषण के मुद्दे को एड्रेस कर रही है। लेकिन, अभी हाल ही में कम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, 2019 की रिपोर्ट पब्लिश हुई है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि कुपोषण की मात्रा अनुसूचित जाति की महिलाओं और बच्चों में ज्यादा है और कुछ प्रदेशों में अधिक है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि कुपोषण महिलाओं और बच्चों में ज्यादा है। उनमें मिनरल्स एवं विटामिन्स की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए उन्हें दूध और अन्य फूड सप्लिमेंट्स दिये जाएं।

महोदय, मैं एक बार पुन: अनुरोध करता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में जो कुपोषण की समस्या है, इन दोनों वर्गों को एड्रेस करके इस मुद्दे को वहां एक अभियान की तरह उठाया जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. किरिट पी. सोलंकी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): महोदय, लास्ट सैशन में भी ऐसा ही हुआ था और मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया था।

माननीय अध्यक्ष : इस बार ऐसा नहीं होगा।

श्री कृपाल बालाजी तुमाने : इसके लिए आपका धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। देश के आप सभी सांसद जानते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से अक्तूबर महीने में भारी बरिश होने के कारण लगभग सभी किसानों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। ऐसी कोई फसल नहीं है जो छूट गई हो, चाहे सोयाबीन हो, कपास हो। विदर्भ में बड़े पैमाने पर हॉर्टिकल्चर में अंगूर, नागपुर का प्रसिद्ध संतरा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आज की तारीख में उनका सब कुछ नेस्तनाबूद हो चुका है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि महाराष्ट्र के आदरणीय राज्यपाल ने जिस तरह से वहां के लिए राहत घोषित की है, वह बहुत ही कम है। उन्होंने 8000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देने की घोषणा की है। लेकिन सही मायने में उसका पंचनामा करने के लिए केंद्र सरकार की एक टीम महाराष्ट्र में जानी चाहिए और उसके बाद उनकी जांच की जो भी रिपोर्ट आए उसके आधार पर किसानों का जिस तरह का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जो हमारे किसान हैं, जिनकी सोयाबीन, कपास, धान की फसल है, उनको कम-से-कम 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब और जिन किसानों का संतरा व अंगूर है, उनको कम से कम 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। मैं यही मांग करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. श्रीकांत शिंदे और श्री श्रीरंग बारणे को श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, आज शिवसेना के दो-तीन खासदारों ने किसानों के बारे में बात की है। आज महाराष्ट्र की जनता प्रश्न विचार रही है कि सदन में आने के बाद आप किसानों की बात करते हैं, लेकिन जिस सरकार को मैजोरिटी दी है, अपने स्वार्थ के लिए।…(व्यवधान)

13.00 hrs

अगर किसानों के लिए लालच नहीं है,…(व्यवधान) अगर किसानों के लिए इतना प्यार, इतनी सहानुभूति है तो वहां पर आपको सरकार फॉर्म करनी थी। अब महाराष्ट्र में जो महा अकाल हुआ है, जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, इसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो शिवसेना का है। खुद का स्वार्थ, खुद का घर अगर न ध्यान में रखते, …(व्यवधान) किसानों के लिए मदद करने की भावना अगर मेरे दिल में है तो मुझे लगता है कि मैं खुद का घर भी जला सकती हूं। किसानों के हित में सरकार की मेजोरिटी के लिए सपोर्ट भी कर सकती हूं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती रमा देवी।

…(व्यवधान)

श्रीमती नवनित रवि राणा : अध्यक्ष महोदय, … *आज मुझे किसानों के बारे में बात करनी है। आपको मुझे टाइम देना ही पड़ेगा।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप किसान की बात करें।

* Not recorded.

श्रीमती नवनित रवि राणा: आज ताल्लुका में घूमकर देखा गया, सोयाबीन, कपास, मूंग, धान हर चीज का मेजर नुकसान हुआ है, आज हमारे राज्य का कोई माई-बाप नहीं है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से कहूंगी, हमारे राज्य का माईबाप सिर्फ केंद्र है।...(व्यवधान) केंद्र सरकार को हमारे राज्य के किसानों के लिए 50,000 करोड़ रुपये की मदद करनी चाहिए जिससे उनका घर चल सके। उनके दुख में एक चिराग जलाने की अगर कोई राह दिख सकती है, तो केंद्र सरकार से ही दिख सकती है।...(व्यवधान)

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): मेरे संसदीय क्षेत्र का शिवहर जिला स्वास्थ्य, कृषि, सड़क, शिक्षा, आर्थिक एवं आधारभूत संरचना की दृष्टिकोण से पिछड़ा जिला है।...(व्यवधान) शिवहर बिहार का ऐसा जिला है जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए मैं अनवरत रूप से विगत दस वर्षों से प्रयासरत हूं। यहां बाढ़ एवं सुखाड़ के कारण कृषि क्षेत्र में विकास नहीं है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए कोई संस्थान नहीं है।...(व्यवधान) चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण एक भी अस्पताल नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री जी के न्यू इंडिया विज़न 2022 के तहत बिहार के 13 जिलों सहित देश के कुल 115 पिछड़े जिलों का आकांक्षी जिला के रूप मे चयन किया गया है जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक उन जिलों का देश के अन्य जिलों के समकक्ष विकास करना है, परंतु दुख के साथ कहना चाहती हूं कि शिवहर जिला को न्यू इंडिया विज़न के तहत शामिल नहीं किया गया है जबकि सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड को शिवहर जिला पूरा करता है। ...(व्यवधान) ऐसा प्रतीत होता है कि जो जिला स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, सड़क, आर्थिक एवं आधारभूत संरचना आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं के आधार पर सर्वाधिक पिछड़ा है, उसे न्यू इंडिया विजन 2022 से वंचित किया जा रहा है। मेरा मानना है कि न्यू इंडिया विजन के अंतर्गत उन पिछड़े जिलों को शामिल किया जाए जो वास्तव में बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, जिससे इन क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो सके

तथा देश के जिलों में फैली आर्थिक एवं सामाजिक विषमता को दूर करने में उक्त विजन से सहायता मिलेगी।…(व्यवधान)

अत: सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के शिवहर जिला को न्यू इंडिया विजन को 2022 के तहत आकांक्षी जिला के रूप में शामिल किया जाए जिससे यहां पर बुनियादी आर्थिक विकास का ढांचा तैयार हो सके और लोगों की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि संभव हो सके। …(व्यवधान)

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Thank you. I request the Government to stick to its decision to abstain from the Regional Comprehensive Economic Partnership, a mega free trade agreement among the ten ASEAN countries as well as India, China, Australia, Japan, New Zealand and South Korea. There are reports that pressure is mounting on the Government to reconsider its decision. At this juncture, I would like to submit the apprehensions of domestic industries and farmers in this regard. RCEP seeks to open up markets by total removal or cutting down tariffs, by eliminating trade restrictions. This is the major concern of our domestic manufacturers since the RCEP proposes to make 92 per cent of India’s goods tariff free within the next 15 years. If it happens, our domestic manufacturing sector will be withered away and crores of people in the country would become unemployed.

Considering the current disastrous state of our rubber, coconut, pepper, cardamom, coffee, and tea farmers, if India agrees to the RCEP Pact then we would be signing the death warrant of our agricultural and other domestic industries.

Sir, hence I would strongly urge and request the Government to reconsider it and stick to its decision to abstain from the RCEP Pact. RCEP will decide the destiny of half of the population of the planet as it will be covering one-third of the global GDP. I would, therefore, strongly urge the Government to stick to its decision to abstain from the RCEP Pact.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में हापुड़ अपेक्षाकृत नया जिला है, जहां पर कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं था। देखा जाए तो अभी भी वहां नहीं है। वर्ष 2016 में हमारे माननीय कृषि मंत्री महोदय ने उसको सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी। बाद में प्रदेश सरकार ने उसके लिए स्थान की व्यवस्था की और स्थान की व्यवस्था भी हो गई है, परन्तु अभी वहां पर निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है और जो कृषि विज्ञान केन्द्र का विकास होना चाहिए, वह नहीं हुआ है। किसानों की मदद करने के लिए, गाइड करने के लिए प्रत्येक जनपद के अंदर कृषि विज्ञान केन्द्र बनाए जाने की व्यवस्था है और उससे उनको बहुत लाभ भी होता है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस काम के लिए पैसा अवमुक्त करें ताकि वहां पर निर्माण कार्य शुरू हो सके और जल्द से जल्द कृषि विज्ञान केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा हो सके।

श्री भगवंत मान (संगरूर): अध्यक्ष जी, मैं पंजाब की एक बहुत ही दु:खद घटना के बारे में बोलना चाहता हूं। यह दु:ख की बात है कि पंजाब में कांग्रेस की जो सरकार है, वह छुट्टियां मनाने यूरोप गई है। वे शिकार खेलने गए हैं और पंजाब में दरिंदे इंसानियत का शिकार कर रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र संगरूर जिले के चांगली गांव में एक दलित नौजवान को बहुत ही दरिंदगी से मार दिया गया। उसके मांस को प्लास से नोच-नोच कर, उस पर तेजाब छिड़क कर और जब उसने पानी मांगा तो उसको पेशाब पिलाया गया। ऐसी क्रूरता पंजाब में घटी है। लोग सड़कों पर बैठे है, उनका परिवार पीजीआई में बैठा है। वे 50 लाख रुपये मुआवजा की मांग कर रहे हैं और एक सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। वे पोस्टमार्टम करवाने को तैयार नहीं हैं, लेकिन पंजाब में कोई डिसिजन मेकर नहीं है। कोई फैसला लेने वाला नहीं है, क्योंकि मुख्य मंत्री साहब अपनी छुट्टियां मनाने गए हैं। मैंने कल चीफ सेक्रेट्री साहब को दो बार फोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी कोई डिसिजन नहीं ले सकता हूं, क्योंकि सीएम साहब बाहर गए हुए हैं।

<u>13.07 hrs</u> (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

मैं आग्रह करता हूं कि होम मिनिस्ट्री इमीडिएटली इन्टरफियर एन्टरफेयर करे। वह गरीब परिवार है और लोग संगरूर में भी बैठे हैं और चंडीगढ़ में परिवार धरने पर बैठे हैं। उनसे बात करने के लिए सरकार के पास कोई नुमाइंदा नहीं है। पंजाब में ऐसा बहुत कम देखा गया है कि पंजाब को लावारिस छोड़ कर सरकार यूरोप में घूमने गई है।

मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से आग्रह करता हूं कि कृपया पंजाब सरकार के अधिकारियों को आदेश दें कि उस परिवार को 50 लाख रुपये, जगमेर सिंह, जिसका नाम है, उसके परिवार को 50 लाख रुपये और सरकारी नौकरी दे कर, दोषी ऐसी मिसाली सजा हो कि आगे दलितों,

गरीबों या आम लोगों पर ऐसी दरिंदगी करने के लिए कोई सोच भी न सके। यह पंजाब की संगरूर की चांगली गांव की घटना है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि वह संज्ञान ले। पंजाब सरकार छुट्टियों पर गई हुई है। इस वक्त पंजाब लावारिस है।

माननीय सभापति : कृपया, एक मिनट में बात कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री चिराग पासवान (जमुई): सर, मैं एसोसिएट करना चाहता हूं।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया, आप लिख कर भेज दीजिए।

श्री चिराग पासवान को श्री भगवंत मान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

13.09 hrs

SUBMISSIONS BY MEMBERS … Contd.

(ii) Re: Polluted drinking water in National Capital Territory of Delhi

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): सभापति महोदय, आज दिल्ली की जो हालत है, वह तमाम अखबार, टीवी चैनल्स, सभी पिछले एक महीने से चला रहे हैं। इतना … * व्यक्ति, हमारा मुख्य मंत्री बन गया है, जिसके पास पड़ोस के राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बात करने का समय नहीं है। वायु प्रदुषण की बात हो रही है, लेकिन उससे बड़ी जो समस्या है, जिसके लिए आज हमारी बहनों ने धरना-प्रदर्शन किया है, वह पानी की समस्या है। दिल्ली को 11 हजार मिलियन गैलन पानी रोज चाहिए। लेकिन दिल्ली जो पानी बनाती है, वह केवल नौ हजार गैलन है। पानी बनाने का मतलब यह है कि एसटीपी प्लांट्स की जो क्षमता है, उससे कहीं ज्यादा पानी की हमें जरूरत है और उससे ज्यादा पानी उसमें जा रहा है। हम डाउन स्ट्रीम की तरफ हैं, तो अप-स्ट्रीम की जितनी गन्दगी है, वह भी आती है, लेकिन उससे ज्यादा गन्दगी दिल्ली से बाहर भेजते हैं।

सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो एक्वीफर्स पानी को रीचार्ज करते हैं, उनके अंदर क्रोमियम, कैडमियम और तमाम हेवी मेटल्स के कारण जो प्रदूषण आया है, इलेक्ट्रो-प्लेटिंग की इंडस्ट्रीज गैर-कानूनी तौर पर चल रही हैं, जिनको रोकने का कोई उपाय नहीं किया गया है। पानी के जितने भी पाइप्स हैं, वे चरमरा रहे हैं। पानी की व्यवस्था के ऊपर जो खर्च करना चाहिए था, वह खर्च फ्री सब्सिडी देने में किया जा रहा है। इससे व्यवस्था चरमरा रही है। जहाँ खर्चा करने की जरूरत है, वहाँ

---
* Not recorded.

खर्चा किया जाए। दिल्ली में पानी की समस्या, जो आज पूरे देश की समस्या बनी हुई है, उसके लिए काम किया जाए। कर्ज पर कर्ज चढ़ाए जा रहे हैं, यह बहुत ही दुख की बात है।

हमारा शरीर 70 प्रतिशत पानी से बना हुआ है और देश भर में सबसे ज्यादा प्रदूषित पानी दिल्ली को मिल रहा है।

माननीय सभापति: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाये गये विषय से संबंध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ कि आपने मुझे एक तात्कालिक लोक महत्त्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया है।

डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है कि किसी भी समाज के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स सौ से नीचे होनी चाहिए। आइडियल एयर क्वालिटी इंडेक्स 21 से 30 तक होनी चाहिए। चाहे दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, यू.पी हो, जिस तरह से ए.क्यू.आई. लगातार 500 से 600 के बीच रहा है, यहाँ तक कि पिछले कुछ दिनों में 1000 से ऊपर ए.क्यू.आई. पहुँच गया था, जिसके कारण स्कूल बंद करने पड़े, बच्चों को घरों में कैद रहना पड़ा, दिल्ली की सड़कें सूनी हो गईं। इसके संबंध में केवल ब्लेम गेम हो रहे हैं। दिल्ली के मुख्य मंत्री प्रेस कांफ्रेंस कर रहे हैं कि पंजाब के मुख्य मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, पराली जलाने को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आखिर दिल्ली की जनता या इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने कौन-सा गुनाह किया है कि सरकार केवल ब्लेम गेम करे। दिल्ली सरकार को एयर पल्यूशन से निजात दिलाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 192 करोड़ रुपये दिए गए और दिल्ली के एमसीडीज को 262 करोड़ रुपये दिए गए। दिल्ली देश की राजधानी है। इस दिशा में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के चीफ सेक्रेट्रीज को कहा है और पीएमओ भी चीफ सेक्रेट्रीज को डायरेक्शंस दे रहा है।

आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे गंभीर विषय पर आखिर कौन-से उपाय किए जाएंगे कि बजट देने के बाद भी इस प्रदूषण को कम नहीं कर सके, तो लोग कैसे दिल्ली-एनसीआर में रह पाएंगे।

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाये गये विषय से संबंध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे अपनी बात केवल एक मिनट में पूरी करें ताकि अधिक-से-अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जा सके।

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): Hon. Chairperson, Sir, the Mannuthy-Vadakkencherry, the National Highway No. 544, is the first ever six-lane highway project in Kerala. For the last 10 years, the construction work of the said project has been unfinished.

Sir, this is the gateway of Kerala. Most of the work is being carried out unscientifically. Proper maintenance is also not being done here. So far, 244 deaths happened on this road. Traffic snarls of six to seven hours is a regular thing. The Concessionaire and the National Highways Authority of India are indulging in foul play in this project. The Central Government should take action in this regard.

I would like to request the Central Government to take action on this issue and complete the work. As an urgent step, one tunnel in Kuthiran should be opened immediately. A very crucial action from the hon. Minister of Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari Ji, is required in this matter. Thank you, Sir.

13.15 hrs

SUBMISSIONS BY MEMBERS …Contd.

(ii) Re: Polluted drinking water in National Capital Territory of Delhi

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली) : माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

अभी-अभी जो बात हमारी साथी मीनाक्षी लेखी जी ने कही, मैं उसी बात पर आज एक बहुत ही अति-आवश्यक मुद्दा सबके सामने लाना चाहता हूं। यह मुद्दा यहां बैठे हुए हर व्यक्ति के लिए, जो 13 दिसंबर तक दिल्ली में रहकर यहां के पानी का सेवन करेगा, सबके लिए हैल्थ इमरजेन्सी जैसा है। सर, दिल्ली में हैल्थ इमरजेन्सी है। तीन माह पहले 300 सैंपल लेकर दिल्ली में टैस्ट हुआ। इसके लिए मैं राम विलास पासवान जी के उपभोक्ता मामले विभाग को धन्यवाद करना चाहता हूं। दिल्ली में लिए गए सारे 300 सैंपल्स किसी न किसी पैरामीटर पर फेल हो गए। यहां के मुख्य मंत्री चिल्लाने लगे – केवल दिल्ली का ही क्यों टैस्ट करते हो, पूरे देश का क्यों नहीं टैस्ट करते? राम विलास पासवान जी को धन्यवाद, उन्होंने 20 राज्यों में यह टैस्ट कराया और 20 राज्यों में आज सबसे खतरनाक पानी दिल्ली का आया है। दिल्ली की गलियों में हाहाकार है, पानी के लिए गली-गली चीत्कार है। किसी गली में यहां का कोई भी विधायक नहीं जा सकता है।

मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि बीआईएस के इस टैस्ट के बाद, जो फेल हुआ है, कोई न कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि ऐसे लोगों को, जो लोग इतना खतरनाक, जहरीला पानी दे रहे हैं, इस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे मुंबई का पानी बैस्ट हो जाता है, जहां पांच साल से जो सरकार काम कर रही है और कैसे दिल्ली का पानी जहरीला हो जाता है, इस पर जरूर संदर्भ लिया जाए। मैं आपको इसके लिए धन्यवाद करता हूं।

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री मनोज तिवारी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : सर, पानी का यह जो मामला है, कन्ज़्यूमर मिनिस्टर की हैसियत से हम पिछले चार सालों से इसके पीछे लगे हुए हैं। हम लोग वर्ष 1977 से दिल्ली में रहते हैं। हम पहली बार जीतकर आए थे। वर्ष 1985, 1990 के बाद पानी की बोतलें चलीं, पहले तो लोग यहीं का पानी पीते थे। आज की स्थिति यह है कि कोई आदमी नल का पानी नहीं पी सकता है, नीला-पीला पानी निकलता रहता है। इस कारण जहां कहीं अच्छे खाते-पीते लोग हैं, उन्होंने अपने यहां आरओ लगा लिया है या कुछ और कर लिया है, कुछ लोग बोतल का पानी पीते हैं। लेकिन 2/4 या 3/4 जो गरीब लोग हैं, जो झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है। 90-95 परसेंट बच्चों का शरीर कोमल होता है, यह गंदा पानी पीने के कारण किसी न किसी बीमारी से उनका शरीर ग्रसित हो जाता है।

हम लोग राजनीति में हैं। हम गरीब घर से आए हैं। हम बहुत चिंतित रहते थे। बीआईएस – ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हमारे अंडर है। वह देश में पानी और बाकी सब चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड बनाता है। हमने उनसे कहा कि लोगों ने हमारे पास कुछ सैंपल भेजे हैं, कि आप मंत्री हैं, इसको भी आप देखिए। इसके लिए मैंने इन लोगों को बुलाया था। मैंने आम आदमी पार्टी की सरकार के लोगों से भी कहा था। हमने जब वहां से सैंपल लिया और उसका प्राइमरी टैस्ट किया तो उसमें सब के सब सैंपल्स फेल हो गए। हमने कहा कि देखो, इस काम को गंभीरता से करो। उन्होंने हमसे कहा कि 10 बोतल से नहीं होगा, एक जगह से 100 बोतल सैंपल लेना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। उन्होंने 11 जगहों से, विभिन्न एरियाज़ से सैंपल लिया। यह सैंपल लेने के बाद मैंने दिल्ली जल बोर्ड से लोगों को बुलाया, जल बोर्ड से ही पानी सप्लाई होता है।

जैसा कि अभी मनोज तिवारी जी ने कहा कि जल बोर्ड पानी सप्लाई करता है, जिसका अलग-अलग इलाके में डिस्ट्रिब्यूशन होता है। उस समय भी उन लोगों ने बयान दिया कि – नहीं, हमारा पानी तो 100 परसेंट ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ से भी ज्यादा अच्छा है । हमने कहा कि हम इसमें कोई राजनीति करना नहीं चाहते हैं। हम तो सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति होंगे, जिस दिन यह मालूम हो जाए कि दिल्ली का पानी पीने लायक हो गया है। दिल्ली में कहीं भी, किसी के दरवाजे पर जब कोई गैस्ट आता है तो यदि वह ग्लास में पानी देखेगा तो वह उससे संतुष्ट नहीं होता है, जब तक वह सामने पानी की बोतल न देख ले। कोई बिना बोतल का पानी नहीं पीता है। उसके बाद हमने कहा कि एक काम करो, यह दिल्ली की सरकार का ही मामला नहीं है, प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि वर्ष 2024 तक हम पूरे देश में नल के द्वारा स्वच्छ पानी की व्यवस्था करेंगे । इसलिए सब जगह स्वच्छ पानी मिलना चाहिए । हमने कहा कि आप एक काम करो – जितने भी स्टेट हैडक्वॉर्टर्स हैं, फर्स्ट फेज़ में उनकी जांच करो, सैकेंड फेज़ में जो 100 स्मार्ट सिटीज़ हैं, उनकी जांच करो और थर्ड फेज़ में आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जांच करो, उसके बाद नीचे जाओ। इसके लिए एक महीने का समय था। हमने 3 अक्टूबर को बैठक बुलाई थी। जिसमें बोर्ड के लोग भी थे, एनडीएमसी के लोग भी थे और सारे के सारे लोग थे। सभी को हमने बतलाया था कि देखिए कैसा पानी निकल रहा है। उसके बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के दो दिनों के बाद हमने देखा भी नहीं कि रिपोर्ट में क्या है, कैसा है, क्योंकि हम कोई टेक्निकल आदमी तो हैं नहीं। लेकिन पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन सारी मीडिया के सामने उन्होंने रखा। उसमें स्टेट्स के पानी में सबसे ऊपर महाराष्ट्र का पानी और सबसे खराब पानी दिल्ली का है। उसके बाद हमारे जैसे लोगों पर आरोप लगाते हैं। मैं यह चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि मैं भारत सरकार में लगातार मंत्री रहा हूं। कोई मुख्य मंत्री, कोई एम.पी., कोई विधायक नहीं कह सकता कि हमने जीवन में कभी इन मामलों के लिए राजनीति की हो। जहां तक गरीब का सवाल आता है, हम उसमें कोई समझौता नहीं करना चाहते । इन्होंने कहा कि पक्षपात किया गया है और कहते हैं कि

कमेटी बना दें । मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि चाहे दिल्ली की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, यदि किसी को भी लगता है कि उनका पानी बहुत अच्छा है, तो सबसे पहली बात यह है कि यदि आपका पानी बहुत अच्छा है तो यह मैंडेटरी करो कि किसी भी आदमी को खराब पानी मिलेगा तो वह कोर्ट में चला जाएगा । नहीं तो, मैं आज घोषणा करना चाहता हूं कि मैं अपने यहां के वरिष्ठ अधिकारी, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के डी.जी. हैं, उनको नियुक्त करता हूं ।

आप भी अपने तीन अफसर दे दीजिए और जिस भी एरिया में आपको जाना हो, आप ज्वाइंटली कहीं भी जाइए । विभिन्न एरिया से आप पानी ले लीजिए और उसकी जांच आप जिस भी लैबोरेट्री में कराना चाहते हैं, उसमें करायें । हम उसका स्वागत करते हैं । मैं आज अनाउंस करता हूं और श्री केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि आप शाम तक नाम दीजिए, कल तक दीजिए, परसों तक दीजिए । इनके राज्य सभा के सदस्य बोलते रहते हैं । आप एम.एल.ए. से पूछिए । अगर हिम्मत है तो दिल्ली का कोई भी एम.एल.ए. पब्लिकली कहे कि हमारे एरिया में स्वच्छ पानी मिलता है और वह पीने लायक पानी है । कोई नहीं कह सकता है, इसलिए हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते । किसी वाद-विवाद में नहीं जाना चाहते । हम स्वागत करते हैं । हमारा मेन मकसद है कि लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिले और जो गरीब लोग हैं, जो आर.ओ. नहीं लगा सकते, बेचारे पानी गरम करके पीते हैं, तब भी सही पानी नहीं मिल पाता है । इससे ज्यादा चिंता का विषय और क्या हो सकता है? लोग इसमें राजनीति करते हैं । सारे के सारे मीडिया वाले, चैनल वाले सब जगह जाकर दिखला रहे हैं । अत: आपके माध्यम से मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप सब हमारा साथ दीजिए । इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए । देश में स्वच्छ पीने का पानी मिले, क्योंकि 90 प्रतिशत बीमारी उसी से पैदा होती हैं । मैं दिल्ली सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आप नाम दीजिए । कल तक दीजिए, आज तक दीजिए । मैं अभी जाकर नाम भेज दूंगा । जिस भी लैबोरेट्री से जांच करानी हो,

आप कराएं । हम इसके लिए तैयार हैं और इसकी रिपोर्ट को भी हम पब्लिक करेंगे । मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं ।

माननीय सभापति : धन्यवाद माननीय मंत्री जी ।

माननीय सभापति : अब श्री राम शिरोमणि जी ।

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): माननीय सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद । आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र जनपद-श्रावस्ती और बलरामपुर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो नितान्त ही पिछड़े हुए हैं । इन जनपदों में कोई मेडिकल कॉलेज, व्यावसायिक कॉलेज या रोजगार हेतु कोई उद्यम स्थापित नहीं किया गया है, जिससे बेरोजगारी की भयावह स्थिति बहुत पहले से ही विद्यमान है । इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पूर्व प्रधान मंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया था । आज भी ये दोनों जनपद श्रावस्ती व बलरामपुर बहुत ही पिछड़े हुए हैं । सरकार से अनुरोध है कि इन दोनों जनपदों के विकास हेतु विशेष ध्यान देकर मेडिकल कॉलेज, व्यावसायिक कॉलेज या कोई राजकीय विश्वविद्यालय का सृजन कर पिछड़ापन दूर करने की कृपा करें, धन्यवाद ।

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे (रावेर): धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया । हम सब जानते हैं कि अभी जीरो ऑवर में संसद में जो भी चर्चा हुई, काफी सांसदों ने महाराष्ट्र के किसानों की समस्या आपके सामने रखी । मैं भी यही कहना चाहती हूं कि हम हमेशा महाराष्ट्र के किसानों के बारे में, सूखे के बारे में इस सदन में चर्चा करते हैं ।

मैं इस बार भी चाहती हूं कि महाराष्ट्र के किसानों के बारे में इस हाउस में गम्भीरता से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि पिछले चार सालों में किसानों को जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसके लिए राज्य सरकार ने काफी हद तक किसानों की मदद की है । इस बार किसानों को आशा थी कि

अच्छी बारिश हुई है और अच्छी फसल उनके खेतों में होगी और दो पैसे उनको मिल पाएंगे, लेकिन ज्यादा बारिश होने के कारण किसानों का सौ प्रतिशत नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के राज्यपाल जी ने प्रति हेक्टेयर 8 हजार रुपये खरीफ के लिए और हॉर्टिकल्चर के लिए 18 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मदद की घोषणा की है। लेकिन मुझे लगता है, सभी सांसदों को लगता है कि यह मदद बहुत कम है। इस पर गम्भीरता से चर्चा होने के बाद सरकार इस के ऊपर कोई न कोई अच्छा कदम उठाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती रक्षा निखिल खडसे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री श्रीनिवास डी. पाटिल । आप बहुत समय के पश्चात् लोक सभा में आए हैं और पहली बार इस नए कार्यकाल में बोल रहे हैं।

SHRI SHRINIWAS DADASAHEB PATIL (SATARA): Sir, I am very much thankful to you for giving me this opportunity.

I have entered this august House for the third time but this is my first opportunity after my oath taking ceremony, to speak about an important issue which I am facing. केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या महाराष्ट्र में कम है और सांसदों को दो या तीन का कोटा दिया गया है। एक्स-आर्मी पर्सन की संख्या सतारा जिले में सबसे ज्यादा है और एक्स ऑफिसर्स भी हैं। कई लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे जाकर मिलिट्री में जाए। आप देखेंगे कि कितनी पोस्ट्स वेकेंट है, क्योंकि उनको उस तरह की ट्रेनिंग बचपन में नहीं मिल रही है। मैं चाहता हूं कि सतारा डिस्ट्रिक्ट, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें कहीं भी अगर सरकार केन्द्रीय विद्यालय खोलेगी

तो किसानों और कामगारों के बच्चों को शिक्षा मिलेगी और हमें भी रिकमण्ड करने पर दुआ मिलेगी। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

माननीय सभापति : आपका स्वागत है।

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील।

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): महोदय, मैं महाराष्ट्र के किसानों के ताल्लुक से आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा।

सभापति जी, हम बड़ी-बड़ी स्कीम किसानों के नाम पर चाहे वह राज्य में हो या केन्द्र में हो, शुरू करते हैं, लेकिन जब किसानों के ऊपर आफत आती है और इस हद तक आफत आती है कि वह अपनी जान गंवा बैठता है तो हम कैसे अपना मुंह फेर लेते हैं, उसका जिंदा उदाहरण हम देखकर आए हैं। महाराष्ट्र के किसानों की अगर हम हालत देखें, मैं जिस क्षेत्र मराठवाड़ा से आता हूं, वहां पिछले तीन सालों से सूखा पड़ रहा था। वहां के किसान बारिश नहीं होने से परेशान थे और सूखे की वजह से कई किसानों ने आत्महत्या की थी और इस बार कुदरत का करिश्मा देखिए कि वहां बारिश हुई और पिछले तीन साल की कसर एक बार में ही पूरी हो गयी। वहां इतनी बारिश हुई कि फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गयी।

सभापति महोदय, औरंगाबाद जिले से मैं आता हूं। वहां की 48 हजार हेक्टेयर में से 42 हेक्टेयर की पूरी फसल बर्बाद हो गयी है। हम वहां जब जा रहे हैं तो किसानों के सामने अंधेरा छाया हुआ है। किसानों को ऐसा लग रहा है कि हम यतीम हो गए हैं, हमारे ऊपर कोई वाली नहीं है, क्योंकि हकीकत यह है कि महाराष्ट्र में सरकार नहीं है। सरकार किसकी बनेगी, इससे कोई लेना-देना नहीं है। सभी लोगों ने यह मांग की थी, बल्कि हैरानी की बात यह है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने भी मांग की थी कि 25 हजार रुपये मिलने चाहिए, लेकिन किसानों को महज आठ हजार रुपये दिए गए हैं।

महोदय, आज महाराष्ट्र के किसान अगर किसी की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं तो वह आपकी कुर्सी की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि आपके पास यह अधिकार है कि आप सरकार को आदेश करें कि आठ हजार रुपये नहीं, हम उद्योगों के मामले में लाखों-करोड़ रुपये हम इंडस्ट्रीज़ का माफ कर रहे हैं, लेकिन किसानों को आठ-दस हजार रुपये देने पर ही अड़े हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि किसानों को जल्द से जल्द राहत पहुंचायी जाए।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं। आप बहुत समय तक यूनाइटेड बिहार में रहे हैं। मेरा गोड्डा इलाका है और मैं यहां से सांसद हूं। गोड्डा, देवघर, पाकुड़, साहबगंज, जामताड़ा और दुमका, इसी से सटे हुए बिहार के जिले हैं, भागलपुर, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिले हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद इत्यादि जिले बांग्लादेशी घुसपैठियों से ग्रसित हैं। इन सारे जिलों की आबादी की पूरी डेमोग्राफी दिन-प्रतिदिन चेंज होती जा रही है। वर्ष 2000 में जब झारखंड अलग हुआ था तो पाकुड़ जिले की आबादी, अगर आप अल्पसंख्यक के आधार पर देखेंगे तो मात्र 35-36 परसेंट थी। मुझे बोलने में सुविधा इसलिए भी है कि आप उन सारे जिलों को मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हैं। आज वह कम से कम 63 से 65 प्रतिशत है। यह किसी सैक्युलरज्मि का सवाल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको हिंदू और मुसलमान के दायरे में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो इस देश में हैं, चाहे वे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, वे सभी यहां के नागरिक हैं और जितना अधिकार हिंदुओं को है, उतना ही अधिकार मुसलमानों को है, उतना ही अधिकार सिखksa को है। लेकिन जो बाहर के लोग आते हैं, जो बंग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो बंग्लादेश के लोग हैं, इसी कारण से असम सरकार ने जिस तरह से एनआरसी लागू किया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उस एनआरसी में भी काफी बदलाव की आवश्यकता है। आप उस कमेटी के अध्यक्ष थे। सिटिजन अमेंडमेंट बिल, यह सरकार ले कर आ रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा

पत्र में कहा है कि पूरे देश भर में एनआरसी लागू होना है। एनआरसी यदि लागू नहीं होगा तो हमारे लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, संथाल परगना का, बिहार के लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। हमारे यहां एनआरसी जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। इन्ही शब्दों के साथ जय हिन्द जय भारत।

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब) : सभापति महोदय, हमारे पहले गुरू गुरू नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा था – 'पवन, गुरू, पानी, पिता, माता, तरतम हाथ।' एन्वायरमेंट के लिए उनका इतना प्यार और कन्सर्न था। आज जब भी दिल्ली में या कहीं भी वायु प्रदूषण की बात आती है तो उंगली पंजाब के किसान की तरफ उठाई जाती है। मैं भी मानता हूँ कि स्ट्रॉ बर्निंग एक बहुत बड़ी समस्या है। सर, उसके हल के लिए पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व की जो सरकार है, उन्होंने 25 सौ रुपये प्रति एकड़ किसान, जिन किसानों ने पराली नहीं जलाई है, उनको दिया है। मैं प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी से विनती करता हूँ कि वे भी पांच हजार रुपये प्रति एकड़ दे कर उन किसानों की मदद करें। सरकार की यह एक अच्छी स्कीम है, जिसके तहत इन्होंने सुपरसीडर, हैप्पी सीडर जैसे औज़ार और मशींस किसानों को सब्सिडी पर दिए हैं। मेरी दरख्वास्त है कि कृप्या कर उनकी सब्सिडी 50 से 80 पर्सेंट की जाए और जो बेलर है, जो इनकी स्कीम में नहीं है, उसको भी डाला जाए। जैसे इस बार 80 के करीब औज़ार दिए गए हैं, पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है, मेरी सिर्फ एक गुज़ारिश है कि किसानों को दिए जाने वाले जो औज़ार हैं, कम से कम दस हज़ार औज़ार इसी सीज़न में दिए जाएं। धन्यवाद।

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधान मंत्री जी और हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने देश के किसानों के हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम किया है। यह लगभग वे हर वर्ष कर रहे हैं। सरकार बधाई और धन्यवाद की पात्र है। इसी के साथ जनता का विषय है कि जैसे मेरे संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश में होशंगाद-नरसिंहपुर-रायसेन है, ये चना, मसूर और धान के बड़े उत्पादक जिले हैं। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि

न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे अनाज के दाम मंडियों में जा रहे हैं। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी का काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकारें हर किसान का माल खरीद लें यह इस देश में संभव नहीं है। हमें कोई न कोई ऐसा मैकेनिज्म तय करना पड़ेगा कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उससे नीचे अनाज मंडियों में न बिके। मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा अगर व्यवधान कहीं पर आता है तो विदेशों से जो माल आयात होता है और विदेशों की सरकारों से जो ट्रीटीज़ हैं, उनके तहत हमें माल आयात करना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो आयात शुल्क है, उसको इस लैवल पर ले जा कर रखा जाए कि जो बाहर से माल आता है, वह कम से कम हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे न बिक सके। हर हाल में हमारे देश में अनाज जैसे चना, मसूर, मटर, गेहूं धान आदि न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर ही बिके, सरकार की यह चिंता होनी चाहिए, मंडियों में ये दाम किसानों को मिले। आपके माध्यम से भारत सरकार से मैं यह मांग करता हूँ।

SHRI MAHESH SAHOO (DHENKANAL): Sir, I am really thankful to you for giving me an opportunity to raise an issue regarding the NH roads of Odisha especially of my Dhenkanal Parliamentary constituency. The roads from Pallhara-Deogarh, Pallhara-Keonjhar and Angul-Cuttack, are worst. The amount sanctioned by the Government of India is very negligible to complete the project. I urge upon the Government, through you, that special allotment be made and special repair and maintenance grants be given by the Government.

श्री हंस राज हंस (उत्तर-पश्चिम दिल्ली): सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा दु:ख साझा ही है, दिल्ली में बड़े अरमानों से आए थे। मैंने कहा यहाँ सियासी रहनुमा हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। संगीतकार भी हैं, उस्ताद अमजद अली खां, पंडित राजन मिश्रा, साजन मिश्रा, उस्ताद चरणजीत आहूजा, सारे के सारे कलाकारों की ओर से एक विनती है, उनकी

राग दरबारी खतरे में हैं। सब के गले प्रदूषित हवा से और गंदे पानी से खराब हो रहे हैं। सुर नहीं लग रहा है। सूर रूठ गए हैं। अगर संगीत रूठ गया, कहते हैं-

जग में अगर संगीत न होता, कोई किसी का मीत न होता।
यह अहसान है सात सुरों का, कि दुनिया वीरान नहीं है।

सुर-संगीत को बचाओ, शुद्ध हवा देने के लिए और पानी का दोबारा टेस्ट कराओ।

इसमें कुछ करो। जैसे पासवान साहब ने और माननीय अध्यक्ष जी ने बोला है। सर, मेरा भी सुर खराब हो रहा है। भगवंत जी ने जो संगरूर वाली बात कही, बहुत दु:खदायी घटना है। इस दौर में गैर इंसानी जो बिहेव हुआ है, उसको नोटिस में लिया जाए।

माननीय सभापति : हंस जी, एक बार में एक ही विषय। आपका वह विषय हो गया।

श्री हंस राज हंस: बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा यही अर्ज है कि राग दरबारी खतरे में हैं। कहां अमीरो गालिब, सियासी पंडितों की बस्ती, कहां यह सियासी फकीरों की बस्ती। थोड़ा फर्क पड़ गया है, इसको सुधारो। बहुत-बहुत शुक्रिया।

माननीय सभापति : स्वर जरूर बचाए जाने चाहिए।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री हंस राज हंस द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, I would like to draw the attention of the House to the fact through you, Sir, that most of the Indian private companies have 9 hours to 12 hours of work schedule per day ranging upto six days a week including travel time which is almost one hour one side. Half of the population spends 11 to 14 hours outside their homes. This leads to stress and

anxiety, cardiovascular disease and depression. Most of the employees cannot concentrate on their work due to long hours of work. The impact of mental health problem can have serious consequences for individual as well as for organisational productivity. According to Organisation for Economic Cooperation and Development, mental ill health is responsible for one-third and half of all long-term sickness and disability in the working age population.

Sir, we, in India, do not have any law to restrict this phenomenon. Therefore, I would like to request the Government to look into this matter. This should be discussed in the Parliament and fixed before getting the Occupational Safety, Health and Working Conditions Bill passed.

माननीय सभापति : श्री सुनील बाबूराव मेंढे को श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुरेश कश्यप (शिमला): हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है। प्रकृति ने इसको बहुत सुंदर बनाया है। टूरिज्म की अपार सम्भावना है परंतु आवागमन का मुख्य साधन सड़कें हैं। एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी बहुत कम है। पिछली सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 69 नेशनल हाइवेज इन प्रिंसिपल स्वीकृत किए थे, जिसके निर्माण में कुछ प्रगति हुई है। लेकिन मेरा आग्रह रहेगा कि इनका निर्माण शीघ्रातिशीघ्र किया जाए। नेशनल हाइवे बनने से यहां टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ अभी पिछले दिनों 7 और 8 नवम्बर को प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में इनवेस्टर्स मीट की थी, जिसमें देश और प्रदेश के बहुत सारे निवेशक आए थे। लगभग 92,000 करोड़ रुपये के एमओयूज़ साइन हुए। परन्तु अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सड़कें अगर यहां पर होंगी तो यहां ज्यादा निवेश होगा।

मेरा आग्रह रहेगा कि नेशनल हाइवेज का शीघ्रातिशीघ्र निर्माण किया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले और प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

श्री रमेश चन्द्र माझी (नबरंगपुर): चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। ओडिशा के कोरापुट जिले में कुंद्रा, बोइपरिगुडा, कोटपाड़ इलाके में धुरवा समाज के लोग रहते हैं। बहुत दिन हो गए हैं, उनको आदिवासी की जो मान्यता मिलनी चाहिए, वह अभी तक नहीं मिली है । ओडिशा गवर्नमेंट, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल भी एप्रूव कर चुकी है, ओडिशा गवर्नमेंट भी रिकमंड कर चुकी है । मेरी ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय से दरख्वास्त है कि DURUA कम्युनिटी को जल्द से जल्द एसटी कैटेगरी में शामिल किया जाए। धन्यवाद।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती): महोदय, महाराष्ट्र के बहुत सारे सांसदों ने महाराष्ट्र में जो बारिश हुई है, ओले पड़े हैं, उसके बारे में बोला है। बहुत लोगों ने और भी एक चीज बताई कि जो पैसा आज किसानों को मिल रहा है, वह बढ़ना चाहिए। मेरी माँग इससे थोड़ी अलग है। मेरी माँग है कि जो डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब हमने किसानों का 70 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया था। हमारी माँग है कि महाराष्ट्र के किसानों का कर्जा पूरी तरह से माफ करें और री-स्ट्रक्चरिंग भी करें। आज सुबह प्रश्नकाल में डॉ. संजय जायसवाल जी ने एक सवाल उठाया था कि जो कंपनीज हैं, कैलेमिटी हो, साइक्लोन हो, उनसे हुए नुकसान के लिए एमएसएमईज़ को मदद करने का सरकार ने वायदा किया था। ऐसा उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था। अगर आप इस तरह से इंडस्ट्री को हेल्प करेंगे, तो किसान के द्वारा तो सबकी थाली में भोजन आता है, वह सबसे बढ़िया और सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से किसानों की पूर्ण कर्ज माफी करनी चाहिए। यह हम सबकी माँग है। धन्यवाद।

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय**,** दार्जिलिंग पहाड़िया, तराई और डूआर के लोगों की लंबे समय से चल रही एक राजनीतिक माँग है, जिसने वर्ष 1986 से 1988, वर्ष 2013 से 2014 और पुन: वर्ष 2017-18 में गोरखालैंड राज्य की माँग का रूप ले लिया। सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए दो बार प्रयास किए। उसने दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल और गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन नामक सेमी ऑटोनोमस बॉडी का गठन करके ये प्रयास किये थे। ये दोनों ही प्रयास यहाँ के लोगों की लंबे समय से चली आ रही अलग राज्य की माँग का स्थायी राजनीतिक समाधान करने में असफल रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी यह क्षेत्र संवेदनशील है। यह क्षेत्र चिकन नेक क्षेत्र में आता है, जो भारत को पूर्वोत्तर राज्य से जोड़ता है। आज इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अवैध रूप से घुसपैठ हो रही है तथा विकास और आर्थिक प्रगति में भी यह पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है।

अत: मैं इस सम्माननीय सदन के माध्यम से सरकार से एक बार पुन: अनुरोध करता हूँ कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे तथा इस समस्या का स्थायी राजनीतिक समाधान निकालने के लिए केन्द्र सरकार**,** पश्चिम बंगाल सरकार और स्थानीय प्रतिनिधि के बीच त्रिपक्षीय बातचीत शीघ्रता से शुरू की जाए। धन्यवाद।

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री राजू बिष्ट द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. I would like to request the Government of India to release the pending payments of Rs.2,246 crore under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS).

As you are aware, the Government of India releases 75 per cent for material component and admin payments to the State Government and, in turn, the State Government allots 25 per cent of its share.

Regarding Andhra Pradesh, as on 11.11.2019, the pending material component and admin payments are Rs.2,246 crore including pending liability of Rs.1,447 crore pertaining to the Financial Year 2018-19.

I would request the Government of India to immediately release these funds to the State Government.

श्री अरूण साव (बिलासपुर): महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरे बिलासपुर की जनता बिलासपुर में हवाई सेवा प्रारम्भ करने के लिए 20 दिन से अधिक समय से आन्दोलनरत है।

महोदय, उनकी माँग जायज है, क्योंकि बिलासपुर में उच्च न्यायालय है, एसईसीएल का मुख्यालय है, एनटीपीसी है, केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और रेलवे का जोनल मुख्यालय है। वहाँ से हवाई सेवा प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है । चकरभाटा की जो हवाई पट्टी है, उसे टू-सी कैटेगरी का लाइसेंस प्राप्त है, लेकिन जब तक उसे थ्री-सी कैटेगरी का लाइसेंस प्राप्त नहीं होगा, तब तक हवाई सेवा प्रारम्भ करने में दिक्कत आ रही है। राज्य सरकार बिलासपुर की जनता की उपेक्षा कर रही है, उनकी

भावनाओं को नहीं समझ रही है। 2-सी कैटेगरी के हवाई अड्डे को 3-सी कैटेगरी में परिवर्तित करने के लिए जो आवश्यक विकास के काम हैं, जिसमें अधिकतम तीन से पाँच करोड़ रुपये तक का खर्च आएगा, उसे वह नहीं कर रही है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे बिलासपुर की जनता की भावनाओं का आदर करें और चक्रभाटा हवाई पट्टी को 3-सी कैटेगरी का हवाई पट्टी बनाकर बिलासपुर की जनता को हवाई सेवा प्रदान करें।

DR. M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): Sir, there is only one train running through my Polur Assembly Constituency. There are two projects which have already been sanctioned. They are Tindivanam – Nagari and Tindivanam – Tiruvannamalai. The reports have been given to the Government. I do not know whether the finances have been released yet or not. For the past twelve years, the Government is telling us constantly that the project will be completed next year. Unfortunately, last month, there was a meeting convened by the General Manager of Southern Railway. When I enquired about these particular projects that have been stalled for so many years, they told us that these two projects, Tindivanam – Nagari and Tindivanam – Tiruvannamalai, are the pet projects of the hon. Prime Minister. He himself attends the meeting through the video conference and expects the results from the authorities concerned. Unfortunately, the State Government has not acquired the land and has not handed it over to the Railway Department. This is the reply which is being constantly given by the Railway authorities.

So, I humbly request the Government of India to interfere in this matter because this has been a very big expectation from the people of Arani and there are no trains that are running in the Constituency. So, it is my humble submission to the Government of India to intervene and complete the project at the earliest.

श्री संजय सेठ (राँची): सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र झारखण्ड की राजधानी राँची में शहर के बीचों-बीच सेना के दो कैम्प्स हैं। एक कैम्प के पीछे जो गांव हैं, वहां दर्जनों गांवों में पन्द्रह से बीस हजार की संख्या में ग्रामीण लोग हैं। वहां पिछले चार दिनों से किसी को आने-जाने नहीं दिया जा रहा है। चाहे स्कूल के बच्चे हों, दूध पहुंचाने वाले हों, मजदूर हों, महिलाएं हों, सभी इसके लिए धरने पर बैठे हैं, लेकिन सेना के अधिकारी चुपचाप बैठे हैं। पहले कभी-कभी आधार कार्ड दिखाकर वहां से आने-जाने दिया जाता था, लेकिन अब वह भी बंद कर दिया गया है। वहां की स्थिति भयावह हो गयी है। वे जाएं तो जाएं कहां क्योंकि अब सड़क एक ही है।

इसी तरह, शहर के अन्दर नामकुम में एक कुटियाती चौक बस्ती है। सरकारी नक्शे में उसकी सड़क पास है। सड़क बन रही है। वह गांव का कनेक्टिंग रोड है, लेकिन सेना के अधिकारी उसे बनने नहीं दे रहे हैं। इसके कारण हजारों ग्रामीण वहां फँसे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इस पर सरकार किसी तरह कुछ न कुछ निर्णय ले ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता को कष्ट न भोगना पड़े।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you Sir. The Press is considered as the fourth estate and every Government and institution has to protect its sanctity as it highlights both the positives and negatives of the functioning of democracy. So, to gag the media - be it electronic, print or social – in a democratic country like ours, is absolutely uncalled for and unacceptable. The Government of Andhra Pradesh has recently issued G.O. No. 2430 giving powers to Secretary of every Department to file cases against TV channels, newspapers, media houses and social media who write or speak against the Government of Andhra Pradesh or its Ministers and leaders. This G.O. is against the basic tenets of democracy and sheer violation of freedom of speech and expression guaranteed under the Indian Constitution. The Order says that the Government of Andhra Pradesh empowers all Departmental Secretaries to file appropriate court cases through Public Prosecutor against news items published or posted in print, electronic and social media within 24 hours. This Order has followed an unwritten ban on the telugu TV news channels, TV5 and ABN Andhra Jyothi.

The height of this issue is that a journalist was killed by an MLA. Apart from this, there are ten incidents of attack on the media but so far, only four FIRs have been registered since June, 2019.

In view of the above, I request the immediate intervention of the Government of India to ensure that this draconian G.O. is withdrawn immediately and the unwritten ban on TV5 and ABN is lifted immediately. Thank you, Sir.

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): सभापति महोदय, आपने मुझे सत्र के पहले दिन ही बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

महोदय, मैं अपने क्षेत्र अमरेली का 15वीं, 16वीं और 17वीं लोक सभा का सदस्य हूं और तब से ही केन्द्रीय विद्यालय की मांग उठा रहा हूं। मेरा क्षेत्र लगभग 260 किलोमीटर का एरिया है। मेरा एरिया गुजरात में दूसरे नंबर पर आता है। वहां लगभग 900 गांव हैं। मेरा पूरा जिला कृषि आधारित है और पूरी तरह से पिछड़ा है। वहां केन्द्रीय विद्यालय के लिए मैं बार-बार मांग कर रहा हूं। गुजरात गवर्नमेंट की तरह से सारी रिपोर्ट्स यहां आ चुकी हैं। गुजरात के.वी. रीजनल कमेटी की भी सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। वहां के कलेक्टर ने इसके लिए लैंड भी एक्वायर कर लिया है। वहां 20 कमरों के लिए बिल्डिंग बनानी है। इस काम को भी एक साल से कर लिया गया है और पूरी व्यवस्था तैयार है, लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेंट से इसकी मंजूरी नहीं मिल रही है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए केन्द्रीय विद्यालय की जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए, क्योंकि यह एक पिछड़ा जिला है।

माननीय सभापति: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, I would like to draw the attention of the Government to the way the Madurai Airport has been treated. Madurai airport caters to the districts of Virudhunagar, Sivaganga, Ramanathapuram, Dindigul, Theni and Thirunelveli. Madurai Airport is the second largest airport in Tamil Nadu and it is also the gateway to southern Tamil Nadu. It has a historical link to Meenakshi as well as Sangam days.

In Tamil Nadu, Madurai Airport was started in 1954 and it has services across to Delhi, Mumbai, Chennai and Bengaluru. All the cities are connected to Madurai Airport. There are two demands which are genuine. It was made as a customs airport in 2013 by the then Government headed by Dr. Manmohan Singh. From 2013, it has been a customs airport. It is connected to Colombo. It is connected to Dubai. It is connected to Singapore. But still it is not called as an international airport. The international status has not been given and because of that night operations are not taking place in Madurai Airport.

Now this Government is headed by Prime Minister Modi. For the last five years, they have not given the night landing facility in Madurai and because of that, there is no international flight coming there. In the Bilateral Treaty also, foreign airline has not been included to come to Madurai. The discrimination towards Madurai Airport should end and Madurai Airport should be made as an international airport.

श्री देवजी पटेल (जालौर): सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज हमारे अन्नदाता किसान परेशान हैं। मेरे क्षेत्र में काफी अच्छी बारिश हुई थी और उसके कारण फसल भी बहुत बढ़िया हुई, लेकिन जैसे ही फसल काट कर खेत में इकट्ठा की गई, उसके कुछ ही दिन बाद हमारे क्षेत्र में एक भयंकर ओलावृष्टि और बिन मौसम बारिश अभी 13-14 तारीख के बीच में हुई। इसकी वजह से हमारे यहां बाजरा, ज्वार और अरंडी सहित सभी फसल चौपट हो गई।

महोदय, प्रधान मंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छी योजना "प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना" लागू की, जिससे किसानों को लाभ मिलता है । उसमें एक समस्या यह आ गई कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वे लापरवाही करती रहती हैं । आज इंश्योरेंस कंपनीज़ को रूल्स के अनुसार हर ब्लॉक में कार्यालय खोलना चाहिए । उन्होंने 72 घंटे में टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन देने की व्यवस्था रखी है । जब हमने उस टोल फ्री नंबर पर कॉल किया, तो वहां किसी ने रिसीव नहीं किया । हमने जैसे ही ब्लॉक ऑफिस के बारे में पता किया, तो वहां ब्लॉक ऑफिस भी नहीं मिला । उसके बाद हमने डी.एम. को पत्र लिखा । हमने डी.एम. को जैसे ही पत्र लिखा, तो उस पत्र की कॉपी को उन्होंने कृषि अधिकारी और इंश्योरेंस कंपनी को भेजी । उन्होंने वापिस कहा कि आप इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर पर शिकायत रजिस्टर कराइए ।

महोदय**,** किसान जब फोन करता है**,** तो वहां पर कोई रिसीव नहीं करता है । वहां पर हम टोल फ्री नंबर पर कॉल नहीं कर पा रहे हैं । वर्ष 2018 के खरीफ फसल का मुआवजा 300 करोड़ रुपये बाकी हैं । अभी भी इसका सर्वे नहीं किया गया है । मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से एक निर्देश जारी किया जाए, ताकि वहां पर एक सर्वे करवा कर उन किसानों को राहत दी जाए । धन्यवाद ।

SHRI BALUBHAU *ALIAS* SURESH NARAYAN DHANNORKAR (CHANDRAPUR): Thank you, Sir. The Indian economy is going from bad to worse as all indications coming from different sectors of the industry and services suggest a downward swing with no clear signal about the improvement of the economy in the second half of the current financial year.

All the international financial institutions have lowered the country's GDP growth estimate for 2019-20 as against the earlier projections. The latest is the rating agency Fitch's projection that the growth rate will be around only 5 per cent in the current financial year.

Sir, more than the issue of GDP growth, the major issue confronting the economy at the moment is the job crisis. New jobs are not being generated despite the entry of more than 10 million new job-seekers in the working force every year. More damaging is the latest reports that the employment level reached its lowest in 2018 in the last six years.

Therefore, my first question to the hon. Finance Minister is, would she tell us the reasons of unprecedented job loss and reported decline in consumption rate resulted out of the economic slowdown? How would the Government deal with the crisis of job loss and reducing consumption rate?

The real GDP growth for the April-June quarter was 5 per cent, the lowest since 2013 and the Government's own estimates for July-September quarter were even lower than the April-June quarter. I would like to urge the Government to tell us the reasons for this worst condition of Indian economy.

श्री अजय मिश्र 'टेनी' (खीरी): सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पूरी दुनिया में इस समय व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। ई-कामर्स कंपनियां डेटा का दुरुपयोग कर रही हैं। ऐसे समय में भारत एक बड़ा बाजार होने के कारण, भारत के वाणिज्य मंत्री जी ने

टेक्नोलॉजी व ई-कामर्स से संबंधित कंपनियों के साथ डेटा नियमों से संबंधित चर्चा की थी, जिसमें उक्त कंपनियों के प्रतिनिधियों ने आरबीआई के सख्त नियमों पर आपत्ति की थी। उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल डेटा भारत में ही स्टोर करने के नियमों की लगातार समीक्षा करने के संकेत दिए हैं। इसके कारण कुछ विदेशी कंपनियां, जैसे मास्टर कार्ड, वीजा आदि ने आपत्ति की है व अमेरिका जैसे देशों ने भी आपत्ति की है। वास्तव में हमारी आरबीआई ने यह तय किया है कि विदेशी पेमेंट कंपनियों को पर्यवेक्षण की दृष्टि से अपना डेटा भारत में ही स्थित कंप्यूटर में रखना चाहिए, जो हमारे देश के लिए वास्तव में बहुत आवश्यक है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि भले ही विदेशी कंपनियां इस पर आपत्ति करें, हमारी सरकार को इस नियम को और इसी कानून को बनाए रखना चाहिए और निजता की रक्षा व देश हित में विदेशी व्यावसायिक कंपनियों की मांगों के बावजूद इन नियमों को चालू रखना चाहिए।

माननीय सभापति: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अजय कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय सभापति महोदय, आपने शून्य प्रहर में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं। आज पूरे देश में मौसम का मिजाज गड़बड़ा गया है। कहीं मई में बरसात होनी चाहिए, तो वहां जुलाई में हो रही है। आपने देखा कि इस बार पहले सुखाड़ हुआ। हम बिहार से आते हैं। महाराष्ट्र के लोगों ने इस पर चर्चा की और मध्य प्रदेश के लोगों ने भी इस पर चर्चा की कि मौसम का जो मिजाज गड़बड़ाया है, इसको कैसे ठीक करना चाहिए? हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है।

हमने बिहार में देखा कि पहले सुखाड़ हो गया, फिर जुलाई में बारिश इतनी हुई कि पटना भी डूब गया। इस पर काफी चर्चा हुई। लोगों ने बताया कि 30 वर्षों के बाद इतनी बारिश हुई। मैं सदन से मांग करता हूं कि पूरे देश में इस पर चर्चा होनी चाहिए कि जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, मौसम का मिजाज जो गड़बड़ा रहा है, इसको कैसे ठीक किया जाए।

बिहार के माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर एक कार्यक्रम शुरू किया है - जल, जीवन, हरियाली। उन्होंने इसको लिया है, एडॉप्ट किया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो मौसम का मिजाज गड़बड़ाया है, इसको कैसे ठीक किया जाए?

डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): सभापति महोदय, आपने अति महत्वूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। महाराष्ट्र में काफी मात्रा में अतिवृष्टि होने के कारण, पूरे महाराष्ट्र को अगर किसानों की तरफ से देखा जाए, तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। काफी मात्रा में वहां फसल खराब हुई है और बहुत बड़ी मात्रा में किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। मेरे दिन्डोरी क्षेत्र में रिकार्ड 157 परसेंट बारिश हो चुकी है और पूरी नासिक जिला उसके लपेटे में है, जिसमें अंगूर, प्याज, अनार, बाजरा और मक्का है, जिससे किसान एक बड़े संकट में आ चुका है। पिछले पांच सालों से हमारी सरकार ने वहां पर किसानों की तरफ अच्छे से ध्यान देकर मदद दी है। लेकिन अभी तक वहां पर हमारी सरकार नहीं बन पाई है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार की ओर से जल्द से जल्द महाराष्ट्र के किसानों को मदद मिले।

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही पन्द्रह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.00 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock.

15.00 hrs

The Lok Sabha reassembled at Fifteen of the Clock.

(Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377

माननीय सभापति: नियम 377 के अधीन मामले।

श्री धर्मवीर सिंह जी।

(i) Need to set up CSD canteen and Sainik Vishram Grah in Bhiwani-Mahendragarh Parliamentary Constituency in Haryana

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): माननीय सभापति जी, मेरा संसदीय क्षेत्र भिवानी-महेन्द्रगढ़ सैनिक बहुल क्षेत्र है। भूतपूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं की दो मांगें हैं। भूतपूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं की पहली मांग है कि लोहारू जिला भिवानी (हरियाणा) में सी.एस.डी. कैंटीन खुलवाई जाए। 11 जनवरी 2011 की सर्वे में लोहारू व बहल ब्लॉक में 26561 पूर्व सैनिक/विधवा हैं। लोहारू व बहल ब्लॉक के पूर्व सैनिकों/विधवाओं को 60 कि.मी. दूर भिवानी में सी.एस.डी. कैंटीन में जाना पड़ता है। लोहारू के आसपास राजस्थान के भी करीब 2500 पूर्व सैनिक महज 18 कि.मी. के दायरे में आते हैं। इसलिए मेरा माननीय रक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि पूर्व सैनिकों/ सैनिक विधवाओं की कठिनाइयों को देखते हुए हल्का लोहारू जिला भिवानी (हरियाणा) में भी एक सी.एस.डी कैंटीन खुलवाई जाए।

दूसरा मेरे संसदीय क्षेत्र के सभी सब डिविजनों (नारनौल-महेन्द्रगढ़-करीना-भिवानी-दादरी-लोहारू-सिवानी-बाढडा-तोशाम) में करीब 25 लाख रुपए की लागत से सैनिकों के लिए विश्राम गृह (कम्युनिटी हाल) बनवाए जाएं।

HON. CHAIRPERSON: Dr. Ram Shankar Katheria -- not present.

Shri Sumedhanand Saraswati -- not present.

Shri Raju Bista

(ii) Regarding long pending demand of people of Darjeeling Hills, Terai and Dooars, West Bengal

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): The people of Darjeeling Hills, Terai, and Dooars have a long-pending political demand, which erupted as the Gorkhaland Statehood movement of 1986-1988, 2013-2014 and again in 2017.

The Government has already experimented twice by creating semi-autonomous bodies -- DGHC and GTA, both of which failed to address the demand for a permanent political solution to the long-pending demand for a separate State.

From the perspective of national-security, the area lies in the critical chicken-neck region that connects the North East with mainland India. Today, the region is vulnerable to illegal infiltration and severely lacks in development and economic progress.

Through this august House, I once again request the Government to intervene in the matter and initiate tripartite talks involving the Union Government, West Bengal Government, and Local representatives to find a permanent political solution to the long pending demands of the people at the earliest.

(iii) Need to ensure availability of TB medicines in all healthcare centres in Jalore and Sirohi districts of Rajasthan

श्री देवजी पटेल (जालौर): श्वास जनित रोग टीबी (क्षय रोग) जालोर एवं सिरोही जिलों (राजस्थान) में मरीजों की सांसे छीन रहा है, लेकिन क्षय रोग निवारण के लिए चल रहे सरकारी प्रयासों से मौतों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। टीबी ही नहीं बल्कि सिलकोसिस की चपेट में आने से भी अनगिनत मरीज असमय मौत के मुंह में जा रहे हैं। जोधपुर स्थित कमला नेहरू टीबी अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जाता है। लेकिन घर जा कर दवा लेने का प्रोसेस इतना जटिल व लम्बा है कि मरीज को दवा ही उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस कारण मरीज स्वस्थ ही नहीं हो पाता है।

अत**:** आपसे आग्रह है कि जालोर एवं सिरोही जिलों के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर टीबी और श्वास से संबंधित बीमारियों की दवा उपलब्ध कराई जाए।

माननीय सभापति : डॉ. उमेश जी. जाधव **-** उपस्थित नहीं ।

(iv) Need to provide compensation to farmers who suffered damage and loss of crops caused by strong winds and incessant rains in Chhattisgarh

श्री चुन्नी लाल साहू (महासमुन्द): सभापति महोदया, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, यहां की 80 प्रतिशत आबादी कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों में जुड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। पिछले महीने पूर्वी हवाओं के साथ चक्रवाती तूफान ने तबाही मचायी एवं 24 घंटे की बेमौसम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 42.8 मिलीमीटर बारिश आंकी गई। साथ ही इस बारिश का सिलसिला रूक-रूक कर अनेकों दिन तक चलता रहा। …(व्यवधान) इस वजह से खेतों में फसल के झुकने एवं गीले होने से कीट-पतंगों का प्रकोप भी बढ़ा जिससे फसल की तबाही हुई। अधिक फसल देने वाले अर्ली वैरायटी फसल लगाने वाले कृषकों को अत्यधिक नुकसान हुआ जिसकी भरपाई कर पाना मध्यम और निम्नवर्गीय किसानों के लिए असंभव है। स्वयं किसान होने के कारण मैं कृषक भाइयों की अंतर्दशा को समझ सकता हूं तथा जनप्रतिनिधि होने के नाते सदन के माध्यम से सरकार से मेरी गुजारिश है कि जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनका सर्वे करवा कर उन किसानों को मुआवजा दिया जाए।

माननीय सभापति: श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया - उपस्थित नहीं ।

श्रीमती रंजीता कोली - उपस्थित नहीं ।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी - उपस्थित नहीं ।

(v) Need to streamline the Public Distribution System in Sheohar Parliamentary Constituency, Bihar

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदया, सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अंतर्गत शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण जिले में पीडीएस (जन वितरण प्रणाली) में व्याप्त कथित अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र के शिवहर, बेलसंड, सीतामढ़ी सदर, पकड़ीदयाल एवं सिकरहना (ढाका) अनुमंडलों में राशन के उठाव एवं आवंटन में भारी अव्यवस्था है। अक्सर ऐसी शिकायत प्राप्त होती रहती है कि एक ही ग्राम पंचायत में अवस्थित किसी चुनिंदा डीलर को तीन हजार यूनिट तो दूसरे डीलर को मात्र एक हजार यूनिट राशन का आवंटन संबंधित एम.ओ. एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जाता रहा है तथा ससमय राशन का आवंटन भी नहीं होता और पंचायतों को दिए जाने वाले राशन को रोटेशन की तर्ज पर बेच दिया जाता है। बिचौलियों द्वारा सरकारी अनाज की कथित बंदरबांट हो रही है तथा इसमें कई माफिया सक्रिय हैं। इससे गरीबों को सरकार की जन-कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके कई प्रमाण हम लोगों के समक्ष आए हैं। राशन वितरण में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने हेतु सरकार के स्तर पर कई प्रयास हो रहे हैं, किन्तु भ्रष्ट तत्वों द्वारा सरकार के प्रयास को विफल करने हेतु एवं नियमों की अवहेलना के नये-नये रास्ते अपनाए जा रहे हैं। यह भी आवश्यक है कि ग्राम पंचायत अंतर्गत अवस्थित पीडीएस की दुकानों में एकरूपता लाने हेतु प्रत्येक दुकान को समान रूप से यूनिट के आवंटन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु नियम बनाए जाएं। मैं इस विषय से राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालय को भी समय-समय पर अवगत कराती रही हूं, परन्तु अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है।

अत: सदन के माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध होगा कि उपरोक्त विषय को अपने संज्ञान में लेते हुए अपेक्षित कार्रवाई की जाए, जिससे कि सरकार की कल्याणकारी योजना में व्याप्त अनियमितताओं को रोका जा सके तथा इसका शत-प्रतिशत लाभ गरीबों तक पहुंच सके।

(vi) Need to set up Kendriya Vidyalayas in Santhal Pargana region of Jharkhand

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): धन्यवाद, सभापति महोदया। मेरा विषय अंग्रेजी में है, मैं उसका हिन्दी अनुवाद पढ़ना चाहता हूं। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: नहीं, पर आपका हिन्दी अनुवाद बिल्कुल लाइन बाई लाइन ठीक होना चाहिए।

डॉ. निशिकांत दुबे: मैडम, यह लाइन बाई लाइन ही होगा।

श्री अधीर रंजन चौधरी: लेकिन इंग्लिश पढ़ने में क्या हर्ज है?

माननीय सभापति : यह झारखण्ड का मामला है।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठिए। यह बात आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूं, उनको इसे अपने क्षेत्रवासियों को समझाना है। उनको हिन्दी में पढ़ने दीजिए।

डॉ. निशिकांत दुबे: धन्यवाद, सभापति महोदया।

झारखण्ड राज्य दो इलाकों – संथाल परगना और छोटा नागरपुर को मिलाकर बना है। जो मेरा इलाका है – संथाल परगना, उसमें नक्सलवाद प्रभावी है और इस कारण से जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वे वहां के लोगों को बाध्य करती हैं अपने ही गृह क्षेत्र में होमलैण्ड से डिटैच होने के लिए।

वहां की जो सामाजिक और आर्थिक स्थितियां हैं, संथाल परगना की जो समस्याएं हैं, वहां एग्रीकल्चर उनका मेन काम है। वहां जो आबादी है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा कृषकों का है और इसके लिए मैंने हमेशा सरकार से आग्रह किया है कि एक कांप्रेहेंसिव प्लान बने, जिसमें उसमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं देते हुए भी, विशेष इम्फैसिस देते हुए, वहां के लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी डेवलप की जाए, जो इम्प्लायमेंट फ्रेण्डली हो। इस तरह का एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जाए, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। संथाल परगना छः जिलों – देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहबगंज और दुमका को मिलाकर बनता है। वहां का जो सामाजिक परिवेश है, जो शैक्षणिक परिवेश है, जो आर्थिक परिवेश है, वह उन सभी को बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बनाता है और इसलिए भारत सरकार ने उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया है। यदि वहां की सांख्यिकी को देखें, यदि वहां के इंडिकेशन्स को देखें, चाहे वह हेल्थ का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, साक्षरता का सवाल हो या लोगों की आय का सवाल हो, वे सभी एक खराब सी पिक्चर देते हैं कि पूरा देश आगे जा रहा है, लेकिन संथाल परगना पीछे है।

आपको पता है कि झारखंड अमीर राज्य है। यहां 40 परसेंट माइन्स और मिनरल्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहां के लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने को मजबूर हैं। अशिक्षा के कारण गरीबी है और उन्हें जानकारी न होने के कारण कम लिट्रेसी रेट और पुअर स्कूल अटेंडेंस है। शिक्षा के लिए कम विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं और इसके लिए बड़ी संख्या में बच्चे ड्राप आउट हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि हमारे यहां तीन जिलों में जरमुंडी जो दुमका जिले में, देवधर जो एक जिला है और महगामा जो गोड्डा जिले में है, संथाल जिले में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए, जिससे कि वहां के बच्चे पढ़ सकें।

(vii) Need to undertake widening and maintenance of NH 331 in Maharajganj Parliamentary Constituency, Bihar

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 331 है । इसकी लम्बाई छपरा से महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से होकर गुजरते हुए जिला-गोपालगंज के मोहम्मदपुर तक 65 किलोमीटर है । यह राष्ट्रीय राजमार्ग लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि छपरा, सारण को महात्मा गांधी की कर्मभूमि चम्पारण को जोड़ने वाली एक मुख्य सड़क है । इसलिए इसकी महत्ता को सहज रूप से समझा जा सकता है । इस सड़क के चौड़ीकरण के कार्य को कराने के संबंध में सरकार द्वारा स्वीकृति के बाद निविदा इत्यादि का कार्य सम्पन्न होने के बाद भी इसके जीरो माइल से लेकर सहाजितपुर बाजार के आगे तक के कार्य को शुभारंभ अभी तक नहीं किया जा सका है। इससे जनता को बहुत दुख है। इसके शुभारंभ नहीं होने का क्या कारण है? जबकि सहाजितपुर से आगे मोहम्मदपुर तक का कार्य बहुत पहले से ही किया जा रहा है । इस कार्य को नहीं किए जाने से हमारे संसदीय क्षेत्र सहित पूरे सारण प्रमंडल के लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। निविदा होने के उपरांत सड़क के रखरखाव करने का कार्य भी नहीं किया जा सका है। इस कारण सड़क में गड्ढे इत्यादि होने के कारण जनता को आवागमन में भारी असुविधा हो रही है।

अत: सभापति महोदया, आपसे मेरा अनुरोध है कि जनहित में उक्त महत्वपूर्ण सड़क के चौड़ीकरण, रखरखाव इत्यादि का कार्य कराने से संबंधित निर्माण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र कराए जाने हेतु कृपया भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को आवश्यक निर्देश दिया जाए।

माननीय सभापति : श्री ए. नारायण स्वामी – उपस्थित नहीं।

श्री विष्णु दत्त शर्मा - उपस्थित नहीं।

डॉ. शशि थरूर - उपस्थित नहीं।

(viii) Regarding construction of bypass on NH-66 at Attingal, Kerala

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): The proposal for construction of a new bypass at Attingal on NH-66 in Kerala is long pending. The National Highways Authority of India is planning this project as part of widening of Kazhakkuttam-Kadambattukonam stretch of NH-66. 3-A notification issued for this project was lapsed again in June, 2019 due to delay in issue of 3-D notification. The stretch through Attingal is the major bottleneck and thousands of travelers on NH-66 in Kerala are facing acute difficulties. I have raised this issue in this august House and and submitted representations to the hon. Minister for Road Transport and Highways. It is a very serious issue in my constituency. I urge the Government to consider this project on priority and issue 3-A notification urgently for completion of the bypass without further delay.

(ix) Regarding pension related issues faced by cashew growers in Kerala

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Cashew sector in Kerala faces extreme volatilities and the crisis is exacerbated as administrative complexities increase. The insistence of EPF Organization, Kollam for submission of pension claims solely online and stoppage of filing of manual claim in Form No. 10D have put poor labourers, especially aged, ailing and illiterate in distress. The complexities involved in obtaining various certificates and digital filing cause harassment of poor workers and they are denied their opportunity to avail pension. The manual claim in Form Number 10D may be continued for the EPF members in service as on 31/12/2019 and help be given to them. The denial of pension to cashew workers due to amendment to Para 9 of the EPF Scheme 1995 by replacing “actual service” by “contributory service” and the issue relating to definition of ‘seasonal factor’ and relaxation allowed under rules be remedied and workers be allowed to avail rightful pension.

(x) Regarding closure of Central Potato Research Station at Ooty, Tamil Nadu

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Central Potato Research Station (CARS), a premier institute functioning under Indian Council of Agricultural Research at Muthorai in Ooty, is well equipped with high tech laboratory, seed production and multiplication facilities in an area of 45 acres. CPRS is providing valuable services to the farmers in Southern India by supplying disease free seeds.

ICAR decision to shut down the CPRS at Muthorai will severely affect the growth of Potato in Southern India especially hilly district of the Nilgris, Dindigul, Krishnagiri and Erode in Tamil Nadu.

If this research station is closed, then Jalandhar which is located far away, will be the only option left to access disease free planting materials. This will also increase the cost of cultivation. Moreover, the varieties of North India are not suitable for southern Hills.

I therefore, request the Union Government not to shut down CPRS, Ooty for the welfare of farmers in Southern India.

(xi) Need to set up a plastic recycling unit in Jaynagar Parliamentary Constituency, West Bengal

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): The Government has been stressing on Swachh Bharat Abhiyan. Waste and pollution are obviously one of the most important issues that need to be dealt with. We are planning a complete ban on plastic usage. Here my main concern is about the fact that there are very few waste recycling units in the country. In an effort to make my constituency zero waste producing area, I am facing grave difficulties. My humble request to the Government is to set up a plastic recycling unit in Jaynagar Constituency and help me to achieve the vision of Clean India.

(xii) Regarding early completion of doubling work on Vijayawada-Bhimavaram railway line in Andhra Pradesh

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): I would like to draw the attention of the hon. Minister of Railways towards the early completion of doubling works of Vijayawada-Bhimavaram railway line which would be extremely useful for the fast-growing aquaculture business in West Godavari district as the farmers could quickly transport their produce to Chennai and Visakhapatnam. It also helps the passengers from heavy traffic which leads to long waiting time for trains and more trains could be operated in the due course. The doubling of this line was included in Budget 2011-12 with 50:50 cost sharing basis. This 175 km long railway line is considered as important one and its doubling will supplement the Vijayawada-Visakhapatnam main line covering 51 railway stations to facilitate introduction of new trains and speeding of existing trains. It will also be earning a good revenue to the Indian Railways. Keeping the importance of the doubling works in mind, I strongly urge upon the Government and the hon. Minister of Railways to take immediate steps for allocation of necessary funds for early completion of the doubling works without any further delay.

(xiii) Need to set up a Bench of the High Court of Bombay at Kolhapur

श्री संजय सदाशिव मांडलिक (कोल्हापुर): सभापति महोदया, मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र कोल्हापुर और आस-पास के पाँच जिलों- सांगली, सोलापुर, सातारा, रत्नागिरी और सिंधु-दुर्ग में अदालतों में लंबित मामलों की संख्या दस लाख के करीब पहुँच गयी है। अभी तक यहाँ के लोगों को अपने न्याय एवं हक के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट जाना पड़ता है। जैसा कि सर्वविदित है कि मुम्बई एक महँगा शहर है और कोल्हापुर से बॉम्बे हाई कोर्ट की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। हमारी न्याय प्रक्रिया बहुत जटिल होने के साथ-साथ इसमें काफी समय भी लगता है, जिससे इस क्षेत्र की आम गरीब जनता और सरकारी कर्मचारियों को अपने न्याय एवं हक के लिए मुम्बई के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे उनका काफी समय और अत्यधिक धन खर्च हो जाता है। इसमें से अधिकांश लोग बीच में ही न्याय प्रक्रिया को छोड़कर अलग हो जाते हैं।

कोल्हापुर के पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री सदाशिवराव दादोबा मांडलिक जो मेरे पिताजी भी थे, उन्होंने इस संसदीय क्षेत्र का चार बार प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने भी पूर्व में संसद के भीतर और बाहर इस मांग के लिए संघर्ष किया था। केन्द्र सरकार द्वारा गठित जसवंत कमेटी और बॉम्बे उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायमूर्ति मोहित शाह ने भी बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ कोल्हापुर में स्थापित करने के लिए कहा था। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र सरकार ने 19 जनवरी, 2019 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को कोल्हापुर में बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित करने का आग्रह किया है।

अत: मैं सरकार से यह मांग करता हूँ कि इस क्षेत्र की जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु जल्द से जल्द बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ कोल्हापुर में स्थापित की जाए।

(xiv) Need to grant special category status to Bihar

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालन्दा): माननीय सभापति महोदया, बिहार का विकास उचित नीतियों के अभाव में एवं विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कारणों के चलते बाधित होता आ रहा है। इस अवधि में जबकि दक्षिण एवं पश्चिम भारत के तटीय राज्यों में औद्योगिक विकास हुआ, मगर बिहार पिछड़ेपन का शिकार रहा। इसके अतिरिक्त नेपाल एवं अन्य राज्यों से प्रवाहित होने वाली नदियों से प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना में हुए नुकसान की भरपाई हेतु बिहार को अतिरिक्त वित्तीय भारत उठाना पड़ता है। ऐसे कारण जो बिहार के नियंत्रण में नहीं है, की वजह से राज्य को प्रत्येक वर्ष बाढ़ की पीड़ा झेलनी पड़ती है। बाढ़ राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यों पर काफी राशि व्यय होती है।

11वें वित्त आयोग में बिहार का हिस्सा 11.589 प्रतिशत था, जो 12वें वित्त आयोग में घटकर 11.028 प्रतिशत, 13वें वित्त आयोग 10.917 प्रतिशत और 14वें वित्त आयोग में 9.665 प्रतिशत हो गया। केन्द्र सरकार 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा को दिखाकर राज्य के हित की बात करती है, किन्तु 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत राज्यों का अन्तरण, जो 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया गया है, मात्र एक संरचनात्मक परिवर्तन है। एक ओर कर अंतरणों में वृद्धि के कारण राज्यों की जो हिस्सेदारी बढ़ी, वहीं दूसरी ओर केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय योजनाओं एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में कटौती के कारण काफी हद तक समायोजित हो गई। फिर बिहार जैसे पिछड़े राज्यों का भला कहाँ हुआ?

राज्य विकास के विभिन्न मापदण्डों जैसे- प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा स्वास्थ्य, ऊर्जा, सांस्थिक वित्त एवं मानव विकास के सूचकांकों पर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। बिहार विभाजन के उपरान्त प्रमुख उद्योगों के राज्य में नहीं रहने के कारण सरकारी एवं निजी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। केन्द्र सरकार ने भी इस क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए बिहार को कोई विशेष मदद नहीं की है। इन्हीं कारणों से राज्य के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और आज परिस्थिति यह है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आया राष्ट्रीय औसत से 58 प्रतिशत कम है।

अत: बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों और रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक मात्र उपाय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से ही होगा। दूसरा, बिहार एक थलरुद्ध राज्य है और ऐसे थलरुद्ध एवं अत्यधिक पिछड़े राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विशेष एवं विभेदित व्यवहार के हकदार हैं। इस संदर्भ में 15वें वित्त आयोग को बिहार जैसे पिछड़े राज्य को राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिए संसाधनों की कमी को चिह्नित कर विशेष सहायता देने की आवश्यकता है।

(xv) Need to roll back hike in hostel fee and other charges in Jawahar Lal Nehru University, Delhi.

KUNWAR DANISH ALI (AMROHA): Thank you very much Madam for allowing me to raise a very important issue under Rule 377. In the morning when I was coming to the House, students were demonstrating outside the Parliament House.

सभापति महोदया, जब से एनडीए की सरकार आई है, तब से देश में हर क्षेत्र में निजीकरण एवं व्यवसायीकरण हो रहा है। अब तो शिक्षा का भी व्यवसायीकरण होने लगा है। देश के कई केन्द्रीय विश्वविद्यालय इनकी चपेट में आ रहे हैं, जिसका जीता-जागता उदाहरण जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली के अंदर है। …(व्यवधान) वहां ज्यादातर देश के गरीब छात्र-छात्राएं अपनी हायर एजुकेशन प्राप्त करने आते हैं। …(व्यवधान) आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी प्रशासन ने होस्टल फीस में काफी बढ़ोतरी कर दी है। …(व्यवधान) मेस और सुरक्षा फीस में 400 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। मेस की सिक्योरिटी पहले 5,500 रुपये थी, जो अब बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी गई है। …(व्यवधान)

मैडम, यह बहुत ही निंदनीय है। अगर ऐसा ही रहा तो आज इस महंगाई के दौर में देश के गरीब तबके के छात्र-छात्राएं एजुकेशन कैसे पाएंगे? अत: इस सदन के माध्यम से मेरा आपसे अनुरोध है कि गरीब, मेधावी छात्र-छात्राओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस पर उचित कार्रवाई करें, ताकि गरीब मेधावी छात्र अपनी हायर एजुकेशन पूरी कर सकें।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

کنور دانش علی (امروہہ): محترمہ چیرمین صاحبہ ، جب سے این۔ڈی۔اے۔ سرکار آئی ہے تب سے ملک میں ہر علاقے میں نجکاری اور کمرشلائزیشن ہو رہا ہے۔ اب تو تعلیم کا بھی پرائی ویٹائزیشن ہونے لگا ہےملک کی کئی مرکزی یونیورسٹیاں اس کی چپیٹ میں ہیں، جس کا جیتا جاگتا ثبوت جے۔این۔یو۔ ہے۔ جہاں زیادہ تر ملک کے غریب طلبہ اور طالب علم اونچی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ آج جے۔این۔یو۔ انتظامیہ نے ہاسٹل کی فیس میں کافی اضافہ کر دیا ہے، میس اور سیکیوریٹی فیس میں 400 فیصدکا اضافہ کر دیا ہے۔ میس کی سیکیورٹی پہلے 5500 روپئے تھی جو اب 12 ہزار روپئے کر دی گئی ہے۔

یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور ایسا ہی رہا تو آج اس مہنگائی کے دور میں ملک کے غریب طبقے کے طلبہ اور طالب علم تعلیم کیسے حاصل کر پائیں گے۔ اس لئے آپ سے میری گزارش ہے غریب ضرورت مند ذہین طلبہ کے مسئلےکو دھیان میں رکھتے ہوئے اس پر مناسب کاروائی کریں، تاکہ غریب، زہین طالب علم بھی اپنی اعلیٰ تعلیم پوری کر سکیں..... شکریہ

(ختم شد)

(xvi) Regarding allocation of 7.7 lakh metric tonnes of urea during current rabi season to Telangana

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Thank you Madam for giving me this opportunity. As we all know, urea is one of the important fertilizer components which helps to provide plants with Nitrogen and also helps in photosynthesis. Delayed supply of urea, be it in kharif or rabi season, will derail the entire agriculture process of that season and farmers will have to pay a big price for no fault of theirs, because the supply of urea is the responsibility of the Government.

Due to copious rains in Telangana in September, it is expected to have increased acreage of cultivation. It is expected that there would be an increase of faming in about 41 lakh acres, which is 8.5 lakh acres higher than kharif crop season. Due to this, the State Agriculture Department has estimated that 7.7 lakh metric tonnes of urea is required for this rabi season. Secondly, acreage in kharif had also gone up, and the Government of Telangana had requested for additional 50,000 metric tonnes of urea but the Chemicals and Fertilizers Ministry sent only 37,000 metric tonnes. The balance of 13,000 metric tonnes to be sent to Telangana. Agriculture Minister of Telangana met Chemicals and Fertilizers Minister and submitted Memorandum for release of 7.7 lakh metric tonnes of urea and the balance 13,000 metric tonnes of urea for Telangana and also requested

for timely supply of urea so that farmers could take up their agricultural activities in time.

So, I request Government of India to immediately allocate and release 7.7 lakh metric tonnes of urea and the balance 13,000 metric tonnes without any further delay.

HON. CHAIRPERSON: Dr. Reddy, you have to read identical in language, not in substance. Only whatever is written, you just have to read it.

DR. G. RANJITH REDDY: I have already done it.

(xvii) Regarding Minimum Support Price for Massmeen (Dry Tuna Fish) product in Lakshadweep

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P. (LAKSHADWEEP): Thank you very much, Madam, for allowing me to raise an important issue under Rule 377.

Massmeen (Dry Tuna Fish) is a largely produced fish product of Lakshadweep fishermen. Fishermen are being exploited by the middlemen by undercutting the cost and thus, they do not even recover their cost. This product will be used on a larger scale in countries like Japan, if UTL Administration brings in technological advancements in its production. In order to save fishermen from huge financial loss, UTL Administration may start procurement process for Massmeen by fixing MSP for Massmeen.

HON. CHAIRPERSON: Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu – Not present.

(xviii) Need to provide compensation to farmers who suffered loss of crops due to unseasonal rains in Dadra and Nagar Haveli Parliamentary Constituency

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली): सभापति महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे क्षेत्र दादरा नगर हवेली एक केन्द्र शासित प्रदेश है। हाल ही में बेमौसम बारिश के कारण किसानों तथा आदिवासी किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मेरे क्षेत्र में छोटे किसान तथा आदिवासी किसान हैं। उनकी फसलों को बारिश के कारण हुई तबाही का शीघ्र केन्द्र द्वारा मूल्यांकन करने हेतु आग्रह करता हूं तथा ऐसे किसानों को शीघ्र मुआवजा राशि पहुंचाने हेतु उचित कार्यवाही की जाए, जिससे मेरे क्षेत्र के किसान आगामी फसलों की पैदावार करने हेतु खेती करने के लिए तैयारी करने में समर्थ हो सकें। इसके लिए ऐसे किसानों को आर्थिक सहायता देने की शीघ्र आवश्यकता है। आर्थिक परिस्थितियों के कारण ऐसे किसानों के परिवारों की जीवनयापन करने की स्थिति दयनीय हो रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति: जिन लोगों के नाम पहले छूट गए थे, उनके नाम एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। अगर वे आ गए हैं, तो अपना मैटर बोल सकते हैं। श्री खगेन मुर्मु।

(xix) Need to set up a Research Centre in Maldah Uttar Parliamentary Constituency, West Bengal to address the problem of arsenic contamination of water

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): धन्यवाद सभापति महोदया। नियम-377 के अधीन सूचना के अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र मालदा, पश्चिम बंगाल में जल में आर्सेनिक की समस्या के कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तरह-तरह की बीमारियां हो रही हैं। यह समस्या देश के एवं प्रदेश के कई भागों में भी है। संसदीय क्षेत्र के निवासियों को आर्सेनिक की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए एक रिसर्च सेन्टर तुरंत खोलने की आवश्यकता है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से सदन के माध्यम से विनम्र अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र मालदा उत्तर (पश्चिम बंगाल) में आर्सेनिक की समस्या और उससे होने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए एक रिसर्च सेन्टर तत्काल प्रभाव से स्थापित कराने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Prof. (Dr.) Ram Shankar Katheria – Not present.

Shri Sumedhanand Saraswati – Not present.

Shri Sangam Lal Gupta – Not present.

(xx) Regarding pending works of ESIC Medical College and Hospital Gulbarga, Karnataka

DR. UMESH G. JADHAV (GULBARGA): I would like to draw the attention of the hon. Minister of Labour and Employment and Minister of Health and Family Welfare towards the fact that ESIC Medical College and Hospital is in Gulbarga, Karnataka where Government of India has spent nearly Rs. 1200-1500 crores for the construction of the building and this building was inaugurated in the year 2014.

Medical college and under Graduate courses started in that building, but still a lot of work is pending. Every month more than Rs. 80 lakh electricity bill has to be paid by the Government due to the temporary arrangement. Drinking water provision has not been made properly. More than 50 per cent of residential accommodation is unutilised. Lift work and many major works are yet to be completed. It is requested that once again the entire building work has to be re-examined and instruction be given to the agency to complete the pending works.

(xxi) Need to facilitate grant of NoC for construction of road along Bariyarpur canal by Government of Uttar Pradesh

श्री विष्णु दत्त शर्मा (खजुराहो): महोदया, बरियारपुर बांध से निकलने वाली नहर जो कि सीमा से लगे राज्य उत्तर प्रदेश की ओर जाती है, उक्त नहर के बगल से निर्माणाधीन सड़कें क्रमश: पी.आई.यू. पैकेज क्रमांक 2824 के अंतर्गत मार्ग ग्राम मझगांय जंक्शन से पडरहा तक स्वीकृत लम्बाई 5.2 कि.मी. ग्राम उदयपुर से मझगांय जंक्शन तक स्वीकृत लम्बाई 7.00 कि.मी. एवं पी.आई.यू. पन्ना पैकेज क्र. 2828 (बी) के अंतर्गत मार्ग बरियारपुर डैम से यू.पी. बॉर्डर रोड स्वीकृत लम्बाई 24.80 कि.मी. बरियारपुर डैम कैनाल की रोड स्वीकृत लम्बाई 10.75 कि.मी. जिसकी कुल लम्बाई 47.70 कि०मी० की है, का निर्माण कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पन्ना के द्वारा कराया जा रहा था। किन्तु, नहर का अधिपत्य उत्तर प्रदेश सरकार का होने के कारण सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आपत्ति की गई और उक्त निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है, जिससे उक्त क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। ग्रामवासियों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं बरसात में स्थिति और भी खराब हो जाती है।

अत: महोद**या**, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि बरियारपुर नहर रोड के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने अथवा निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करवाया जाए, जिससे ग्रामवासियों को आवागमन में सुविधा हो सके।

(xxii) Need to construct sea walls along Thiruvananthapuram Coastline

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Madam, it is unfortunate that coastal fishing villages located in Thiruvananthapuram, which were once considered as India's prominent ports cannot even be called significant fishing ports now.

This is owing to rampant and damaging sea erosion for the past eight to nine years, particularly in Valiyathura, Poonthura, Beemapally, Panathura which has severely affected the lives and livelihoods of hundreds of families, especially of the fishing community. It has completely destroyed houses and is constantly causing more damage, displacing hundreds. Some take shelter in relief camps while others resort to emergency remedies at their own expense. The unfulfilled promises made by Kerala Government to construct seawalls along the Thiruvananthapuram coastline for protecting the shore from strong waves, have led to current appalling crisis for the fishing community. …(*Interruptions*)

I request the Central Government to consider the gravity of the situation and take immediate action to provide resources for sea wall construction along the coast of Thiruvananthapuram.

HON. CHAIRPERSON: Dr. Tharoor, only the approved text will go on record.

15.45 hrs

CHIT FUNDS (AMENDMENT) BILL, 2019

माननीय सभापति: अब आईटम नंबर – 9 लिया जाएगा ।

माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): Madam Chairperson, on behalf of Shrimati Nirmala Sitharaman, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Chit Funds Act, 1982, be taken into consideration."

The Chit Funds Act, 1982 was enacted to provide for the regulation of Chit Funds which have conventionally satisfied the financial needs of the low-income households. Chit Funds provide an important source of finance and at the same time, an avenue to save for small businesses and low-income households in India.

In a Chit Fund, a group of individuals come together for a predetermined duration and contribute a certain sum of money by way of periodical instalments at regular intervals. By combining credit and savings in a single scheme, people who are in need of funds and those who want to save are able to meet their

requirements simultaneously. But Madam there were many concerns raised by the stakeholders and to address those concerns the Government formed a Key Advisory Group on Chit Funds to review the existing legal, regulatory and institutional framework for Chit Funds and its efficacy and to suggest legal and regulatory initiatives required for orderly growth of the sector.

The legislative recommendations of the KAG included amendments to the Chit Funds Act, 1982 with an objective of reducing the regulatory or compliance burden of the Chit Funds industry on the one hand and also to protect the interest of the subscribers of Chit Funds on the other hand.

The Parliamentary Standing Committee on Finance, during the Sixteenth Lok Sabha, in its 21st Report had addressed all the issues and had also recommended finalisation of the legislative and administrative proposals for strengthening and streamlining of the registered Chit Fund sector.

Further the said Committee, in its 35th Report which is the Action Taken Report, has again recommended the need to quickly firm up the legislative and administrative proposals for the Chit Funds sector.

Today, I am bringing this Bill for the consideration of the House but there are some key points on the amendments to the Chit Funds which have been proposed. If you allow me, I will just take a couple of minutes to throw some light on them or if you want the Members to discuss them, I am open to it.

HON. CHAIRPERSON: It is all right. You may proceed.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैडम, मैं सिर्फ दो-तीन मिनटों में यह कहना चाहूंगा कि जैसे पहले सन् 1992 से बिल था तो जो इंडिविजुअल्स के लिए लिमिट थी, उसको एक लाख रुपये से तीन लाख रुपये किया गया और फर्म को छह लाख रुपये से बढ़ा कर 18 लाख रुपये किया गया। लगभग तीन गुना ज्यादा इसको किया है, क्योंकि वर्षों से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। सन् 2001 से जो इनफ्लेशन रेट है, उसको देख कर ही इसको तय किया गया कि इसको उसके आधार पर तीन गुना बढ़ाया जाए। अब चिट कौन निकाले यह भी एक चिंता का विषय रहता था तो कम से कम दो सब्क्राइबर्स वहां पर रहें और चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रहें और अगले कुछ दिनों के अंदर मीटिंग के मिनट्स वे रजिस्टर करवाएं, पास भी करवाएं। फिर जो फोरमैन होता था, जो चिट निकालने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार आदमी रहता था, जो इसको रन करता था, उसको पांच प्रतिशत पैसा मिलता था, उसको बढ़ा कर अब सात प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा जो ड्यूज़ थे वे न मिल पाएं सब्सक्राइबर के, तो उसका ग्रहण करने का अधिकार भी हमने फोर मैन को ही दिया था, ताकि वे भी उस काम को कर सकें। छवि बदले का इसमें एक प्रयास किया गया है तो इसको नाम और कुछ टर्म्स कुछ और दी गई हैं, फ्रेटरनिटी फंड्स और दूसरा जो है वह रोटेटिंग सेविंग्स और क्रेडिट एसोसिएशन एज़ ऑल्टरनेटिव नेम्स हमने सुझाव दिए हैं कि इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर जो इसमें डिविडेंट देने की बात कही जाती थी, क्योंकि डिविडेंट कंपनीज़ एक्ट के अंदर दिया जाता है तो इसमें शेयर ऑफ डिस्काउंट कहा गया क्योंकि जो डिस्काउंट से पैसा बचता है**,** वही आगे वितरित किया जाता है तो उसको डिविडेंट कहने की बजाय शेयर ऑफ डिस्काउंट कहा गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण पिछले कुछ वर्षों में आएं, जिसके कारण चिट फंड को ही बहुत नेगेटिव तरीके से देखा गया। अब जो चिट अमाउंट है, उसको भी रिप्लेस कर के ग्रॉस चिट अमाउंट कहा गया है, जो पूरा पैसा

इकट्ठा होता है और जो प्राइस अमाउंट है उसको नेट चिट अमउंट कहा गया है, जो पैसा बचता था, उसको आगे बांटने के लिए।

ये कुछ बदलाव इस बिल के माध्यम से हैं। कुल मिलाकर यह उन गरीबों के लिए है, जिनके पास सेविंग और पैसा उठाने का अन्य कोई जरिया नहीं था, सिर्फ यह जरिया उनके पास था। बहुत सारे लोग इसको इल्लीगल तरीके से देखते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यह लीगल है। राज्यों को हमने इसका अधिकार दिया है कि जो चिट की 100 रुपये कैप थी, उसको भी हमने दूर किया है। हमने कहा है कि राज्य निर्धारित करें कि कितनी उसकी कैप होनी चाहिए। इससे उसके सब्सक्राइबर को, रेगुलेटर को भी लाभ मिलेगा। इतना ही कहते हुए मैं सबसे कहता हूँ कि आम सहमति के साथ आप इस पर विचार करें और अपने सुझाव भी दें। बहुत सारी चर्चा के बाद यह बिल वापस इस सदन में आया है। पिछली लोक सभा में यह लैप्स कर गया था। अब अवसर आया है, पिछली बार आपने अनरेग्युलेटिड डिपॉजिट बिल को पास किया था। आज इस पर अच्छी चर्चा हो और इसके बाद बिल पास हो। धन्यवाद।

माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि चिट फंड अधिनियम, 1982 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका (कोरापुट): महोदया, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

Madam Chairperson, before I start speaking on the Bill, मैं कहना चाहूँगा कि चिट फंड के बारे में मैं 17वीं लोक सभा में दो-तीन बार बोल चुका हूँ। it is a major scam in Odisha. यह मैंने बजट में भी बोला था। अनरेग्युलेटिड बिल में भी इसके बारे में बताया गया था।

महोदया, आपके माध्यम से ओडिशा की जनता यह जानना चाहती है और मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो 20 लाख स्मॉल डिपॉजिटर्स हैं, they have been duped to the tune of Rs. 10,000 crore in chit fund scam. उन्हें पैसा कब मिलेगा? जो सीबीआई जाँच चल रही है, धीरे-धीरे यह स्लो होती जा रही है। पहले तो जाँच चल रही थी। जब मर्जी तब यह जाँच तेजी पकड़ती है और जब मर्जी जाँच स्लो हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मंत्री अपने जवाब में कम से कम यह बताएं कि ओडिशा के चिट फंड इन्वेस्टिगेशन का क्या हाल है? कब आप इसे कम्प्लिशन पर लेकर आएंगे? जो 20 लाख स्मॉल डिपॉजिटर्स हैं, उनको अपना पैसा कब मिलेगा, जो 10 हजार करोड़ रुपये का फंड है, आप इसे निश्चित रूप से अपने जवाब में बताइएगा।

अब मैं बिल पर आता हूँ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Is it monitored by the Supreme Court of India? …(*Interruptions*)

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका: अब मैं बिल पर बोलता हूँ।…(*Interruptions*)

Madam, I am not yielding. …(*Interruptions*) Please let me speak. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Do not disturb. Let him continue.

… (*Interruptions*)

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका: अब मैं बिल पर बोलता हूँ। मैं एक करैक्शन करना चाहता हूँ कि वर्ष 1992 नहीं, वर्ष 1982 में पहला बिल आया था। 37 वर्ष के बाद पहली बार फिर से यह एक अमेंडमेंट आने वाला है। 16वीं लोक सभा में यह बिल स्थायी समिति को गया था। एक बात तो यह है कि the chit will be drawn in the presence of at least two subscribers. यह बताया गया है कि सब्सक्राइबर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जॉइन करेंगे और चिट निकाला जाएगा। मैं ओडिशा से आता हूँ। जो मैं 10 हजार करोड़ रुपये का स्कैम बता रहा हूँ, टोटल सेक्टर का साइज 50 हजार करोड़ रूपये का है। लगता है कि वन फिफ्थ ओडिशा में ही है। ओडिशा में अगर आप टेलीडेंसिटी देखेंगे, न वहाँ मोबाइल नेटवर्क है, न वहाँ रूरल एरियाज में अन्य कोई सुविधा है। ये जो चिट फंड वाले हैं, यह जो अनआर्गनाइज्ड सेक्टर है, यह मुख्यत: गरीबों के बीच होता है। हम लोगों के पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा नहीं है। स्थायी समिति की रिपोर्ट में भी यह सुझाव दिया गया था कि टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्स-अप के जरिये कुछ कर सकते हैं या नहीं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगा कि क्या यह सुविधा दी गई है? जो चिट फंड में मुख्य समस्या है, यह अनआर्गनाइज्ड सेक्टर की है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 37 साल के बाद अभी भी अनआर्गनाइज्ड सेक्टर के बारे में कुछ ख्याल नहीं रखा गया है। मिस्टर टी.एस. शिवरामाकृष्णन, जो ऑल इंडिया एसोसिएशन चिट फंड्स के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी रिकमंड किया था कि अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर के लिए यह बिल काफी नहीं है। This is not enough for it. जो बताया जाता है कि Unorganised Sector is 100 times the Organised Sector. यह देखना चाहिए कि इस बिल के माध्यम से हम अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर को कैसे बिल के अंदर लेकर आएं।

Now, I come to the point of Security amount. In Section 21 of the main Act, उसमें यह है कि 50 परसेंट चिट फंड अमाउंट कैश में डिपॉजिट होगा फोरमैन थ्रू से और 50 परसेंट बैंक गारंटी की फोम में रहेगा। जो स्थायी समिति की रिपोर्ट थी और जो रिकमंडेशन है, उसमें यह

बताया गया है कि इसको केवल डिपॉजिट अमांउट 50 परसेंट ऑफ दी चिट वैल्यू करें और इसको कमेन्समेंट ऑफ चिट के टाइम में रखा जाए। यह भी इस बिल में कंसीडर नहीं किया गया है। एक चीज जो मेन है, फोरमैन का इंटरेस्ट सेव करने के लिए, it secures the interests of foreman by giving him right of land to secure dues on subscribers. इसमें सब्सक्राइबर्स के हित में कुछ भी नहीं है। They are not ensured. You have taken care of the foreman. यह ठीक है कि फोरमैन सब्सक्राइबर्स से कुछ कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ भी नहीं है।

यह रिकमेंडेशन में था कि जितने चिट अमाउंट है, उसका इंश्योरेंस कर सकते हैं, ताकि सब्सक्राइबर्स के इंटेरेस्ट को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें।

इतने सालों के बाद यह बिल आ रहा है, we have to look forward. माननीय प्रधान मंत्री जी 'न्यू इंडिया' की बात कर रहे हैं तो इसे इंश्योरेंस पॉलिसी के जैसे कर सकें। Can we allow undertaking fee based activities? क्रेडिट हिस्ट्री देखकर या ट्रांजैक्शन बेस्ड हिस्ट्री देखकर यह देखें कि क्या चिट फण्ड कम्पनी कर सकती है या नहीं? इसका प्रावधान रखें। Merely branding some names like fraternity and other things, I do not think we are going to solve it. इसे पूरा रेगुलेट करना चाहिए। इसे लौंग टर्म में एक प्रॉपर एनबीएफसी टाइप का करें, ताकि चिट फण्ड पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो और यह सस्टेनेबल भी हो। यह स्ट्रीमलाइन में हो। यह जरूरी है कि चिट फण्ड्स कम्पनी इसे रेगुलेट करके देखें। यह सिबिल के अन्दर आए। इसमें क्रेडिट और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो। This provision does not apply to any chit company which was started before it was enacted. जो चिट फण्ड पहले से है, उन सब के लिए यह एप्लीकेबल नहीं है। Madam Chairperson, through you, I would like to ask the Minister can we do something जो चिट फण्ड पहले से हैं, उन्हें रेट्रोफिट करके इस बिल के दायरे में लाएं। वीडियो

कॉन्फ्रेंसिंग हो, व्हाट्सएप्प हो, ये सब उस चिट फण्ड्स पर भी लागू हों, जो इस बिल से पहले ही एस्टैब्लिस्ड हैं।

आपने राज्य सरकार को यह एग्जेम्पशंस दिया है कि they may exempt certain chit fund companies from all or any provisions of the Act. मैडम, यह स्टेट गवर्नमेंट की बहुत ही डिस्क्रीमिनिशरी पावर्स हैं। आरबीआई के साथ जो डिस्कशंस होंगे, उसमें यह भी समझ में नहीं आया है कि रूल्स क्या है? They can exempt any chit fund company जो उन्हें सूट नहीं करता है।

100 रुपये की लिमिट बढ़ाने की जो बात हो रही है, यह भी स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। I think there should be proper rules. स्टेट गवर्नमेंट को सारे अधिकार न दिए जाएं क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि चिट फण्ड्स के जितने भी अपराध हैं, they are always supported by political patronage. यह देखना है कि हम इस बिल को कैसे मजबूत कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार न हो कि वे अपनी मनमर्जी से जिस किसी को एग्जेम्प्ट कर दें।

स्टैण्डिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी एक सुझाव है। अभी यह एनबीएफसी के अन्डर मिसलैनियस है। हम इसे एनबीएफसी चिट फण्ड्स और रोटेटिंग सेविंग एण्ड क्रेडिट एसोसिएशन का टैग दे सकें ताकि यह ज्यादा स्ट्रीमलाइन में हो और यह प्रॉपर तरीके से हो सके। इससे यह फायदा होगा कि चिट फण्ड एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो जाएगा।

इसके साथ-साथ यह बोलना चाहता हूं कि चिट फण्ड इंडस्ट्री जो 50 हजार करोड़ रुपये की है, इसे हम थोड़ा सोच कर ठीक से करते हैं। Let us make something sustainable and long-lasting. इसे हम एक विजन के साथ करें। इसके साथ रोसगार्ड करें। जो 5-7 प्रतिशत इन्क्रीज कर रहे हैं, यह काफी नहीं है।

मैडम, हमारे पॉइंट्स को देखिए और इस बिल को फिर से स्टैण्डिंग कमेटी में भेजिए।

Let us think about it. This is such a big organization, such a big sector. इसे हम पूरा सोच समझ कर करें।

Lastly, I would like to say that I am really expecting some answers from the hon. Minister. Let him answer on Odisha chit fund scam. ओडिशा चिट फण्ड स्कैम का कब सीबीआई इंवेस्टीगेशन पूरा होगा? जो ड्यूप्ड इंवेस्टर्स हैं, उनका पैसा उन्हें कब वापस होगा? इसकी एक टाइमलाइन बता दें और उनके लिए वे क्या कर रहे हैं, यह भी बता दें।

With these words, I conclude my speech.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): सभापति महोदया, मैं चिट फण्ड (संशोधन) विधेयक, 2019 का समर्थन करने के लिए यहां पर खड़ा हूं।

मैं अपने पार्टी के नेताओं का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे स्टैण्डिंग कमेटी ऑफ फाइनैंस में काम करने का मौका दिया। इस कमेटी में हम लोगों ने इस बिल के ऊपर काम किया। हमारे साथी निशिकान्त दूबे जी, भर्तृहरि महताब जी उस कमेटी में थे, दादा भी उस कमेटी में थे।

16.00 hrs

हम सभी लोगों ने मिलकर इस बिल को तैयार करने का काम किया है। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ भी हमारी बातचीत हुई। बहुत सारे डिटेल्स में जाने के बाद हमें पता चला कि इसका वॉल्यूम कितना है, इससे कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने लोगों को इसके माध्यम से रोजगार उपलब्ध होता है। इन सारी बातों की जानकारी हमें कमेटी में प्राप्त करने का अवसर मिला।

इस बिल के बारे में हमारे मंत्री महोदय ने जो प्रस्तुतीकरण किया, यहां कुछ अमेंडमेंड्स भी आए हैं। अमेंडमेंड्स के माध्यम से इस बिल को आने वाले दिनों में मजबूती दी जाएगी। इसमें जो लोग पैसे लगाते हैं, उनके पैसे का दुरुपयोग न हो, कोई गड़बड़ी न हो, किसी प्रकार का घोटाला न हो, इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है। इन सारी व्यवस्थाओं के बाद भी मैं मानता हूं कि यहां जिस प्रकार से बुद्धिमान लोग बैठकर कायदे बनाते हैं, उसके बाद उन कायदों को लागू किया जाता है। इसका जो दूसरा सेक्शन है, उसमें से लूपहोल्स निकाल कर लोगों को कैसे ठगा जाए, इसको रोकने की व्यवस्था करने वाले लोग भी यहां बैठे हैं। इस प्रकार की बहुत सारी व्यवस्थाएं होती रहती हैं। इसके लिए हमारी संसद है। हमारे देश में जो भी गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों पर हम और नकेल कैसे कसें, इसके लिए हम एक बार फिर अमेंडमेंट के माध्यम से सिस्टम को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं।

इस बिल में जो अमेंडमेंट हुआ है, उसमें यह व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति चिट फंड चलाता है, तो उसको एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने की इजाजत दी गई है। जो फर्म है, उसको छह लाख रुपये से 18 लाख रुपये तक छूट दी गई है। वह इतने बड़े पैमाने पर कर सकता है, लेकिन जो सरकारी तंत्र है, हमारे ऑफिसर्स हैं, हम सभी राजनीतिक लोग पूरे देश भर में काम करते हैं।

सभापति महोदया, इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। यह 18 लाख रुपये तक नहीं है। इसका वॉल्यूम इससे भी बहुत बड़े पैमाने पर है। इसमें जो मिनिमम रखा गया है और जो रेगुलेशन के बाहर है, इसमें 100 रुपये तक लोगों को रेगुलेशन से बाहर रखा गया है। मैं चाहूंगा कि इस पर बहुत सारे लोग डिबेट करें। अगर कोई अमेंडमेंट आता हैं या उसे 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये या 1000 रुपये करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसे का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है। वर्ष 1982 के बाद यानी 40 वर्ष बाद हम इसमें वर्ष 2019 में अमेंडमेंड कर रहे हैं। इन 40 सालों में देश बहुत आगे बढ़ गया है और रुपये के वॉल्यूम में भी बहुत बदलाव आया है। मैं मानता हूं कि यह 100 रुपये बहुत कम है। अगर इसको भी कोई बढ़ाने के लिए सिफारिश करता है, तो हमें उसको बड़े मन से स्वीकारना चाहिए, क्योंकि 100 रुपये तथा 1 लाख रुपये के बीच जो वॉल्यूम है, वह या तो रेगुलेशन के साथ चलेगा या रेगुलेशन के बगैर चलेगा। इस देश में हम लोगों ने देखा है कि जो लोग रेगुलेशन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करते हैं, मैंने अपने जीवन काल में इस प्रकार की किसी स्कीम या कांड के बारे में नहीं देखा है। इस प्रकार की जो गड़बड़ी होती है, उस पर हमारी मशीनरी एक्टिवेट होकर कायदे के अनुसार एक्शन लेने के बारे में सोचती है। अगर किसी इलाके में आकर कोई ऑन गोइंग सिस्टम में फ्रॉड करता है, तो उसके ऊपर किसी एक्शन टेकर या पुलिस ने कार्रवाई की और उसको जेल में डाल दिया, इस प्रकार के किस्से हमको बहुत ही कम सुनने को मिलते हैं। मैं जिस परिसर से आता हूं, वहां कोई भाड़े पर दुकान ले लेता है और इस प्रकार की स्कीम लाता है। जब तक हम लोगों को एक-दो

महीने में उसके बारे में पता चले, उसके पहले ही वे घोटाले करके भाग जाते हैं। इस प्रकार के अनेक किस्से हम लोगों को सुनने को मिलते हैं।

मैं चाहूंगा कि इसमें जो संशोधन हुआ है, उन संशोधनों के माध्यम से हम इस पर बहुत ही जल्दी इम्प्लिमेंटेशन स्टेज पर पहुचेंगे। जो रेगुलेशन के मुताबिक काम चलाते हैं, उनके ऊपर भी कोई न कोई निगरानी होनी चाहिए। इन सारी व्यवस्थाओं में जो फोरमैन है, उन फोरमैन को भी इसने ताकत दी है, जो पहले नहीं था। कुछ लोग आ गए, पैसे जमा कर दिए, जिसको चाहिए, उसको दे दिया, उसने दिया, तो दिया और नहीं दिया, तो नहीं दिया। इस प्रकार के सिस्टम चलते थे, लेकिन अभी हम इस सिस्टम के माध्यम से जिसको पैसा देने वाले हैं, उस फोरमैन को भी इसमें अधिकार दे दिया है। क्या उसको देना है या नहीं देना है? अगर देना है, तो कितना देना है? ऐसा हो सकता है कि यह रूल्स में भी आएगा। यदि इसे देना है, तो कोलैटरल को लेकर देना है या क्या करना है। इसमें 10 बातें हो सकती हैं, लेकिन इसके बाद वह आने वाले दिनों में आएगी।

मैं यहां पर कुछ कहना चाहूंगा। हमारे देश में इस प्रकार का सिस्टम क्यों हो रहा है? मैं कोई पोलिटिक्ल स्कोर पाने के लिए यहां पर बात नहीं करता हूं। आजादी के 70 साल बाद भी देश चला है, जिन्होंने भी चलाया, जिस प्रकार से चलाया, लेकिन उसमें बदलाव करते-करते हम यहां तक आए हैं। हमको भी मौका मिला है और हम भी अपना योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं मानता हूं कि यह जो स्कीम है, अगर हम उसके डिटेल में जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि यह दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ। उसमें भी केरल का नाम आता है। केरल में उन दिनों जो लोग खेतीबाड़ी का काम करते थे और उसके बाद उनको जो अनाज मिलता था, उस समय अनाज के माध्यम से किस प्रकार से व्यवहार होता था और फिर उसके बाद हमारा देश आगे बढ़ता गया। देश भी मजबूत होता गया, समाज भी मजबूत हो गया, तो अनाज के बदले पैसे में कनवर्जन हो गया। पैसे में कनवर्जन के

बाद, जिनके पास काम करते थे, वे ही कमीशन लेकर उनको चलाते थे, फिर उसके बाद एजेंट लोग आ गए और उससे ज्यादा कमीशन देने लगे, तो वह उनके पास डायवर्ट हो गया, ऐसा करते-करते यह सारा सिस्टम आगे चला। हमें एक बात यह भी ध्यान देनी होगी कि 2019 का जो नया भारत, जिसके बारे में मेरे मित्र ने यहां पर उल्लेख किया है, बहुत सारा बदलाव आ गया है।

एक समय ऐसा था कि जब सामान्य व्यक्ति के लिए बैंक में जाकर अपने पैसे रखने की व्यवस्था नहीं थी। देश के प्रधान मंत्री ने जन-धन एकाउंट के माध्यम से इतने बड़े पैमाने पर उनके एकाउंट खोलकर, उनकी छोटी-मोटी रकम को बैंक में लाकर सिक्योर करने की एक व्यवस्था की है। हम लोगों ने आगे चलकर पोस्ट आफिस बैंक सिस्टम भी देश में इंट्रोड्यूस किया। पोस्ट आफिस के लोग घर पर जाकर उनका पैसा लें और उस पैसे को सिक्योर करें। एक का पैसा दूसरे को कैसे दें, इसकी भी व्यवस्था यहां पर हुई है। इसके साथ-साथ एक स्वार्थ, जो हर व्यक्ति में पनपता है कि उसको ज्यादा इंट्रेस्ट कैसे मिले, उसको ज्यादा फायदा कैसे हो, इसके बारे में सारा सिस्टम चलता है और इस सिस्टम के माध्यम से लोग फांसे जाते हैं, लोगों को लूटा जाता है, यह भी उतनी ही वास्तविकता है। बीसीज़ की जो बात चल रही है, आज सवेरे भी एक मीटिंग हुई, जिसमें साढ़े 9 से साढ़े 10 बजे तक बहुत सारे सांसद आए थे। हर छोटे-छोटे परिसर में, विशेषकर हमारी जो बहनें और महिलाएं हैं, वे सेविंग के लिए इस प्रकार का बीसी सिस्टम चालू करते हैं। बीस लोगों का एक ग्रुप बनाकर एक चिट्ठी डाल दी, जो पहले आ गया, उसको पहले मिल गया और जो दूसरे नंबर पर आ गया, उसको दूसरे नंबर पर मिल गया। इस प्रकार से सिस्टम चलता गया।

दूसरा एक सिस्टम इस प्रकार का आ गया कि पैसा जमा कर दिया, फिर उसको नीलाम कर दिया। जो ज्यादा से ज्यादा बोली बोलेगा, उसको पहले मिलेगा, उसके बाद दूसरे को, उसके बाद तीसरे को मिलेगा। ऐसा करते-करते, एक लाख रुपये की अगर बीसी है, तो पहला जो लेने वाला है, उसको पचास हजार रुपये में मिल गई और भरने वाले लोगों को उसमें लाभ होता है। एक लाख रुपये

का अगर एक मेंबर होगा, तो उसको पचास हजार रुपये भरने पड़ते हैं। इसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम बेनेफिट है। यह दूसरा सिस्टम भी इस प्रकार से चलता गया। यह लालच में कहिए या पैसा बहुत जल्दी से, आसानी से ज्यादा बनाने के लिए लोग ग्रुपिज्म करते गए। यह सिलसिला बढ़ता गया, चलता गया। कुछ लोगों ने पैसे कमा लिए, कुछ लोग बर्बाद हो गए। यह सारा सिस्टम इस प्रकार से चलता रहा।

इसमें तीसरा एक पहलू यह भी है कि बैकिंग सिस्टम जो आजादी के 70 साल बाद आज डेवलप हुआ है, सामान्य लोगों को अगर पैसे चाहिए, तो उसको आसानी से पैसे नहीं मिलते हैं। अगर किसी एक छोटे व्यवसाय करने वाले को कुछ पैसे चाहिए, तो कुछ पैसे वालों को साथ में लाकर, उसके पास से पैसे लेकर व्यक्ति को देने का सिस्टम चालू कर दिया। इससे आसानी से, 25 लोगों का ग्रुप हो, 50 लोगों का ग्रुप हो, जितना पैसा चाहिए, उतना पैसा इकट्ठा करके, एक को दिया, दूसरे को दिया, इस प्रकार से भी सिस्टम चलता रहा। यह सारा सिस्टम क्यों चलता रहा? हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, उस बैकिंग सिस्टम में सामान्य लोगों को आसानी से पैसे मिलें, इस प्रकार की व्यवस्था कभी नहीं हुई। यह होते-होते इन दिनों बैंकों की जो हालत है, जब हम फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी में काम करते थे, तो बैंक के लोग बोलते थे कि हम इतना कमाते हैं, हमारा इतना प्रॉफिट हो गया, यह हो गया, वह हो गया। यह सारा का सारा प्रॉफिट सिर्फ पेपर पर था। बड़े-बड़े लोगों को लोन दिए, वे लोन वापस नहीं आए, लेकिन उसका मंथली टोटल करते कि हमारा प्रॉफिट इतना हो गया, उतना हो गया, करते गए और सारा पैसा डूब गया। यह सारा पैसा डूबने के बाद गवर्नमेंट के सिस्टम के माध्यम से सारे जो भुक्तभोगी हैं, जिनका पैसा डूब गया, उनको कितना देना है, इसकी एक व्यवस्था हो रही है। इस सैक्टर के लोग जो कर रहे हैं, इन्होंने जमा भी किया, इन्होंने लोगों को दिया भी और जिनका डूब गया, तो डूब गया, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार से सिस्टम चल रहा है। मेरा यह मानना है और बहुत सारे लोग यह मानेंगे कि गवर्नमेंट सिस्टम और गवर्नमेंट मशीनरी से दूर रहकर जो लोग इस सिस्टम को

आज भी चला रहे हैं, वे बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। ऐसा मेरा स्वयं का मानना है। जो छोटे-छोटे चिट फंड वगैरह हैं, जो घोटाले हुए, उसके बारे में अभी बातचीत होगी कि यह सब्जेक्ट से रिलेटेड है या नहीं है। यह टोटली सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है। जो घोटाले हुए, वे क्यों हुए? जो कायदा हम बनाते हैं, मेरा यह मानना है कि इस प्रकार का कोई कायदा बनना ही नहीं चाहिए। इसका समर्थन करते हुए, मेरा अपना यह स्वयं का मत है कि इस प्रकार का कायदा ही नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कायदा बनने के बाद में कायदे में लूप होल्स निकालकर कैसे लोगों को ठगा जाए, धोखाधड़ी करने वाले लोग इस प्रकार के सिस्टम को चलाते हैं। उनको मालूम है कि कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी, कोई कोर्ट हमें सजा नहीं देगी और यह इस प्रकार के सिस्टम से यह चलता है। जो छोटे-छोटे लोग हैं, उनको अपने ग्रुप का डर होता है और छोटे-छोटे लोग न तो पुलिस को लेते हैं, न कोर्ट के लोगों को लेते हैं, वे अपने सिस्टम को ही एक्टिवेट करके जो पैसा दिया है, उसको वापस लेने की भी व्यवस्था वे लोग अपने माध्यम से करते हैं।

इस बिल में इतने सारे अमेंडमेंट्स होने के बाद भी मैं मानता हूं कि सिस्टम को चलाने वाले जो लोग हैं, इससे उनको सपोर्ट मिलेगा। लोग समय पर पैसा नहीं भरते हैं, समय पर लोग पैसा भरें, इसके लिए एक सिस्टम हो। गवर्नमेंट नाम की कोई न कोई चीज इसमें इन्वॉल्व हो। अगर हम गड़बड़ करते हैं तो बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। इस प्रकार का एक डर भी होगा तो इससे एक सपोर्ट भी होगा।

मैं एक बार फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा कि मूल बैंकिंग सिस्टम को ठीक-ठाक करके लोगों के साथ फ्रेंडली बनाएं। उदाहरण के लिए मुद्रा लोन के माध्यम से इन दिनों पैसा मिलता है, उसके माध्यम से सामान्य लोगों को पैसा आसानी से मिले और दिया हुआ पैसा बैंकिंग सिस्टम में वापस कैसे आए ताकि हम दूसरे, तीसरे और चौथे व्यक्ति को भी पैसा दें। इस प्रकार के मैक्निजम पर ध्यान देकर आने वाले दिनों में काम करना पड़ेगा। उसमें जो कुछ भी बदलाव करने की आवश्यकता हो, वह करनी पड़ेगी।

बैंकर्स को थोड़ी ढ़िलाई भी देनी पड़गी और उनके ऊपर नकेल भी कसनी पड़ेगी। आज बैंक की हालत ऐसी है, जब हम लोग स्टैन्डिंग कमेटी की बैठक में बात करते हैं तो वह कहते हैं कि हम गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा देते हैं। मैंने उनसे एक दिन पूछा, आप पैसा कहां से लाए, वे जमीन बेच कर आपके बैंक में पैसा रखते हैं और उनको पैसा नहीं दिया है, ये सारा देश का पैसा बैंकिंग सिस्टम में आता है। सामान्य लोगों का पैसा है और वही पैसा दूसरे और तीसरे लोगों को देकर बैंकिंग सिस्टम चलाते हो। आपको रोजगार मिलता है और हम जैसे लोगों को भी मानदेय मिलता है और इसी से सारा सिस्टम चलता है। आखिर यह पैसा देशवासियों का है और यह पैसा देशवासियों के काम आए, इस प्रकार काम करने की मानसिकता बैंक के लोगों में आनी चाहिए। हम जैसे सिस्टम चलाने वाले लोगों को उस पर ध्यान रखना चाहिए। यह तभी होगा जब हम यहां सभी लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश के 130 करोड़ लोगों को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, जब हम ऐसी मानसिकता में आएंगे तभी हम इसे कर पाएंगे।

सभापति महोदया, सिस्टम क्या है? रिजर्व बैंक के गवर्नर के ऊपर भी हमारा पॉलीटिकल सिस्टम कहता है कि ऑटोनामी बाडी के ऊपर आप कुछ भी मत कीजिए। इस पर यहां सभा गृह में भी बातचीत हुई है। टीवी में भी हम लोग जाकर डिस्कशन करते हैं। What is the meaning of autonomy? In this country, no person has any autonomy. न कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ऑटोनॉमी है और न रिजर्व बैंक के गवर्नर को ऑटोनामी है, न इस देश के प्रधान मंत्री को भी ऑटोनॉमी है। सभी लोगों के लिए एक चौखट बनाया है और उस चौखट के अंदर सभी लोगों को काम करना पड़ता है, लेकिन हम जो ऑटोनामी की बात करते हैं, उससे रिजर्व बैंक के गवर्नर इतने लापरवाह हो गए हैं, हम जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चिट्ठी लिखकर पूछते हैं किसी बैंक के मैनेजर ने गलत ढंग से किसी को पैसा दे दिया है, रिजर्व बैंक का गवर्नर लिखित में हमको रिप्लाई देता है कि हम उनके कर्मशियल मैटर में इंटरफियर नहीं करेंगे। What is the meaning of commercial deal?

How can they act on their own? उनको कर्मशियल मैटर को भी डील करने के लिए एक चौखट पार्लियामेंट ने बना कर दिया है। उसके मुताबिक उनको काम करना चाहिए। इसका मतलब यह हो गया कि कर्मशियल किसी के मन में आ गया तो पैसा दे दिया। उसको पैसा देने के लिए कोलेटरल क्या है, वह पैसा वापस कैसे आएगा? बिजनेस करने वाला का पैसा सही ढंग से आएगा या नहीं, इन सारी बातों को देखकर पैसा देने की व्यवस्था उस बैंक के मैनेजर और उस बैंक का मैनेजर सही ढंग से पैसा देता है, इसे देखने की पॉवर हमने रिजर्व बैंक के गवर्नर को दी है। रिजर्व बैंक ने पिछले पांच सालों में ऐसे कितने लोगों पर एक्शन लिया, बैंक के मैनेजर को यहां कोई पूछने वाला नहीं है। रूलिंग पार्टी अगर पूछने का प्रयास करेगी तो अपोजिशन की आवाज आएगी कि ऑटोनॉमी पर हल्ला हो रहा है, कैसे अटोनॉमी पर हल्ला हो रहा है। देश के 130 करोड़ लोगों पर हल्ला हो रहा है, हम लोगों को इसके ऊपर बहुत ध्यान से काम करने की आवश्यकता है।

मैं यह नहीं कहूंगा कि पिछले सालों में जो कुछ हुआ उसकी जवाबदेह रुलिंग पार्टी के लोग हैं। अगर कोई है तो है, हमें यह मानना पड़ेगा, हमारे समय में होगा तो हम उसके जवाबदेह होंगे। हम सिस्टम को ठीक-ठाक करने का प्रयास करते होंगे, In the interest of nation and in the interest of people of this country. हमें सिस्टम में बैठे हुए लोगों को मदद करनी पड़ेगी तो ही आने वाले दिनों में हम सिस्टम को ठीक-ठाक कर पाएंगे, इसलिए मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं। चिट फंड के माध्यम से इतने बड़े पैमाने पर लाखों लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं इससे उनको रोजगार मिलता है। एक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, उसको चलाते हैं, लोगों को पैसा मिलता है, यह सब कुछ चलता रहे, इसे कितने सालों तक चलाना है, इसके लिए भी एक गाइडलाइन बनानी पड़ेगी। क्या हम इसे कोआपरेटिव बैंक में रूपांतरण कर सकते हैं ताकि लोगों का रोजगार न जाए, उनको काम मिले और पैसा सही समय पर सही लोगों के हाथ में जाये। हमें इसी प्रकार का सिस्टम आने वाले दिनों में डैवलप करना होगा। ऐसा करके ही हम आने वाले दिनो में देश के लोगों को न्याय दे पाएंगे, सिस्टम को

ठीक कर पाएंगे। इससे देश में गड़बड़ घोटाला करने वालों की जमात में डर नाम की चीज पैदा होगी, I will say, the fraud makers are using this system. फ्रॉड मेकर्स हमें यूज़ करते हैं, अगर सत्ता में आज हम हैं तो विपक्ष के लोगों को पकड़कर सरकार को एक्शन लेने से रोकते हैं, अगर वहां के लोग सत्ता में होंगे तो यहां के लोगों को रोकेंगे। अगर इस तरह से काम चलता रहेगा तो हम गलत काम करने वाले लोगों पर कभी नकेल नहीं कस पाएंगे, देश के लोग परेशान होते रहेंगे, लुटते रहेंगे। हमारी आंखों के सामने लोग लुटते रहेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।

मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट के माध्यम से देश और देश के लोगों के हित में जो भी कायदा आता है, बिल आता है, हम सब लोग एकजुट होकर काम करें, एक सोच से काम करें, तभी गलत काम करने वाले लोगों को मैसेज जाएगा कि संसद में सभी पार्टियों के लोग मिल बैठकर काम करते हैं और सारे देश के लोगों को एक नज़रिए, एक एंगल से देखते हैं। इस मैसेज को हमें बहुत जल्दी देश के लोगों के सामने लाना है।

मैं इस दिशा में इस बिल के माध्यम से अपनी भावनओं को प्रकट कर रहा हूं। आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया और घंटी नहीं बजाई, इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करते हुए बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Chit Funds (Amendment) Bill, 2019.

At the outset, I would like to say that the existence of a chit fund in this country after 70 and odd years of Independence is actually a shameful thing because the whole purpose of why a chit fund exists is because people want to have access to money in case of an emergency and this is supposed to be met by a banking institution or an NBFC. I can understand that this was lacking 70 years ago. When these are lacking after 72 years of Independence, in case of an emergency requirement-- and usually these emergencies fall in the form of either a health problem in the family or a business requirement or something like that— the banking system evolved over the years, over the decades, being lacking, I feel that the existence of a chit fund itself is a shameful thing.

But having said that when the banking fraternity is actually allotted about a percentage of their funding towards the agriculturists and to small loan takers, this is not being done by the banks. Invariably, what the banks do is, they give huge sums of money to big corporates but these people are not repaying it and they become NPAs. It is either in collusion with these companies or something, the banks end up in such a situation where the money is lost for ever. In these kinds of situations, no action is taken against the erring banks. But we are talking about a chit fund which is different. There are certain chit funds where unintentionally some instances take place where people end up in a problem and where the

subscriber is not going to be paying the money. You are saying that we are going to take legal action against these small people who are running this business. But if you are looking at chit funds, majority of the chit funds I know is run by housewives who are doing it amongst friends. We are talking about housewives who are doing Rs.5,000 or Rs.10,000 chit funds involving 20 or 30 people. If you are going to legislate this and say that you want to bring all of these people under the ambit of this Bill, it is going to be very difficult for them because I doubt that any housewife is going to say that I am going to register myself in a society or in a company or with the Registrar of Companies and then go ahead with these provisions and after that, do this business. If you see the quantum of this chit fund business, it is about anything from Rs.30,000 to Rs.50,000 crore.

I would feel that bringing in this legislation, though it is safe for the subscribers, is going to bring down the chit fund business where there is going to be a huge drop and that is again going to lead to a lot of unemployment. Talking about unemployment in the chit fund industry and talking about the provision of GST, the people, who are running these chit funds, claim that the banks and the NBFCs are not subject to GST whereas the existing chit fund operators, who were earlier charged 10 per cent, are now being charged 12 per cent. They have been asking for exemption from GST but the rate of GST in their case has been increased. So, people who are doing this business are losing their interest. There are many chit fund companies which are closing down.

We are also talking about two different sets of chit fund companies. One is run by individuals. Initially, they were having a limit of Rs.1 lakh which has been increased to Rs.3 lakh. It is a welcome move. The other set of chit fund companies are firms where they were collecting Rs.6 lakh and now they have increased that to Rs.18 lakh. I would request the Government to consider if the individuals who are running chit funds for Rs.3 lakh can be exempted from GST. If you exempt them from GST, it will be a huge benefit for the small people. Even in the Chit Funds (Amendment) Bill itself you are saying that these are for small farmers and household people. So, subjecting them to GST I think is a huge crime.

Under this Government, we have also found that even the handicapped people who have to use some aids are coming under the purview of GST. So, after the introduction of GST we have found that the country is going through a lot of problems economically where a large number of companies have closed down and a large number of people have been left unemployed.

I would urge the Government to consider exempting these people from GST to save these chit fund companies. Thank you.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, so far as this Bill is concerned, I want to inform you that West Bengal had witnessed flourishing of chit funds from the late 70s. Ever since the Left Front came to power in 1979, the scam of Sanchayita Investment Company came to light. Over-ruling the Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978, as was passed by the Parliament, Sanchayita continued operating in full swing with the patronage of some political leaders playing behind the curtain.

In the early 90s, the poor investors of the State of West Bengal were shocked to hear about similar nature of frauds. There were many other companies which were also implicated in that. It has been observed that there was no specific Act passed by the Parliament or State Assembly for taking the promotors of such chit fund companies to task or to stop them from collection of money from poor investors against promise of lucrative returns.

Although initially in 2003, the State Assembly passed a draft Act and sent it to the Centre for assent, the assent was not given. Then, in 2013, under the leadership of Chief Minister, Mamata Banerjee, the Protection of Interest of Depositors in Financial Establishments Act, 2013 was enacted. But, unfortunately, certain objections were raised by the then Central Government and assent was not given citing various reasons.

On different occasions in 2013 and 2014, the State Government of West Bengal communicated with the Central Government in this regard. In 2014, the Central Government again raised certain points. The State Government incorporated those points and passed the Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Bill, 2013.

Then, again the Central Government gave a few suggestions which were incorporated in the Bill and in 2015 that Bill was enacted. So, it was in 2015 that the hon. President of India on the advice of the Central Government gave his assent to the Act. Further, the State Government also amended the West Bengal Rules of Business in those terms.

Madam, I would like to inform you that the State Government of West Bengal under the leadership of hon. Chief Minister, Mamata Banerjee prepared a specific scheme for payment of compensation to the depositors in distress and an amount of Rs.500 crore was earmarked for this purpose. It was decided to pay compensation through Justice Samuelson Commission set up by the State Government on 24th April, 2013 and a Special Investigation Team was to render assistance to the Commission. A total of Rs. 251 crore worth of cheques were issued for due compensation to the depositors in distress. Besides, action against those including judicial custody of the accused persons for such an offence. It was known to everyone that a writ petition was filed in Sarada matter. Then it was investigated by the CBI. But the investigation has been pending from 2013. Now,

it is 2019. I am bringing this to the notice of the hon. Minister who is present here now. The CBI has undertaken the investigation in 2014. Why till now charge sheets have not been filed? It is not to the credit of any investigating agency to keep the persons at the pre-trial stage in the jail. It is not to their credit. They should be credited only when the accused persons are sent to the jail. They have not earned that credit. Let it be anybody. I do not mind the comments that are made. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except Shri Kalyan Banerjee's remarks

SHRI KALYAN BANERJEE : Why are you not sending them to jail?

माननीय सभापति: आप अपनी टर्न पर बोलिएगा, अभी उनको बोलने दीजिए।

SHRI KALYAN BANERJEE: In the background of the fact that this august House has passed the Banking Unregulated Deposit Scheme Bill 2019 and the assent having been got for the same, is there any necessity to continue with the Chit Funds Act? Scrap it. I suggest you to scrap it. All these provisions have already been in that Act. Then, why is this required? Chit fund gives an incorrect impression to the common people. Although it is 'chit' but people take it as 'cheat'. In one of the Standing Committee on Finance meetings, the RBI was about the term 'chit funds'. The Reserve Bank answered the question saying that it is not 'cheat'. How will the common people be able to differentiate? What is the

necessity? Stop it and scrap it. Other Acts are there. Why are you indulging in these types of things? The poor cultivators are suffering. You have brought a sufficiently good Bill which deals with other things. It has been covered. So, scrap it. Do chit fund constitute a valid business? Are ponzi schmes invalid? If chit funds are valid and ponzi schemes are invalid, then how will the common people be able to make the distinction about investing in chit funds and investing in ponzi schemes? This is the basic fundamental thing that is really missing. That is the reason people are misled by this.

Madam, CBI is investigating the Saradha chit fund scam. I will just quote with your permission something from the case of Subrata Chattoraj. At paragraph 25, it is stated that:

> "There is yet another aspect to which we must advert at this stage. This relates to the role of the regulatory authorities. The investigation conducted so far puts a question mark on the role of regulatory authorities like SEBI, Registrar of Companies and officials of RBI within whose respective jurisdiction and areas of operation, this scam not only took but flourished unhindered. The synopsis filed by so and so named some of the officials belonging to these authorities and gave reasons as to why their roles need to be investigated."

The synopsis goes to the extent of suggesting that regular payments towards bribe were paid through middlemen to some of those who were supposed to keep an eye on such ponzi companies. The regulatory authorities, on common

ground, exercised their power and jurisdiction under Central legislation possibly in connivance with those who are charged with the duty of preventing the scamp of such nature. This breach of the law, therefore, needs to be closely examined and effectively dealt with. Investigation into the larger conspiracy angle will thus, inevitably bring such statutory regulators also under scrutiny …(*Interruptions*). Madam, I will finish in two minutes.

In paragraph No. 35.6, the Supreme Court has given the following direction:

> "The role of regulators like SEBI, authorities under the Companies Act and Reserve Bank of India is also under investigation by the State Police Agency which may have to be taken to its logical conclusion by an effective and independent investigation

More comments will be passed, I do not mind that. But my question to the Hon. Minister as to why not a single person from the regulatory agencies like the Reserve Bank of India, SEBI and others was not called for interrogation? According to the Supreme Court, the whole conspiracy was built up through them and the larger conspiracy scheme is there. Why was not a single person called for interrogation? Why has not a single person been arrested? Who were the persons who were in charge of looking into the matter, but did not do so? Those who have committed the offence must go. But in terms of Supreme Court's order, why did you not touch the investigating agency? Why has the CBI not taken any decision against RBI? Why has SEBI not taken any steps with whose connivance these ponzi schemes have been continuing right from 1979?

We heard many comments on this. Madam, I will rather request the Hon. Finance Minister to complete the trial. If I have committed anything wrong, send me to jail. I will not mind it. But do not keep it pending as your election issues.

With these words, I am concluding. I will rather request through you, Madam, to not give any chance to anybody to indulge in these sorts of things. Do not bring amendment; kindly scrap the Chit Funds Act. That will be better for this country and for the investors. Thank you, Madam.

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Thank you, Madam, for giving me an opportunity to express our Party's views on this very important Chit Fund Bill.

At the outset, I would like to start my debate on this Bill with the recent incident that had happened in our State. A company by the name Agrigold had collected several thousands of crores where almost 11 lakh depositors were there. It is not exactly a Chit Fund, but it is in a way related to it. Ultimately, that company got closed, and in the last five years several people have committed suicide. After our hon. Chief Minister took charge and during his *padyatra* also he has heard the sorrows of various people. We have earmarked Rs. 1,100 crore for all the major 7 lakh depositors, and we have started its distribution also.

Now, this particular amendment -- that has been proposed by the Finance Minister -- will definitely be very handy to further regulate it in a stringent manner, and this is certainly a welcome move. But this chit fund business, especially, in the rural areas is the need of the hour because they will not be able to approach the banks. Majority of the rural economy survives only on rural credit through chit fund business where there were regulations of only a limit of Rs. 1 lakh till now, but there has been a proposal to increase it up to Rs. 3 lakh, which is certainly a welcome move and for firms it has been increased to even a higher level. This was made in 2001, but today the value of money has gone up manifold. So, I personally urge the Government to increase it to a slightly higher level of at least

Rs. 5 lakh from Rs. 3 lakh for individuals and Rs. 30 lakh for firms. This would certainly help the rural folks to get the benefit of the chit fund credit.

Further, there are certain moves wherein the nomenclature has been changed, that is, insertion of the words “fraternity fund, rotating savings and credit institution”. This will certainly improve the credibility for that particular chit fund. Otherwise, it has become very easy to call chit fund as ‘cheat fund’. Everybody has been using it as a rhyme these days. But certainly the inclusion of “fraternity fund” or even the Government can think about removing the word “chit” from it because along with the ‘chit’ the words “fraternity fund, rotating savings and credit institution” were added. We personally feel that there is nothing wrong in doing it.

There is the substitution of expressions, that is, gross chit amount, share of discount and net chit amount. The proposal to remove the confusion with regard to the illegal prize chits, etc., and the existing provision of dividend in the parent Act was clearly misunderstood as dividend under the Companies Act. All these anomalies would be rectified with this initiative of substitution of these words.

The mandatory presence of two subscribers as required under sub-section (ii) of Section 16 ‘either in person or through video conferencing’ has been made. But as we all know that even in Delhi, I have tried to have video conferencing, but within seconds it gets cut and the voice may come, but face would not be there. All these issues are there. So, till we improve upon our video conference facilities,

at least other better alternatives like WhatsApp -- which is definitely working much better than this video conferencing, etc. because of the lack of signals -- for time being can get introduced instead of it.

The ceiling of foreman's commission from five per cent to seven per cent is indeed a welcome move. Otherwise, this is one of the reasons for many of the defaults that is occurring.

Another point is that we will have to make the insurance mandatory however small it is and whether it is operated by an individual or a firm to safeguard the interest of all the people who invest in the chit funds. If we make it mandatory, the level of vigilance by the insurance company will be there. They will take utmost precaution. Otherwise, people may get easily carried away if they offer a little more discount in the initial bid. If the insurance company is there, they would definitely take abundant precaution to safeguard themselves and in the process the investors also, or whoever is participating in the chit fund scheme will be saved.

Today, officially registered chit fund business might be of Rs. 35,000 crore, but unofficially, as per a rough estimate, it is seventy or eighty times more than that. It is much more than the amount of business in the banking sector. So, the existence of insurance is essential and the changes that have been proposed by the hon. Finance Minister are indeed welcome.

Lastly, I would request the Government not to give any discretionary power to the States in this regard. A lot of discussions have been made to increase the limits and to give discretion to the States. We feel that it is not good to give the discretionary power to the State and let the Act be followed by each and every State without any power to change. I certainly hope that it would be a major benchmark for the rural credit and it would safeguard the interests of all. On behalf of our Party, we wholeheartedly welcome the Bill.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति महोदया, चिट फण्ड संशोधन विधेयक पर मैं यहाँ अपनी बात रख रहा हूँ।

देश भर में चिट फण्ड द्वारा लोगों को ठगे जाने का काम बहुत समय से चल रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में लोग ठगी के जाल में फंसे हैं, यहाँ तक कि इसके कारण लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ी हैं।

चिट फण्ड स्कीम के तहत व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या पड़ोसी आपस में वित्तीय लेन-देन के लिए एक समझौता करते हैं। इसके तहत एक निश्चित रकम या कोई चीज तय करके वक्त पर जमा की जाती है और एक निश्चित समयावधि पूरी होने पर ब्याज सहित लौटा दी जाती है। हमारे देश में चिट फण्ड का रेगुलेशन चिट फण्ड अधिनियम, 1982 के द्वारा होता आ रहा है। उसी में आज सरकार द्वारा संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है।

पिछली सरकार के कार्यकाल और इस सरकार के कार्यकाल में कई चिट फण्ड घोटाले और बैंकों के घोटाले सामने आए हैं। देश भर में चिट फण्ड घोटाले और बैंक घोटाले से आम आदमी जैसे-पेंशनर, नौकरदार, छोटे-छोटे व्यवसायी, किसान आदि के पैसे सबसे ज्यादा डूबे हैं। आज आम लोगों के पैसे कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। नोटबन्दी के कारण आम लोग घर में पैसे नहीं रख सकते हैं। वह सुरक्षित भी नहीं है। बैंक घोटाले के कारण बैंक में पैसे नहीं रख रहे हैं। ऐसे चिट फण्ड कम्पनियों द्वारा लोगों को ज्यादा-से-ज्यादा लालच दिया जाता है। नेशनलाइज्ड बैंक्स सात-आठ प्रतिशत ब्याज देती हैं। लेकिन चिट फण्ड कम्पनियाँ 15 से 18 प्रतिशत तक ब्याज देती हैं। लालच के कारण लोग चिट फण्ड कम्पनियों में अपने पैसे रखते हैं, जिसके कारण लोगों का भारी नुकसान होता है। चिट फण्ड के जितने भी घोटाले सामने आए हैं, उन पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई, दोषी लोगों को पकड़ा भी गया, लेकिन वे समय से पहले ही छूट गये।

महाराष्ट्र में भी चिट फण्ड के कई घोटाले हुए हैं। नासिक में भाऊसाहेब चव्वाण नाम का एक आम आदमी था, जिसकी किराने की दुकान थी। उसने 10 हजार करोड़ रुपये का चिट फण्ड घोटाला किया। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश के 25 हजार लोगों ने अपने पैसे चिट फण्ड में डाले थे। इस कंपनी ने तीस महीने में पैसा दोगुना, तिगुना करने का वादा किया था और लोगों को निवेश के लिए उकसाया था। कुछ समय बाद वह चिट फंड कंपनी लोगों का पैसा लेकर भाग गई थी। उनका सारा परिवार आज भी विदेश में हैं। लोगों का पैसा तो डूब गया, अब लोग कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही महेश मोतीवार की पुणे में 'समृद्ध जीवन' स्कीम थी, जिसका मीडिया का एक ग्रुप भी था। इन्होंने 20 लाख छोटे निवेशकों को ठगने का काम किया है। इस कंपनी द्वारा तकरीबन 4,500 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है।

माननीय सभापति महोदया, इस कंपनी द्वारा 34 विभिन्न कंपनियों के नाम से किसानों और गरीबों को ठगने का मामला पुलिस में दर्ज हुआ है। पिछले दिनों दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 को मुंबई, पुणे और ठाणे में गुडविन ज्वैलर्स का ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें कई ग्राहकों द्वारा सोने का निवेश किया गया था, क्योंकि उन्हें लालच दिखाया गया था। तकरीबन 743 निवेशक ठगी के इस जाल में आए हैं। महाराष्ट्र में इसकी 43 ब्रांच थीं और पूरे देश में करीबन 34 ब्रांच थीं। 700 करोड़ रुपये का यह घोटाला सामने आया है। लोगों को ठगने वाली ऐसी कंपनियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग कई बार छूट जाते हैं, इन्हें पनिशमेंट नहीं होती है। जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, जो ठगे जाने के कारण परेशान होता है, उसको ज्यादातर भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

महाराष्ट्र में तकरीबन 10 लाख छोटे निवेशक हैं, जिनमें किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग के लोग हैं। इन लोगों ने विभिन्न गैर पंजीकृत चिट-फंड कंपनियों में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये निवेश किए हैं। महाराष्ट्र में चिट फंड से संबंधित 180 से अधिक वित्तीय घोटालों की शिकायत आई है। इन 180 शिकायतों में बिल्डर, चिट फंड व्यापारी और पॉन्जी योजनाओं के खिलाफ लोग शामिल हैं, जबकि

आर्थिक अपराध शाखा ने केवल दो मामले ही दर्ज किए हैं। सरकार को इस तरह के विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और जल्दी से जल्दी चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।

महोदया, इस तरह देश में हुआ शारदा चिट फंड घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला है। यह घोटाला 17 हजार करोड़ रुपये का था, उसमें आम आदमी ने पैसा डाला था, जैसे – पश्चिम बंगाल में रोज़ वैली कंपनी है। इन घोटालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी यहां हैं। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कई चिट फंड घोटालों में ईडी कार्रवाई करती है। ईडी द्वारा कार्रवाई कर के इन मामलों पर पूरी तरह रोक लगाई जाती है, लेकिन ये जो निवेशक हैं, इनको पैसा वापस नहीं मिलता है। यह कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, जिससे जल्दी से जल्दी कार्रवाई होकर गरीब आदमी को उसका पैसा वापस मिल सके।

महोदया, कम समय में अमीर बनने की चाहत में गरीब लोग इन स्कीम्ज़ में इन्वेस्ट करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई ऐसी चिट फंड या घोटालेबाज कंपनियों में रख देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी की चेतावनी के बावजूद लाखों निवेशक इन कंपनियों की जालसाज़ी का शिकार होते हैं और करोड़ों रुपये इन स्कीम्ज़ में डाल देते हैं।

मेरी मांग रहेगी कि इन चिट फंड कंपनियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, केवल संशोधन लाकर या और कुछ कर के कोई फायदा नहीं है। इसमे समय की सीमा होनी चाहिए। समय की सीमा होने से उन निवेशकों को तुरंत राहत मिलेगी, उनका पैसा उन्हें वापस मिलेगा। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): माननीय सभापति महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 पर अपनी बात रखने का मौका दिया। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य पंजीकृत चिट फंड उद्योग का नियामकीय बोझ कम करना और साथ ही अंश धारकों के हितों का संरक्षण करना है।

सभापति महोदया, भारत एक विकासशील देश है एवं देश में आम जनता के लिए विभिन्न व्यक्तिगत जरूरतों के लिए लघु अवधि का कर्ज जुटाना पुरानी समस्या है । आम लोग जरूरतों के अनुसार कर्ज लेते हैं और उसको वापस करते हैं । आम आदमी के पैसे का प्रोटेक्शन हो, उनका संरक्षण हो और उनका पैसा बचाया जाए, मुख्य रूप से इस बिल में प्रोविजन किया गया है। वर्ष 2018 का डाटा है कि भारत में लगभग दो करोड़ छोटे निवेशकों का करीब-करीब चार लाख करोड़ रुपया फंस गया था। इस बिल के आने से छोटे निवेशकों एवं गरीबों की रक्षा होगी। कुछ चिट फंड एवं फेक इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो लोगों को अलग-अलग तरह से प्रलोभन देकर उनका पैसा गायब कर देती हैं। जैसे कि इनवेस्टमेंट को तीन साल में दुगुना करना और पांच साल में तिगुना कर देना और अंत में पैसा लेकर गायब हो जाना । जैसा कि हम जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेबी, आई.आर.डी.ए., पी.एफ.आर.डी.ए. आदि ने काफी हद तक इसे नियंत्रित किया है । केंद्र सरकार ने अनऑथराइज्ड स्कीम को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। 21 फरवरी 2019 को माननीय राष्ट्रपति जी ने द बैंकिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ऑर्डीनेंस 2019 को प्रकाशित किया तथा उसी दिन से लागू हो गया । इस अध्यादेश में गैरकानूनी रूप से जमा स्वीकार करने के संबंध में कार्रवाई करने तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा का व्यापक उपाय एवं कड़ी सजा और जुर्माना का प्रावधान है।

29 राज्य एवं केन्द्रशासित राज्य जमाकर्ताओं के इंट्रेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी राज्यों में स्टेट लेबल कॉर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है ताकि फर्जी कंपनियों द्वारा इल्लीगल कलेक्शन ऑफ मनी को रोका जा सके । आर.बी.आई. अपनी वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन पोस्टर के जरिए

धोखाधड़ी योजनाओं और संस्थाओं के बारे में सचेत कर रही है। आर.बी.आई. का सचेत पोर्टल जो कि अगस्त 2016 में शुरू हुआ था, अभी तक पांच हजार दो सौ पचीस शिकायतें प्राप्त कर चुका है, जो कि नॉन पेमेंट ऑफ डिपॉजिट एवं मनी कलेक्टेड फॉर वेरियस इनवेस्टमेंट से जुड़ा है, जिसमें 1461 केस वर्ष 2016-17, 1683 केस वर्ष 2017-18 में एवं 2081 केस 2018-19 में हैं।

महोदया, सेबी ने नॉन कम्प्लायंस के लिए 75 एंटिटीज के खिलाफ पिछले चार सालों में जिसमें 34 केस वर्ष 2015-16 में, 11 केस वर्ष 2016-17 में, 19 केस वर्ष 2017-18 में और 11 केस वर्ष 2018-19 में हैं। इसके साथ-साथ सेबी ने 34 ऑर्डर्स भी इक्विटी शेयर्स कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को जारी करने के लिए भी पास किए हैं। ईडी ने पिछले तीन साल में 27 केसों की जांच शुरू की है जो कि चिट फंड एवं पोंजी स्कीम से संबंधित है। भारत सरकार के कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने 65 कंपनियों की जांच के आदेश दिए हैं जिन्होंने चिट फंड में इनवेस्टमेंट स्कैम किया है।

सीबीआई ने तीन साल के अंदर 159 केसों को रजिस्टर किया है जो कि चिट फंड अथवा पोंजी कंपनी का है। इसके अलावा फेक इंश्योरेंस कंपनी के बहुत से मामले हैं, जो आर.आर.डी.ए. की नोटिस में है। जो अलग-अलग नाम से काम कर रही हैं। इसके बारे में आम जनता एवं किसान भाइयों को बताया जा रहा है।

महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र गोपालगंज है, जो कि कृषि प्रमुख जिला है। वहां पर कई गन्ना मिलें बन्द हैं। रोजगार के अभाव में नौजवान किसान पैसे के लालच में चिट फंड कंपनियों के चंगुल में फंस जाते हैं। यदि वहां बन्द गन्ना मिल चालू की जाए तथा नया उद्योग लगाया जाए, जिससे रोजगार उत्पन्न हो, तो इस समस्या से बचा जा सकता है।

अंत में, मैं इस चिट फंड संशोधन विधेयक 2019 का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Chairperson, while listening to the discussion today on the Chit Funds (Amendment) Bill, I was going through the main Act of 1982. Of course, reading only the Amendment and its Statement of Objects and Reasons, one fails to understand the history behind the making of this law. It took around 15 years to frame a law in 1982; a number of committee reports were there. In the late 1960s and 1970s, large scams were happening in this country. Five or ten years ago, such scams have reached new proportions but the basic question which we should address in this august House today is this. Why are chit funds flourishing? Is it because the banking system has not reached the general public? Is it because the general public, especially the low-income group who earn on a daily basis and want to make certain savings are unable to go to the banking institutions?

Another greater question which we have dealt with when I was a Member of the Standing Committee on Finance is this. Why do we not find any such scam happening in Tamil Nadu but they are happening in Andhra Pradesh, Odisha, Assam and Jharkhand? Today, of course, I was educated when I heard the Member from Shiv Sena said that it has also affected Maharashtra. Has it affected Gujarat? These points need to be probed.

Is it that the people of those States are more learned to invest in chit funds and get back their money within a stipulated time period? Or, are the people of other States gullible enough to become victims of circumstances?

Another point which I would like to state here is this. Whose responsibility is it to monitor the chit fund mechanism? While going through this Act and the amendment, I find little amendments here and there but that will not suffice. The whole base on which this chit fund system rests has been delegated to the respective State Governments. It is the State which has to monitor.

I would now come to the other issues related to this. Why is there a gap between the monitoring mechanism or regulatory mechanism and the actual system that is in place? Why is it not working here? I would just like to mention what was recommended by the group that was formed in 1974. It recommended that 'the administration of the law should be left to the State Government concerned, which, in turn, could seek the advice and assistance of the Reserve Bank on policy matters.' Subsequently, in the Act itself it says, "The duration of a chit shall not extend beyond a period of five years from the date of the commencement, provided that the State Government may permit …" So, it is the State alone which has to monitor. Who does the inspection under section 46? Here, it says, "Without prejudice to the provisions of sections 209 and 209 (a) of the Companies Act, 1956, the registrar or an officer authorised by the State Government in this behalf may inspect the books and all the records of a chit

during working hours …" Subsequently, on winding up, it says, "A chit may be wound up by the registrar within whose territorial jurisdiction …" This means, it is the State's jurisdiction.

<u>16.59 hrs</u> (Dr. Kakoli Ghosh Dastidar *in the Chair*)

I would say it is the State and the State alone which is responsible. That is why as one of our hon. Members mentioned a suggestion which our Standing Committee on Finance during the 16th Lok Sabha had mooted was accepted by the Reserve Bank of India and the respective State Government representatives who had attended those meetings. That suggestion was that we should have a State Coordination Committee which could be headed by the Chief Secretary of the respective State; it will have the DGP also as a member; it will have a SFIO or SEBI member; it will have ED, CBI and Financial Intelligence Wing representatives as Members; it should meet every month on a given date and discuss about the information that they have collected from the respective district police reports or from the District Magistrates.

Secondly, Madam, I would say that when we enquired from all those respective officers who were supposed to regulate this chit fund, they mentioned that only two or three States have formed this Committee. It has not been formed in every State, what to speak of having meetings! That is why I have been asking, whose baby it is.

17.00hrs

The Government of India is bringing this Bill as an amendment Bill today. It had brought a Bill and made it an Act in 1982. Subsequent Reports were also before this Parliament, which the Government would have also considered to make certain amendments. But we are only tinkering with it. We are not holding anyone accountable or responsible for the misdeeds that are happening in our country at the cost of our poor people because they do not have another mechanism to make their deposits. When they need credit, the financial institutions, that are there, are not coming to their help and that is why chit fund flourishes. It is a necessity in our country. I have seen in my own place, a small town where I live, that chit funds do function well but for a given period of time. जब कुछ बड़े-बड़े लोगों में लोभ आ जाता है, तो ये दिक्कतें आती हैं।

I would say that one Bill was before us in 2018 which had a lot of flaws. The Finance Committee gave certain recommendations. I do not know whether all the recommendations have been accepted or not. I was trying to compare our Report and the present Bill of 2019. For a long time, the practice of unauthorised acceptance of deposits and chit funds has been a menace. Perpetrators lure gullible investors to deposit money with the promise of astronomical returns and disappear overnight. We first came to know about the plantation fund that was being doubted as one of the most money-making mechanisms. They ran away

overnight with crores and crores of money. Kalyan Da has already mentioned about Sanchayita Investment. I need not think of the God, and he is there.

SHRI KALYAN BANERJEE: Some people say, 'think of a devil and the devil is here'.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I did not say that.

It was always felt that the predominance of such scheme is the result of inadequate laws in place. The administration mostly takes a reactive stance rather than a proactive approach. We are not supposed to deliberate the discussion that we had during the meetings of the Standing Committee on Finance but I can only say - because the Report has already been placed, it is in public domain and anybody who wants to go through the records of the Standing Committee deliberations can see it - that I was repeatedly asking, some of my friends who are no more in Finance Committee, like Nishikant Dubey ji had been repeatedly asking, about the proactive mechanism that the Government is building in, into this Bill so that we can stop a scam in making. That is still lacking. Therefore, I would vouch for a preventive method and not a post-mortem. As I mentioned, an attempt was made about….

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): I would like to tell the hon. Member that among those Members, who were having the longest experience of working in the Standing Committee on Finance, I had also the privilege to work with him. He is talking about the Standing Committee on Finance. It does carry a lot of weight. I thought, I must convey that.

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): It is because you were also a Member of that Committee.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Yes, I said that.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: A mechanism was evolved with a collective wisdom that we should have a State-level coordination committee. Even today, I feel that it would be one of the best mechanisms where respective regulatory authorities can sit every month and can collect information. These are certain schemes which are whispered and it travels. No advertisement is given in newspapers or in Media. It is through a 'whisper campaign', practically the chit funds flourish. It is not confined to one area; one *taluk*, or one sub-division or district. It goes as it gets multiplied. As people get added to them, so they carry that message. This Bill is before us. Therefore, I would say that this Bill, of course, has two or three new provisions, which were recommended, as per the advice

and prodding of the National Chit Fund Organisation. They are also being blamed who are doing genuine chit fund business. They needed that we need to promote our brand. We need to be under the regulatory mechanism. We will comply whatever the provisions the Government determines. Accordingly, the Standing Committee, of course, gave its recommendations to save this sector and curb *ponzi* schemes.

One major thing that this Bill talks about is mandating a chit fund company to mention under its name, a ROSCA Institution (Rotating Savings and Credit Association). I may mention that company's name because that company always tries to put that brand in the vest of the cricketers and other players. That also indulges in chit fund business. So, how would a person know that this is a registered company which has a brand name throughout the country where our national players put it on their vest and play for the nation and at the same time, indulges also in this type of *'hera pheri'*? Therefore, this suggestion came in that we should have Rotating Savings and Credit Association brand. They have to do it. If that does not happen, at least, the District Superintendent of Police can ask the police stations to find out whether the slip or the chit that they are collecting, is there or not. This will help in distinguishing its business from other unconnected businesses.

The earlier Bill had a provision for incorporating fraternity fund. Now, it is fraternity fund, ROSCA. I would say that there is also a need to deliberate more. I hope the hon. Minister, while replying, tell us as to what steps they are taking relating to growth of fraternity fund because this will be a guarantee to a great extent. This will help chit fund in their image makeover and brand building. There are some more provisions in these amendments that will fulfil the objectives of reducing the regulatory or compliance burden of the registered chit fund industry. But the question is this. What provisions are made to protect the interests of the subscribers? While going through this Amendment, I did not find a single clause there. What guarantee is there for the person who is investing? As it is registered in a State, the State Government will give a guarantee. Should we build-in something in this law, through this Amendment Bill, that there will be a provision which will guarantee the subscribers the money that they are investing?

The Chit Fund Act, 1982 was enacted to provide for the regulation of the Chit Funds. That has conventionally satisfied the financial needs of low-income households. The chit is a mechanism. I need not explain on that. But the basic question is this. Who is the regulator – RBI, SEBI, State Governments? Should it be controlled by the Company's Act? Who is the regulator and what is the nation-wide framework or guidelines? That guideline is not there on which at least, all the State Governments can function. Absence of these have made the investors vulnerable. The law is there since 1982 but the provisions of it are seldom

implemented. If the law is not implemented in Bengal, if the law is not implemented in Odisha, if the law is not implemented in Assam or in Jharkhand, where will the people go? They will only shout on the streets and some intelligent politicians will take lead and photographs will be published and after a month or so, everybody will forget it. The problem lies with the multiple agencies governing the grey areas of such money deposit schemes.

माननीय सभापति: अब समाप्त कीजिए।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Today we have provisions under the IPC, SEBI and Company's Act to book entities behind the spongy schemes. At present, action against chit funds is taken only in case of frauds and since they are also guided by Company's Act and IPC, there are overlaps and they fall between the gaps. This needs to be addressed.

Thank you.

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Hon. Chairperson, thank you for allowing me to speak on Chit Fund (Amendment) Bill, 2019.

While I understand that the Bill aims at allowing, which was provided in the earlier Act, joining the process of drawing chit funds through video conferencing and also entitling the foreman from a commission of five per cent to an increased seven per cent. But there are some objections that I have to this Bill.

It has been found that a number of State Governments are yet to frame the rules to implement the Central Act. By vesting more responsibilities with the State Governments, there is a chance that no action would be taken when these chit funds go wrong.

My second point is that while the Government has promised to bring the law that regulates the chit fund schemes to protect investors, the proposed amendments in the new Bill do not guarantee anything to that effect. Moreover, the importance of promoting the finance literacy of the public before investing in such a scheme has been neglected. Hence, the Bill does not adequately safeguard the consumer.

Madam, my third point is that the representative of the All India Associate of Chit Funds have also expressed their concerns over the proposals contained in this legislation. While the whole idea of introducing a new Bill was to bring unorganised chit fund companies or individuals into the formal net, it is doubtful

that the current amendments will facilitate that objective. It is also surprising that the Government which has ostensibly focussed on the formalisation of the economy has missed the opportunity to do so, in case of high-risk industry that largely impacts the poorer section of the society. In the case of a registered chit fund company filing for bankruptcy, neither the Government, nor the Reserve Bank of India can help the investor. This needs to be amended given the massive number of people being duped by the chit fund scam regularly and the quantum of money lost. As Shri Mahtab rightly point out, since the chit fund baby belongs to the State and the State has not taken enough cognizance to frame rules to hold chit funds accountable, we are left at a loss to safeguard our citizens, especially the poor.

So, hon. Chairperson, through you, I would like the hon. Finance Minister to look into these matters before we go ahead and pass this Bill.

Thank you.

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): Hon. Chairperson, thank you for giving me this opportunity.

It is a fact that gullible people have lost crores of rupees by investing in chit fund companies and consequently posing a threat to our Indian economy. It is also a fact that lakhs of families have been duped and many have committed suicide which is very pathetic and therefore such schemes need to be given insurance cover.

It is also noted that mobilising short-term funds are to meet various personal needs of their family members like education of children, marriages, to take care of old age parents, etc. and they have been chronic problems faced by public in developing countries like India. Taking into consideration the advantage of low financial literacy and greed of people looking for higher returns on their investments, many fraudulent chit fund companies have collected huge amounts of money and vanished. There is still no law that can recover the investors' money. Stringent laws are needed with strict enforcement to curb such frauds.

As we all know, existing legislation come into play after a fraud has occurred. But by that time the offenders will escape, leaving the chit fund investors in lurch. Money is being diverted also. If a registered chit fund company files for bankruptcy, neither the Government nor the Reserve Bank of India can help the investors.

Unless the focus is on implementation without political interference and strengthening of the judicial mechanism, any amendment to the law is not going to be of much help to the poor.

With a reported 10,000 chit fund companies running in the country handling over Rs. 30,000 crore annually, these funds are an important financial tool for the growth of the Indian economy also. This sector is facing a severe competition from alternative savings and other investment policies and products. People are really scared of failures and failure of one chit fund company in any part of India impacts the whole industry which is not good for the society.

At present, the GST rate is 12 per cent which is burdensome and it is requested that GST may completely be waived off up to Rs. 50 lakh as regards chit funds.

The Government has settled many Non-Performing Assets with one-time settlement to help the industrialists to bail them out from losses. It is not only the industrialists but also the small investors, who are agonised, need to be protected. This sector has become unorganised and frauds are mostly being reported in illegal chit companies which are not under anybody's control.

Hence, there is a dire need to set up a Regulatory Authority at the Central level and Regulatory Boards at the State level. The Registrar of Companies has to take immediate steps to register all the unregistered chit companies running in

the country. He has to ease the existing laws and rules by simplifying procedures by inviting them to participate in big way and register their chit fund companies by collecting one or two per cent as a nominal fee. This is a way out for running the households.

With these few words, I conclude my speech.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Madam, standing here, I actually congratulate the Minister of Finance for taking up this issue. But I would have been happier, given the circumstances in India today, if he would have had a discussion, instead of this Scheme, on the economic situation and the slowdown in India. It is because India is probably going through one of its most difficult phases in the economy. I remember that this morning also, the hon. Finance Minister while replying quoted some data which was actually alarming. He said that GDP is doing well. It is at a 15-year low. Unemployment is at a 45-year low. The household consumption is four decades low. The bad loans are at all-time high, and the growth, I am giving an example like electricity, is 15-year low. So, actually, India is probably going through the biggest distress in economy in decades. I am not even sure if these schemes are really going to last because the biggest pressure today in India's economy is in rural India, and the consumers' spending has fallen to four decades low, especially more in rural India. The data speaks for itself.

I think, somebody from the Government, who is very learned, said that keep numbers away, and just keep going because numbers do not mean anything. Today, I would like to quote Late Sushma*ji*. I still remember her. She was the Leader of Opposition. I can never forget that speech. We were in power. Inflation was high the way it is today, and we were talking about poverty. I still remember her saying, and it is something that still echoes in my heart and ears. She said:

"आंकड़ों से पेट नहीं भरता, जब भूख लगती है न, तब धान लगता है।"

So, I would take this opportunity to remind this Government that this is not just about numbers and ponzi schemes. I think, what they really need to focus right now is to put the economy on track by taking thoughts and ideas from people.

Regarding this whole thing about scams, I would like to ask as to how we are going to regulate. Mahtab*ji* has, at length, talked about all these schemes as to what the chit funds and ponzi schemes are. The poor people from the bottom of the pyramid, put together whatever little resources they have, eventually for their kids' education, for their retirement or for their own insurance.

There is a very good recommendation done by the earlier Finance Committee saying as to why do not you get these insured. So, has this Government thought about insurance? I see a lot of gap. It is a good recommendation on paper but crop insurance has not done very well. As a matter of fact, Shiv Sena had the longest march in Maharashtra demanding insurance for crop schemes when they were a part of this Government. So, there is a very good suggestion. The intent is very good but how are they going to implement it?

Mahtab*ji* suggested about the district which was a great visibility but chit funds are not necessarily at district level. When he was speaking, I was just thinking about this that in my constituency, at a village level, women get together

and put this kind of money together. How are we going to regulate it? Even if the States have to regulate it, are the people who are regulating it trained for it? The Government has a plan to regulate it. I think, we make regulations all the time. The hon. Finance Minister, many times, has talked and even today he talked about how low the inflation is. The CAD sounds very good on paper but that is good only because the oil prices are so low. There is no other reason about why they are making these magic numbers. Regarding tax collection of this country, I would say that it is bottom low at Rs. 6 lakh crore.

I am not doubting the intent of this Government. I am sure, they are trying to stop these schemes but I do not see it really happening anywhere especially when all of us, who are all the time on the field. Have ponzi schemes stopped? They have not. Is there any stoppage? They keep saying about Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. If they have done so well in it, probably tomorrow chit funds will not even exist. We may not need them if Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is running so well. I am not a finance expert. But from where I am standing, who are all these people? These are all voters who are sweet and simple people from villages, who collect money, put it together and think if they could get a little more money for their children's education, marriage and their household needs. So, I would like him to clarify as to how they are going to do all this.

They talked about the Fugitive Economic Offenders Bill. This is a part of that. They are economic offenders whether it is a matter of Rs. One lakh or 15 lakh. I would like to know as to how much money has really come back to this country? How many offenders are really punished? They keep talking about redressal system. If tomorrow, somebody is cheated and he has to reach out, whom would he turn to? It is like the Cooperative Bank in Mumbai, the PNB. People had to get on to the streets, and they had to use social media. So, where is the redressal system if there is a problem? It is not about your Government vs. our Government. Let it be any Government.

I appreciate Mr. Shetty's speech. I really appreciate what he said. He talked about autonomy, and I think, autonomy is the biggest thing. I was actually troubled when he said that even an MP does not have autonomy. This is something far more serious outside the bandwidth of what he said. We live in a democracy. If we, in this room, feel that we are not autonomous, which way is this country going? We are talking about autonomy in education, autonomy for people to work, to think, to create, to innovate. So, which way are we headed as a country if a learned Member, who comes from one of the financial districts which is the most important city in India called Mumbai, feels like that? If he feels so trapped, and it is not about him versus us, I am talking about the society at large. I think we really need to put our minds together and talk about autonomy in a way where it is freedom of speech, freedom of RBI. RBI is not autonomous. We took

great pride in saying that it was an autonomous body which had an opinion. So, today even we feel that the RBI is not autonomous - my God! This is a national crisis if you ask me. These are a lot of issues.

I want to ask out of my curiosity as I am not a finance expert, how much time or money do we engage in people in financial literacy? Probably zero. They have no access. If there is so much technology, you talk about video conferencing, it is a very, very good suggestion, but the way now-a-days calls are dropping, how will we do video conferencing? As a matter of fact, I think just two days ago, most of these telecom companies are almost saying that they are bankrupt. So, how are we going to do video conferencing? Where will this person go? I mean the solutions look wonderful on the Table, your intent may be very, very good; I am not doubting your intention at all. But it has to be implemented on paper and into a reality because we are protecting the poor people of this country. So, I think it is not about us, but let us put our mind in really putting a system in place which are do-able. If you ask Mumbai or Maharashtra police to look into financial matters, they are not even equipped to do it. So, how are we going to do it at a district level? My collector is already over-worked. DISHA Committee goes on five hours. I am just asking questions. I am asking actually questions. I am just asking how are we going to do it, how are we going to regulate it and what is the system? If I am a woman who is trapped in this chit fund at a village level, who do I turn to? Do I go to the Tehsildar? Who do I go to?

I have no idea. Would you put in a system in place because all these people are not literate. I think we really need to do a literacy programme, not about reading and writing, but financial literacy. So, I think we need to do more thinking. Your intent is very good. We will support this intervention, but I do not think it completes the look. I do not think it is going to solve any of our problems in a big way because these financial frauds just still continue to keep going.

I would like to ask one more question before I sit down. I have two suggestions. There is an Insolvency Code. The hon. Finance Minister talked about it in his morning reply which I appreciate. It is a good intention. How much collection has happened? If I remember it correctly, the RBI has said that this particular Insolvency Code is not a long-term solution. So, if you are using this for financial frauds and the RBI has a view, then what is the Finance Ministry's view? It is a very, very serious Bill and we are happy to pass it, but I think the Finance Ministry, which is in the news for all the reasons which is putting the common man into panic, there are comments about millennials using the Ubers. So I am really concerned because the people are losing jobs. I think that is what this whole debate in the Parliament first should be – the economy of the country. If you have read the Hindu today, Dr. Manmohan Singh has written a wonderful article and made some very good suggestions.

If you read some of those suggestions, it will help, but I think financial literacy from top to bottom is a must today. I am not sure even the Chair and me are so- financially qualified, so, it is not just about education. I think if you could include financial education within our educational system, it will help more people.

SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANYAKUMARI): Thank you Madam Chairperson for giving me an opportunity to speak on this important Bill which has an impact over lakhs of poor people in our country. Chit funds is a very unique and an age old financial instrument, in which there are almost 45 million micro, small and medium enterprises, of which there are around 8 million kirana retailers. An estimated 4 million Indians across India use this form of lending and saving platform. This industry has almost more than 15,000 registered chit funds. An unspecified large number of unregistered chit funds are running a sizeable business of more than 40,000 crore of business annually. They are not paying a sizeable amount as taxes to the Government of India. Credit is fundamental to commerce and chit funds have been playing a stellar role in giving access to such credit to almost every citizen who has no access to formal financial system like banks, NBFCs, etc. In fact, the majority of the population do not have access to banking system.

There are towns where women thrive in this kind of traditional, age old and time-tested business and help many people set up their small business units. Chit funds work mostly on the fundamental principle of trust and this trust is built by assessing the socio-economic status of the person by his peer network. This is why, chit funds are more accessible to the subscribers. Chit fund makes it easy for people to borrow money by providing some minimum guarantee. In fact, majority of the people borrow money from chit funds because of education of their

children, marriage, medical expenses and for building a house. This unique structure of lending makes chit funds a very unique financial instrument. No other financial institution can do this to help a local business and build trust along the way. Existing financial institutions depend mostly on your income, credit information etc., before sanctioning loan.

Considering, the fact that chit funds cater to the low and middle income groups in the society, it will be relevant to mention that, but for the late payment charges and interest collected on the security deposit, it may not even be possible for most foreman to break even or organize a chit fund as a means of livelihood. In the recent years, the number of chit fund companies being registered is decreasing. A major reason for this trend is the complex regulation and high compliance cost and unfeasible taxes that makes it more expensive for the chit fund companies to serve the poor.

Madam, the Standing Committee on Finance, to which the Bill was referred to in the last Lok Sabha, had recommended that the provision regarding the mandatory presence of two subscribers during the drawing of chits may delay the process, especially, when a subscriber is in urgent need of funds. However, video conferencing and its recording may not be implementable in rural areas and the Committee recommended that modern communication modes such as text messages or WhatsApp may be incorporated to introduce flexibility during drawing of chits. The Committee also recommended that the ceiling amount of

Rs. 1 lakh when the fund is managed by an individual can be increased so that the running of chit is viable for the foreman. The Committee also recommended that a provision of insurance be made to cover chit fund subscribers. I find that these recommendations have not been considered by the Government. I feel the Committee has made good recommendations and I do not know why the Government has chosen not to implement them. I hope the Minister would tell the House the reasons for not implementing the same.

Madam, in the recent years, there has been cheating by very reputed companies of the deposits of poor people. Of course, in some cases, action has been taken but in many cases the subscribers have lost their hard-earned money. The assets of persons, responsible for, are attached by the Government and yet they are not sufficient to meet the commitments of subscribers. I demand that there should be a mechanism in place to ensure that the subscribers do not lose their hard-earned money.

In another Bill, I had suggested that banks can give loans to the small-scale units so that the poor people are benefitted and are not exploited by the unscrupulous companies lending money in the garb of chit funds.

Another important aspect affecting chit funds is GST. At present, 12 per cent GST is levied on foreman's earnings. However, everybody feels that this percentage is too much considering Non-Banking Financial Companies enjoying

almost nil or very less percentage of GST. Therefore, I would request the Government to consider exempting chit funds from GST or to reduce it from 12 per cent to 5 per cent in order to sustain the business.

I also request the Government to do away with the complex procedures so that chit fund business can be regulated properly and a greater number of chit funds will be registered. To prevent cheating by chit funds, a robust mechanism should be in place and a regulatory authority may be considered for this purpose.

I would like to say a few words regarding my constituency. A National Highway, NH 47 is there. In 2017, the Government had sanctioned Rs. 34 crore to maintain the road. Two years have passed but nobody has taken care of the road. Day before yesterday, we staged a *dharna* in my Kanniyakumari constituency and people were arrested by the police but the result is nil. So, I would like to request the august House to take an action to safeguard the people of Kanniyakumari and to maintain the National Highway perfectly.

Thank you, very much, Madam.

*श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हुगली): धन्यवाद सभापति महोदय। मैं जिस राज्य से सांसद हूं, वह राज्य पश्चिम बंगाल में चिट फंड में लोगों को … **करने का पूरा का पूरा मायाजाल है। चिट फंड से पीड़ित जो लोग हैं, अगर वे लाइन में खड़े हो जाएंगे तो पार्लियामेंट से चांद तक लाइन लग जाएगी।

In the year 2011, … ** came to power in West Bengal with the help of the Chit Fund money. A government of the … ** came into existence there which is still in power in the year 2019. …(*Interruptions*)

माननीय सभापति: आप ऐसा नहीं कीजिए। इस शब्द को निकाल दीजिए, इसको एक्सपंज कीजिए। … ** एक अनपार्लियामेंटरी शब्द है।

… (*Interruptions*)

श्रीमती लॉकेट चटर्जी : In the 3000 crore rupees Saradha scam, seventeen lakh people have been cheated. There are many more big, high profile scams other than Saradha, like I-Core, Rose Valley, Prayag and the one of Alchemist involving 70,000 crore rupees. The person involved in this scam is still a … ** we all know that. The Shyamal Sen Commission was constituted by the Chief Minister to pay back the money swindled by the … ** had asked the people to smoke more cigarettes so that the revenue thus earned could be used to return the money. But after some time, this direction was withdrawn. Her paintings were sold to the owner of the chit fund for Rs. One Crore Eighty Lakhs. Where has this money gone? Nobody knows. When investigations are conducted against the malpractices, the … ** of the State sits on dharna for 46 hours to save the

---

* English translation of the speech originally delivered in Bengali

** Not recorded.

wanted police officer. But she never sat on hunger strike for the poor people who have been duped. She did not walk in their support. Now when all such scams are being unearthed, already everything is lost. The government could have easily stopped such things from happening if it wanted to. They knew that such malpractices have been going on. But they did nothing. When all the money has been gobbled up by the party leaders and ministers, they are feigning ignorance. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: आप बिल पर चर्चा कीजिए।

श्रीमती लॉकेट चटर्जी : मैडम ये बिल ही है। ये बिल का पूरा का पूरा पार्ट है। पश्चिम बंगाल में जो स्कैम हुआ है, इसी बिल से संबंधित है। शारदा में जो लोग हैं, वे ***…*** * के राजनेता एवं मंत्री लोग हैं। चिट फड कंपनी यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, वे भी *…* * के नेता एवं मंत्री हैं। *…* * का अभी भी इसमें 40 परसेंट शेयर जाता है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : मैडम, आप बिल पर चर्चा कीजिए।

श्रीमती लॉकेट चटर्जी : Today we want to attach the property of the Chit Fund owners to return the money to the investors. But actually, the money is with the agents and they are the cadres of *…* * Today the big shots are sitting pretty and *…* * is just watching. Today her nephew's property is worth Rs. 1251 crores. It has been disclosed. Where did this huge quantum of property come from? Has it

---

* Not recorded.

come from only realty business? How did he become so rich? … *supported these chit funds as long as the money reached her party leaders. Today police officials, political leaders, all are involved in the scams.…(*Interruptions*)

माननीय सभापति: मैडम, … * चिट फण्ड नहीं चलाती हैं। This cannot go on record. … * चिट फण्ड चलाती नहीं हैं।

…(व्यवधान)

श्रीमती लॉकेट चटर्जी : जो पुलिस अधिकारी हैं, … * सरकार, सब लोग वहां गए थे। जो चिट फण्ड का ब्राण्ड एम्बेसडर है, उसने भी सीबीआई को पैसा दे दिया ।…(व्यवधान) चिट फण्ड का ब्राण्ड एम्बेसडर भी … * है, उसने भी पैसा दे दिया है ।…(व्यवधान) अभी 46 ऑवर्स का अनशन करना है पुलिस कमिश्नर के लिए। …(व्यवधान) आप चुप कीजिए।

माननीय सभापति: मैडम, आप उनसे बात मत कीजिए। यहां देखिए**,** मुझे बताइए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: मैडम, आप बिल पर चर्चा कीजिए और चेयर को एड्रेस कीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप लोग आपस में बात मत कीजिए।

…(व्यवधान)

---

* Not recorded.

श्रीमती लॉकेट चटर्जी : Where is the red diary? It doesn't suit you; such arguments don't suit you. You are not entitled to speak on this issue. You should keep quiet. From Sanchayita to Saradha, everywhere you have chit funds. Today … *says that why Modiji is interfering in the State's internal matter. This is not chit fund; this is the fund of aunty and nephew. Everyone is aware of this. We all know that when the poor people are cheated and looted, Modiji arrives as a saviour. चिट फण्ड के बिल पर बोलना आपको शोभा नहीं देता है। पूरी … * चिट फण्ड के … * का पूरा दल है। पूरी … * 2011 में चिट फण्ड से बनी है। आप सब जानते हैं। आपको बचाने के लिए सब … * काम करते हैं। चिट फण्ड में जो जेल जाता है, उसे बचाने के लिए काम करते हैं। यह आप भी जानते हैं। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: मैडम, आप बिल पर चर्चा कीजिए और चेयर को एड्रेस कीजिए।

…(व्यवधान)

श्रीमती लॉकेट चटर्जी: सभी जानते हैं कि अगर मोदी जी आएंगे, Wherever the poor marginal people get looted, chowkidar reaches there. We want the main culprits, the kingpins of the scams to be arrested. Otherwise nothing will happen. The new legislation is all right but first the law should be enacted for the common people who have lost everything. We want to see what happens to the … * who has made them shed tears. We want to know how their issues are addressed. You have no right to say all these things. First find out the red diary, then come to

* Not recorded.

speak here. Where is the red diary? The chit fund owners do not have anything, all the money is with the *…* [*] . Everybody knows that they have pocketed the money. It is an open secret. Please don't talk on the chit fund issue.

माननीय सभापति: मैडम, आप चेयर को एड्रेस कीजिए। यहां बिल पर चर्चा हो रही है। आप इसमें सब-जुडिस मैटर को मत लाइए। आप बिल पर चर्चा कीजिए।

…(व्यवधान)

श्रीमती लॉकेट चटर्जी : मैडम, मैं बिल के ऊपर ही बोल रही हूं। यह बिल की ही बात है। …(व्यवधान) चिट फण्ड के लिए बोलना आपको शोभा नहीं देता है। 40% money can be found from the agents, and who are these agents? They are definitely cadres of *…* *. Who is the boss of the agents- *…* *, everybody knows this. Chit Funds are still in vogue. Listen to me, chit funds are still operational in the form of lottery. Don't say such useless things.

17.44 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस लोक सभा को *…* * मत बनाइए। जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों, तो बैठे-बैठे आप टिप्पणी मत कीजिए और जब आप बोल रहे हों, तो कोई अन्य बैठे-बैठे टिप्पणी मत करे। आप संसदीय नियमों के तहत ही विषय पर चर्चा करें।

* Not recorded.

श्रीमती लॉकेट चटर्जी: Today all those people who used to work in the hotels, resorts, production houses run by the chit fund owners have become jobless. What is their fault? Those companies have been shut down and they have no work to do. Lakhs of people have been rendered jobless. No one spares a thought for them. *… **does not sit on dharna for these poor souls. When the CBI goes to arrest the police officer, she tries to stop them. This is the situation of West Bengal.

So, we want that the new Bill should be passed in this House. Thank you, Sir.

---

* Not recorded.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this piece of legislation which has, till now, passed through so many phases, hurdles and processes since the Department of Financial Services constituted the Key Advisory Group in 2011. Now, it is before the House for its consideration.

Sir, we have more than 30,000 registered chit fund companies or operators in the country with a turnover of more than Rs.40,000 crore. But if you look at the unregistered chit fund operators, they are 25 times more than the registered ones. This clearly indicates that the chit fund industry is unregulated and under-governed. If you look at the parent Act, it prohibits funds from being created without the prior sanction of the State Government. The Act was passed in 1982 and we have innumerable examples of lakhs of people being duped by unregulated deposits. It is happening in spite of the Chit Funds Act, 1982, preventing such chit funds from being operated. When the parent Act itself is not able to control and contain the unregistered chit fund operators or companies which are 25 times more than the registered ones, how does this Bill help in containing them? I request the Minister to please explain this.

The hon. Minister is aware that South India is known as the Chit Fund Capital of India as it accounts for one-third of the country's chit fund business. Also, you are treating chit funds at par with NBFCs. But when it comes to taxing them, you are imposing more tax, including GST, on the chit fund business.

Further, I think you are giving 90 per cent abatement to NBFCs when compared to 30 per cent given to chit fund companies. So, on the one hand, you treat them as NBFCs and on the other hand, you are not extending the benefits of NBFCs to chit fund companies, which is discriminatory. So, I request the hon. Minister to kindly consider giving chit funds also 90 per cent abatement and remove GST on chit funds as is the case with NBFCs. It is not that it would become an isolated case. There are examples. In countries such as Canada and New Zealand, financial services are exempted from GST and countries like Australia and EU are giving tax exemption.

The final point I wish to make is relating to deposit insurance for investors. The customers of chit fund subscribe certain amount of money but there is no insurance cover for such deposits or subscription.

So, I request the hon. Minister, through this House, to include this, if possible, in the Bill itself. Otherwise, the same may be mandated under subordinate legislation, that is, under rules and regulations made afterwards. I am saying this because if a company files a bankruptcy petition, neither the Government nor the RBI will help the investors, resulting in loss of savings for millions of people in the country.

With these observations and hoping that the Finance Minister will address these issues seriously, I support the Bill. Thank you.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I rise to support this Bill but with certain reservations regarding some provisions of the Bill. This Bill is intended to amend the original Act of 1982. The sole intention of the original Act was to regulate the chit funds in India. Chit funds business is a unique mode of financial business in which credit and savings are in the same scheme. Such a traditional and conventional scheme is nowhere in the world. So, chit fund is quite unique in the country. This is a conventional, indigenous and unique business in India. The chit fund is a great relief in addressing the needs of low-income households. This traditional, conventional and financial transaction which fulfils the needs and requirements of the people of low-income group is well benefited by means of this legislation.

Sir, other hon. Members have rightly stated that there have been many scams and fraudulent transactions cheating many subscribers during 1960s and 1970s. That is why, due to various committee reports in 1980s, the Parliament passed an enactment by which a regulatory mechanism came into effect. Subsequent to that, an amendment in this Bill was also brought in 2001.

In my State also, many such incidents of fraudulent transactions and scams by these chit fund companies have happened. Now, it is being well regulated there. In our State of Kerala, we have a specific regulation and enactment in this regard.

In order to regulate the chit fund companies, an Act in 1982 has been enacted. Subsequently, the Government of India constituted a Key Advisory Group to review the existing legal, regulatory and institutional framework for the chit funds in the country. The Key Advisory Group submitted its recommendations. The sole recommendation of this Key Advisory Group was to reduce the regulatory burden of chit fund business and to protect the interests of the subscribes of the chit fund companies. So, dual aim was there in their recommendations. First was to reduce the regulatory burden of the chit business in India and, at the same time, second was to protect the interests of the subscribers of the chit fund business.

Further, the Parliamentary Standing Committee on Finance has gone through the Bill and submitted its report. They also have the same recommendation that the regulatory burden should be reduced and at the same time the interests of the subscribers should be protected. This is the sole criteria for which this new amendment Bill is being brought in by the Government.

Sir, the only question that I would like to raise before the Government in respect of this Bill is whether the recommendations of the Standing Committee or the recommendations of the Key Advisory Group have been taken into consideration in this amendment Bill.

Sir, I also want to seek a clarification from the hon. Finance Minister. There is an amendment to Section 2 (b) of the Act by inserting new words, ‘fraternity fund’ and ‘Rotating Savings and Credit Institution’. So, the Section 2 (b) is the definition of what a chit fund is. Since there is a paucity of time, I am not going into the details of the definition. But two terms are being incorporated in Section 2 (b). So, fraternity fund and rotating savings and credit institutions will also come within the purview of chit fund under Section 2 (b).

But, Sir, what is the impact of it? I have only one apprehension in this regard. By incorporating two words ‘fraternity fund’ and ‘rotating savings and credit institution’, the Government is formalising all informal financial transactions. I will cite an example. What is a rotating saving and credit institution? A ‘rotating saving and credit institution’ is made up of a group of individuals acting as an informal financial institution in the form of alternate financial vehicle. For example, Sampada, which is a neighbourhood transaction, wherein 10 ladies in a particular village or a particular ward contribute Rs.25,000 each and thus a total amount of Rs.2,50,000 is collected. They are doing a business of sharing this money and giving loans. There are many such groups which are operating. If you incorporate the fraternity fund and rotating savings and credit institution, it will come within the purview of the chit fund. Thus, these poor ladies and this neighbourhood financial transaction will also be formalised and it will adversely affect the collectiveness of people in rural areas.

That is the apprehension that I would like to make before this august House because you are formalising these transactions. We are having a programme called Kudumbashree. It is a model project in the State of Kerala. It is being appreciated even by the hon. Prime Minister of this country, Shri Narendra Modi ji. At the time of taking over the Office, he has made an observation regarding the Kudumbashree programme in the State of Kerala. It is empowering the women in the country. Such small groups are involved in financial empowerment of women and marginalised sections of the society in the rural areas. It is a fraternity fund or it is a saving-cum-credit scheme. So, definitely they will also come under the purview of the chit fund under the definition of 2 (b). That will be adversely affecting the common people of this country. I would like to seek a clarification on that from the hon. Minister.

I do support all other amendments. I support enhancing the financial ceiling limit from Rs. 1 lakh to Rs. 3 lakh and from Rs. 16 lakh to Rs. 18 lakh. Here it is still written as Rs. 25,000. Actually, it was revised to Rs. 1 lakh in the year 2001 and in place of Rs. 16 lakh it has been stated as Rs. 1 lakh. That has to be corrected because it has already been amended in the year 2001 by this House.

I am coming to the third amendment, that is mandatory presence of two subscribers either in person or through video conference duly recorded by the foreman. It is also a welcome amendment. There is a provision to increase the commission of the foreman. When the quantum of the outstanding amount is

being increased, definitely the commission of the foreman should also be increased. The commission should be increased from five to six per cent. I have given a notice of amendment. So, you may kindly make it six per cent.

In order to avoid the confusion regarding the prize chits, some provisions are omitted to make it clear that prize chit is banned. …(*Interruptions*) I will conclude soon. It will not come within the purview of the chit fund.

The State Government is empowered to specify the amount by a notification upon which any chit fund shall be exempted under the Act. Hon. Mehtab ji was raising a very serious issue. Everything is being done by the State Government. Then, where is the need for a federal law which is being enacted by the Parliament? It is absolutely a pertinent question. This is, after all, a State subject. Since the Reserve Bank of India and the banking activities are being regulated by the federal Government, this Act is being enacted and definitely the State Governments should be empowered so that the decentralisation of the powers and the federal character of the Constitution is protected by making this amendment in the new Bill.

This is my concluding point. On the perusal of this Bill, it seems to be a harmless one. But the apprehension is there over how it will affect the voluntary neighbourhood organisations, and the mutual cooperative groups in the rural areas. That apprehension has to be clarified and that should be made clear.

With these words, I fully support the Bill. Thank you very much.

श्री दिलीप घोष (मेदिनीपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, चिट फण्ड(संशोधन) बिल, 2019 के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज एक मिनट के लिए बैठ जाएँ।

माननीय सदस्यगण, यदि सदन की इजाज़त हो, तो सदन की कार्यवाही माननीय सदस्य के बोलने तक बढ़ायी जाए।

अनेक माननीय सदस्य: ठीक है।

श्री दिलीप घोष: महोदय, जिस कानून की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं, यह विषय बहुत ही गंभीर है। मैं बंगाल से आता हूँ। अभी पूर्वी भारत में स्थित ओडिशा के मित्र अभी बोल रहे थे। एक बहुत बड़ी समस्या और आर्थिक अनियमितता की चर्चा वर्षों से देश में हो रही है, इस बिल के माध्यम से उसको रोकने का एक छोटा-सा प्रयास किया जा रहा है।

माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी का यह एक साहसिक कदम है। इसके पहले भी सरकार ने बहुत-से कानून बनाए हैं, काम किये हैं। डिमोनेटाइजेशन से लेकर जी.एस.टी आदि के काम हुए हैं। उसी प्रकार से यह भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा, क्योंकि कई सालों से चर्चा में यह बात आई है कि हजारों-लाखों लोगों को चिट फण्ड के माध्यम से लूटा गया है।

18.00 hrs

जिन गरीब लोगों की मदद करने के लिए कभी चिट फंड की कल्पना की गई थी, उन लोगों को लूटने के लिए इसका इन्स्ट्रूमेंट के रूप में उपयोग हो रहा है। पिछले 10-12 सालों में जो घटनाएं सामने आई हैं, उनसे पता चलता है कि इसकी जड़ें बहुत गहराई तक गई हैं। इससे कितने हजार, लाख, करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं, यह निश्चित नहीं है। बंगाल में रोज़ वैली चिट फंड कंपनी की बात

आती है। उसके एजेंट ही नौ लाख हैं तो ग्राहक कितने होंगे, यह आप समझ सकते हैं, यह इतनी बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि हम यह जो कानून बना रहे हैं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। यह हाथी को अंकुश से समझौता करने का प्रयास हो रहा है। इसके बारे में आगे कुछ सोचना चाहिए, प्रावधान करना चाहिए। यह अच्छा कदम है, जो कि सही दिशा में है, ऐसा मुझे लग रहा है।

सर, यह जो घटना है, इसमें चिट फंड के माध्यम से अथाह धन एकत्रित होता है। यह धन कहां-कहां जाता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें व्यवसायी, राजनीतिविद, ब्यूरोक्रैट्स, सिनेमा-फिल्म स्टार्स, सब लोग संलग्न हैं, क्योंकि धन बहुत है। इस धन संग्रह और व्यवस्था में कोई स्वच्छता नहीं है। इस धन का दुरुपयोग कर के समाज में हर जगह लोग पहुंच जाते हैं। इससे चुनाव को प्रभावित किया जाता है, राजनीति को प्रभावित किया जाता है, मीडिया को प्रभावित किया जाता है और चुनाव को प्रभावित कर के लोग जीतकर आते हैं। यहां भी ऐसे बहुत लोग मौजूद हैं, जो इसका दुरुपयोग कर के यहां तक पहुंचे हैं। ऐसे चार सीनियर लीडर्स के बारे में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी द्वारा पूछताछ करने की अनुमति मांगने के लिए … *(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य**,** आप बिल के संबंध में ही बोलें।

…(व्यवधान)

श्री दिलीप घोष : सर, जो मेरी जानकारी में आया है, मैं उसे सबके सामने रख रहा हूं। यह इस मामले से जुड़ा हुआ विषय है।

माननीय अध्यक्ष : कम से कम मेरे विषय पर तो आप टिप्पणी न करें।

---

* Not recorded.

श्री दिलीप घोष : जी महोदय।

महोदय, इससे समाज में अविश्वास का वातावरण बना है। विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की इमेज को बहुत ज्यादा धक्का लगा है। थोड़ी सी संख्या में लोग इस घोटाले में संलग्न हैं और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ राजनीति करना चाहते हैं। इससे देश की राजनीति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, इसीलिए इसका निराकरण होना चाहिए, इसका समाधान होना चाहिए। यह जो व्यवस्था हो रही है कि आगे ऐसी घटना न हो, इसी दृष्टि से यह कदम उठाया जा रहा है। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हो गया है, वह बहुत बड़ी घटना है।

गरीब लोग विश्वास के कारण इसमें पैसा लगाते हैं। जो सब्जी का बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो रिक्शा-ऑटो चलाने वाले लोग हैं, जिन्होंने बेटे की ऊंची पढ़ाई के लिए पैसा रखा था, बेटी की शादी के लिए पैसा रखा था, कभी पक्का मकान या घर की छत बनाने के लिए पैसा रखा था, उन लोगों का सारा सामान, सारा पैसा लुट गया है। वे लोग अब हाहाकार कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूं, जो नौकरी करते थे। उनको रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिली, उन्होंने वह सारा पैसा इसमें लगा दिया। वे अब लुट गए हैं और बेसहारा हैं और रो रहे हैं। इस प्रकार की घटना देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। मुझे लगता है कि सरकार जो कदम उठा रही है, वह बहुत अच्छा है।

माननीय सदस्यों ने जिन विषयों की ओर दृष्टिकार्षण किया, माननीय वित्त मंत्री जी की ओर से उन विषयों का निराकरण होना चाहिए। इसके साथ जो राजनीति संलग्न हो जाती है, इसमें लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन्हें लालच दिया जाता है। एक छोटा सा विषय लेकर एक छोटी सी कंपनी ने कितने हजार करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है, किसी के पास इसका हिसाब नहीं है। करीब 250 से

ज्यादा ऐसी चिट फंड कंपनियां केवल बंगाल में हैं। मुझे लगता है कि और भी ऐसी कंपनियां होंगी। अभी भी इनका काम चल रहा है। इन पर कोई रुकावट नहीं है। हम राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी दे देते हैं, लेकिन राज्य सरकार के नेता, मंत्री, एम.एल.ए., एमपी सब इसमें संलग्न हैं, सब इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। उन सब ने ही इसे संचालित कर के इतना बड़ा बनाया है और राजनीति को कलुषित किया है। यह बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। मुझे लगता है कि यह कानून जरूर पास होना चाहिए, चाहे तो इसको और कड़ाई से लागू करना चाहिए, इसकी डोज़ और बढ़ानी चाहिए, नहीं तो इस बीमारी का उन्मूलन करना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 19 नवंबर, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>18.04 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, November 19, 2019/Kartika 28, 1941 (Saka).